



तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2013-2014

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

फरवरी February, 2014

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरी और अंतिम बैच 2013-14.

वर्ष 2013-14 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 69 अनुदानों और 3 विनियोजन शामिल हैं। ₹46,227.57 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹25,567.97 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹20,658.37 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या सेवा के नए उपकरण वाले मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, 123 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नगद खर्च वाले प्रस्ताव के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान आयोजना-आयोजना-भिन्न 2013-14 में कुल बजट अनुमान 2013-14 में प्रक्षेपित घाटे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि इसके अधिकांश भाग को पहले ही 2013-14 के संशोधित अनुमान में शामिल कर लिया गया है और शेष के लिए अन्य अनुदानों में समतुल्य समग्र बचतें करनी होगी।

3. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Third and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2013-2014.

The third and final batch of Supplementary Demands for Grants for 2013-2014 includes 69 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹46,227.57 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 25,567.97 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 20,658.37 crore. Besides, token provision of ₹ 123 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. Proposal involving net cash outgo of ₹ 25,567.97 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure in Revised Estimates (Plan and Non-Plan) 2013-2014, as major portion of this has already been included in Revised Estimates for 2013-2014 and for the remaining there would be equivalent overall savings in other Grants.

3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	आयोजना Grant No. & title and description of items	आयोजना-भिन्न Plan	जोड़ Non Plan	Total
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) सामान्य सहायता अनुदान (1) विमान-पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ₹1 करोड़, (2) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (₹ 5.10 करोड़), (ii) हज सब्सिडी के लिए अनुदान (₹101.26 करोड़), (iii) नागर विमानन महा निदेशालय के वेतन (₹ 0.88 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General to (1) Airports Economic Regulatory Authority (₹ 1 crore), (2) Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (₹ 5.10 crore), (ii) Grants for Haj Subsidy (₹ 101.26 crore), (iii) Salary for Directorate General of Civil Aviation (₹ 0.88 crore).	-	103.12	103.12
(ख) नागर विमानन संबंधी पूंजीगत परिव्यय के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) एअर इंडिया (₹ 1,000 करोड़) तथा (ii) होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹ 7 करोड़)।	(b) For additional expenditure towards Capital Outlay on Civil Aviation to (i) Air India (₹ 1,000 crore), and (ii) Hotel Corporation of India Limited (₹ 7 crore).	1,000.00	-	1,000.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
सब्सिडी विषयक व्यय को पूरा करना (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को (2,000.02 करोड़) (ख) चीनी के बफर स्टॉक के अनुक्षण हेतु (₹ 2.50 करोड़)।	For meeting expenditure on subsidy (a) to Food Corporation of India (₹ 2,000.02 crore) under National Food Security Act, (b) for maintenance of Buffer Stocks of Sugar (₹ 2.50 crore).	-	1,877.52	1,877.52
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21 रक्षा पेंशन	21 Defence Pensions			
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards pensions and other retirement benefits.	-	1,000.00	1,000.00

(ii) अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 विनियोग-ब्याज अदायगी बाजार ऋण पर ब्याज के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 19,987.90 करोड़) उपलब्ध कराना, 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल, लघु बचतों की तुलना में जारी प्रतिभूतियाँ, राज्य भविष्य निधि, के गैर-सरकारी भविष्य निधि के विशेष जमा, आदि।	35 Appropriation-Interest Payments For providing additional expenditure (₹ 19,987.90 crore) towards interest on market loans, 14 days Treasury Bills, securities issued against small savings, state provident funds, special deposits of Non-Government provident funds, etc.	-	9,381.83	9,381.83
40 पेंशन इनके अन्तर्गत अतिरिक्त काम मुहैया कराने हेतु (क) अधिवर्षिता पेंशन (₹ 687 करोड़) (ख) फैमिली पेंशन (₹ 779 करोड़) तथा (ग) परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम-एनपीएस (₹ 300 करोड़)।	40 Pensions For providing additional expenditure under (a) Superannuation Pension (₹ 687 crore), (b) Family Pension (₹ 779 crore), and (c) Defined Contribution Pension Scheme-NPS (₹ 300 crore).	-	1,766.00	1,766.00
41 भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग अधिष्ठापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 146.05 करोड़)।	41 Indian Audit and Accounts Department For meeting additional establishment related expenditure (₹ 146.05 crore).	-	133.47	133.47
भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51 भारी उद्योग विभाग हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. को क्रेय (₹ 182 करोड़) उपलब्ध कराना।	51 Department of Heavy Industry For providing loan (₹ 182 crore) to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited.	-	44.16	44.16
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
64. विधि एवं न्याय आगामी आम चुनाव 2014 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वोटर वेरीफाएबिल पेपर आडिट ट्रायल की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त व्यय के लिए (₹ 324.92 करोड़)।	64 Law and Justice For additional expenditure (₹ 324.92 crore) towards procurement of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trial for the ensuing General Elections, 2014.	-	157.68	157.68
65. विनियोग भारतीय का उच्चतम न्यायालय अधिष्ठापन संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 11.46 करोड़)।	65 Appropriation-Supreme Court of India For meeting establishment related expenditure (₹ 11.46 crore).	-	6.43	6.43
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
74 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क) पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के कारण न्यून-वसूली (₹ 10,000 करोड़) और (ख) परियोजना प्रबंधन खर्च (₹ 109 करोड़) के लिए तेल विपणन कंपनियों को इमदाद हेतु खर्च प्रदान करने हेतु।	74 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing expenditure towards subsidy to Oil Marketing Companies towards (a) Under-recoveries (₹ 10,000 crore) on account of sale of petroleum products, and (b) Project Management expenditure (₹ 109 crore).	-	10,041.72	10,041.72
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
80 विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं और चयन करने पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	80 Appropriation-Union Public Service Commission For meeting additional expenditure on examinations and making selections.	-	8.72	8.72

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नौवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
88 नौवहन मंत्रालय	88 Ministry of Shipping			
सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एमएटी दायित्व के परिसमापन के लिए सामान्य अनुदान सहायता के रूप में खर्च को पूरा करने हेतु (₹146.33 करोड़)।	For meeting expenditure (₹ 146.33 crore) as Grants-in-aid General to liquidate MAT liability to Central Inland Water Transport Corporation Limited.	-	41.35	41.35
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को वेतन सहायता अनुदान (₹ 23.97 करोड़), और नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन के लिए वेतन (₹ 45.04 करोड़) हेतु खर्च पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards (a) Grants-in-aid Salary (₹ 23.97 crore) to Indian Statistical Institute, Kolkata, and (b) salary (₹ 45.04 crore) for National Sample Survey Organisation.	-	5.97	5.97
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	1,000.00	24,567.97	25,567.97
4 पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में तकनीकी पूरक अनुदानों/₹ 20,658.37 करोड़ के विनियोग के प्रस्ताव शामिल हैं जिसे मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या सदृश्य बचतों द्वारा मिलान किया गया। मद निम्नलिखित है:	4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 20,658.37 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:			
अनुदानों को तकनीकी पूरक मांग	Technical Supplementary Demands for grants			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए संवर्धित क्षतिपूर्ति का खर्च पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure on enhanced compensation for land acquired by Bhabha Atomic Research Centre.	10.00	-	10.00
5 नाभिकीय विद्युत योजना	5 Nuclear Power Schemes			
(क) संवर्धित देशी आपूर्ति और विदेशी देशों से ईंधन की खरीद पर अतिरिक्त खर्च हेतु (₹ 267.85 करोड़)।	(a) For additional expenditure (₹ 267.85 crore) on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas Countries.	-	111.72	111.72
(ख) मैसर्स भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में निवेश के लिए अतिरिक्त खर्च हेतु।	(b) For additional expenditure towards Investment in M/s Bharatiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited.	12.40	-	12.40
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) न्यायालय के आदेशों के कारण अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure due to court decree.	-	0.62	0.62
(ख) (i) काजू निर्यात संवर्धन परिषद (₹1.90 करोड़), और (ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (₹3 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General to (i) Cashew Export Promotion Council (₹ 1.90 crore), and (ii) Indian Institute of Packaging (₹ 3 crore).	4.07	-	4.07

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
12 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारिडोर के तहत एसपीवी परियोजना के लिए अतिरिक्त खर्च के पूरा करने हेतु।	12 Department of Industrial Policy and Promotion For meeting additional expenditure towards SPV project under Delhi-Mumbai Industrial Corridor.	96.00	-	96.00
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	13 Department of Posts For meeting additional expenditure arising out of court judgement.	-	0.10	0.10
14 दूर संचार विभाग भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के संबंध में पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 442 करोड़)।	14 Department of Telecommunications For meeting additional expenditure (₹ 442 crore) towards Pension and Retirement Benefits in respect of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL).	-	436.27	436.27
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को (₹ 2,000.02 करोड़), (ख) चीनी के सुरक्षित भंडार के अनुसूक्षण के लिए (₹ 2.50 करोड़) इमदाद पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	17 Department of Food and Public Distribution For meeting expenditure on subsidy (a) to Food Corporation of India (₹ 2,000.02 crore) under National Food Security Act, (b) for maintenance of Buffer Stocks of Sugar (₹ 2.50 crore).	-	39.56	39.56
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (क) न्यायालय की डिक्री के कारण (₹ 0.0218 लाख), (ख) जम्मू व कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री के वेतन पर (₹ 0.20 करोड़)। (ग) आपूर्ति और सामग्री के अन्तर्गत (₹ 432 करोड़)।	20 Ministry of Defence For meeting additional expenditure (a) arising out of court decree (₹ 0.0218 lakh), (b) on Salary (₹ 0.20 crore) to Jammu and Kashmir Light Infantry, (c) under Supplies and Materials (₹ 432 crore).	-	241.70	241.70
22 रक्षा सेवाएं-थल सेना न्यायालयों के आदेशों के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए।	22 Defence Services - Army For meeting additional expenditure arising out of court orders and other expenditure.	-	4,821.37	4,821.37
23 रक्षा सेवाएं-नौ सेना न्यायालय के आदेशों के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चों और वेतन, स्टोर्स, निर्माण कार्य और संयुक्त स्टाफ पर आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए।	23 Defence Services - Navy For meeting additional expenditure arising out of court orders and under salaries, stores, works, and joint staff.	-	969.51	969.51
24 रक्षा सेवाएं-वायु सेना न्यायालय के आदेशों के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चों पर और वेतन भंडारण और निर्माण कार्यों पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए	24 Defence Services - Air Force For meeting additional expenditure arising out of court orders and under salaries, stores and works.	-	1,082.91	1,082.91
25 रक्षा आयुध कारखाने न्यायालय के आदेशों के कारण होने वाले तथा विनिर्माण और नवीकरण एवं प्रतिस्थापन के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	25 Defence Ordnance Factories For meeting additional expenditure arising out of court orders and under manufacture and renewable & replacements.	-	1,366.76	1,366.76
26 रक्षा सेवाएं- अनुसंधान एवं विकास विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	26 Defence Services - Research and Development For meeting additional expenditure of the Department.	-	125.15	125.15

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
निम्न के खर्चों को पूरा करने के लिए (क) मुद्रा सिक्के तथा टकसाल के अन्तर्गत बकाया के परिसमापन में (₹ 0.50 करोड़), (ख) अन्य राजकोषीय सेवाओं के अन्तर्गत किया जाने वाला भुगतान (₹ 0.04 करोड़), (ग) वित्त क्षेत्रीय, विधायी सुधार आयोग के कार्यालय (₹ 0.005 करोड़) और, (घ) लाभांश राहत के लिए रेलवे को सब्सिडी का भुगतान (₹ 764 करोड़)।	For meeting expenditure towards (a) liquidation of outstanding balances (₹ 0.50 crore) under 'Currency, Coinage and Mint', (b) payment (₹ 0.04 crore) under 'Other Fiscal Services', (c) the office of Financial Sector Legislative Reforms Commission (₹ 0.05 crore), and (d) payment of subsidy (₹ 764 crore) to Railways for Dividend relief.	-	360.42	360.42
34 वित्तीय सेवाओं का विभाग	34 Department of Financial Services			
मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को केनरा बैंक के माध्यम से दिये जाने वाले शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी दिये जाने पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards 'Interest Subsidy' on education loans to bright and needy students through Canara Bank.	-	2,600.00	2,600.00
35 विनियोग-ब्याज भुगतान	35 Appropriation-Interest Payments			
बाजार ऋण पर ब्याज, 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल, लघु बचत की एवज में जारी प्रतिभूति, राजकीय भविष्य निधि कोष, गैर सरकारी भविष्य निधि कोष में विशेष जमा आदि पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 19,987.90 करोड़)।	For providing additional expenditure (₹ 19,987.90 crore) towards interest on market loans, 14 days Treasury Bills, securities issued against small savings, state provident funds, special deposits of Non-Government provident funds, etc.	-	6,118.37	6,118.37
41 भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग	41 Indian Audit and Accounts Department			
व्यय से संबंधित अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए (₹ 146.05 करोड़)।	For meeting additional establishment related expenditure (₹ 146.05 crore).	-	12.58	12.58
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	47 Department of Health and Family Welfare			
माननीय दिल्ली उच्च-न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में विवाचन आदेश को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मैसर्स इन्टरनेशनल फार्मास्युटिकल्स लि. अहमदाबाद को अतिरिक्त भुगतान किये जाने किये जाने के लिए।	For making additional payment to M/s International Pharmaceutical Limited, Ahmedabad under National Leprosy Eradication Programme towards Arbitration Award in pursuance of directions of Hon'ble High Court of Delhi .	-	18.47	18.47
50 एडस नियंत्रण विभाग	50 Department of AIDS Control			
ड्रग्स, किट्स और उपभोग्य सामग्री की खरीद पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on procurement of Drugs, Kits and Consumables.	12.00	-	12.00
भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51 भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि. को ऋण देने के लिए (₹ 182 करोड़)।	(a) For providing loan (₹ 182 crore) to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited.	-	47.43	47.43
(ख) (i) एंड्रयू यूले एवं कम्पनी लि. की प्रतिभूति शुल्क की माफी के लिए (₹ 0.64 करोड़)। (ii) स्कूटर्स इंडिया लि. के ब्याज की माफी के लिए (₹ 26.37 करोड़)।	(b) For (i) Waiver of Guarantee Fee (₹ 0.64 crore) of Andrew Yule and Company Limited, (ii) Waiver of Interest (₹ 26.37 crore) of Scooters India Limited.	-	27.01	27.01
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
55 पुलिस	55 Police			
भारतीय रिजर्व बटालियन के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त दावों की प्रतिपूर्ति पर आने वाले अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए (₹ 5.34 करोड़)।	For meeting expenditure (₹ 5.34 crore) on reimbursement of claims received from various States in respect of India Reserve Battalion.	-	4.59	4.59

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
64 विधि एवं न्याय मंत्रालय	64 Law and Justice			
आगामी आम चुनाव 2014 के लिए वोटर वरिफाइबल पेपर ऑडिट तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त खर्च (₹ 324.92 करोड़)	For additional expenditure (₹ 324.92 crore) towards procurement of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trial for the ensuing General Elections, 2014.	-	8.00	8.00
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	69 Ministry of New and Renewable Energy			
(क) नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 1,130.75 करोड़) जिसे कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से पूरा किया जाएगा। (ख) भारतीय सौर ऊर्जा निगम के पूंजीगत परियोजना में वृद्धि करने के लिए (₹ 15 करोड़)।	For (a) meeting expenditure (₹ 1,130.75 crore) under New and Renewable Energy to be met from National Clean Energy Fund, and (b) enhancing Capital Outlay (₹ 15 crore) of Solar Energy Corporation of India.	1,130.75	-	1,130.75
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
74 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	74 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
तेल विपणन कम्पनियों को दी जाने वाली सब्सिडी पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण हुई कम वसूली (₹ 10,000 करोड़) के मामले में (ख) परियोजना प्रबंधन व्यय (₹ 109 करोड़) के मामले में।	For providing expenditure towards subsidy to Oil Marketing Companies towards (a) Under-recoveries (₹ 10,000 crore) on account of sale of petroleum products, and (b) Project Management expenditure (₹ 109 crore).	-	1.00	1.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
76 विद्युत मंत्रालय	76 Ministry of Power			
त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure under Accelerated Power Development Reform Programme.	15.00	-	15.00
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
82 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	82 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) निम्न में सड़कों के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से अनुदान (i) राज्य (₹ 300 करोड़), (ii) दिल्ली (₹ 300 करोड़), (iii) पुडुचेरी (₹ 11.50 करोड़)।	(a) For Grants for creation of capital assets from Central Road Fund for Roads in (i) States (₹ 300 crore), (ii) Delhi (₹ 300 crore), and (iii) Puducherry (₹ 11.50 crore).	611.50	-	611.50
(ख) न्यायालय के आदेशों के अनुसार गैर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरों के बकाया का भुगतान करने के लिए सीमा सड़क विकास द्वारा किये गए बड़े निर्माण कार्यों पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure on Major Works by Border Roads Development Board towards payment of arrears to Non-Diploma Civil Engineers as per Court Order.	-	20.00	20.00
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
88 पोत परिवहन मंत्रालय	88 Ministry of Shipping			
(क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के दायित्व के परिसमापन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 146.33 करोड़)। (ख) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंडियर्स लिमिटेड को सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹ 251.63 करोड़)।	For (a) meeting expenditure (₹ 146.33 crore) as Grants-in-aid General to liquidate MAT liability to Central Inland Water Transport Corporation Limited, (b) Grants-in-aid General (₹ 251.63 crore) to Hooghly Dock and Port Engineers Limited .	-	258.01	258.01

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91 सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान वेतन (₹ 23.97 करोड़) पर आने वाले खर्च के लिए और; (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को वेतन के लिए (₹ 45.04 करोड़)।	For meeting expenditure towards (a) Grants-in-aid Salary (₹ 23.97 crore) to Indian Statistical Institute, Kolkata, and (b) salary (₹ 45.04 crore) for National Sample Survey Organisation.	-	7.80	7.80
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93 वस्त्र मंत्रालय	93 Ministry of Textiles			
ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को ऋण देने के लिए, जिससे कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपने कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी का भुगतान कर सकें।	For providing loan to British India Corporation towards payment of salary and wages to their employees in compliance of Supreme Court orders.	-	55.00	55.00
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
96 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	96 Andaman and Nicobar Islands			
(क) विद्युत ग्रहों को हाई स्पीड डीजल ऑयल की खरीद के लिए आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 72.78 करोड़)	(a) For meeting the expenditure (₹ 72.78 crore) for procurement of HSD oil for Power Houses.	-	26.21	26.21
(ख) पोत परिवहन क्षेत्र को हाई स्पीड डीजल ऑयल की खरीद पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 77.22 करोड़)	(b) For meeting the expenditure (₹ 77.22 crore) for procurement of HSD oil for Shipping Sector.	5.09	-	5.09
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101 शहरी विकास विभाग	101 Department of Urban Development			
बड़े निर्माण कार्यों पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए, ताकि विवाचन निर्णय/न्यायालय मामलों के लिए भुगतान किया जा सके।	For meeting expenditure towards Major Works for the payments of arbitration awards/Court cases.	1.00	-	1.00
कुल तकनीकी	Total Technical	1,897.81	18,760.56	20,658.37
5. प्रत्येक एक लाख रुपये की अनुपूरक मांगें भी, नीचे सूचीबद्ध मदों के सम्बन्ध में ली जानी प्रस्तावित हैं तथा इसके बारे में व्यय, संगत अनुदान के सम्बन्ध में जैसा भी मामला हो, राजस्व अथवा पूंजीगत खण्ड के भीतर बचत के पुनः विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा।	5. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदानों हेतु सांकेतिक पूरक मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1 कृषि एवं सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
(क) फसलों की खेती के अन्तर्गत सहायता अनुदान सम्बन्धित व्यय (₹ 70.06 करोड़)	(a) For (i) Grants-in-aid related expenditure (₹ 70.06 crore) under 'Crop Husbandry', (ii) additional contribution (₹ 335 crore) under implementation of National Agricultural Insurance Schemes.	405.06	-	405.06

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) अन्य कृषि कार्यक्रमों में सहायता अनुदान सम्बन्धी व्यय।	(b) For Grants-in-aid related expenditure in other Agricultural Programmes.	37.60	-	37.60
2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को सहायता अनुदान सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय प्रदान करना तथा इसमें ख्याति प्राप्त संस्थान के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन (₹ 1 करोड़) शामिल है।	(a) For providing additional Grants-in-aid related expenditure to Indian Council of Agricultural Research including Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) for Institute of Eminence.	108.55	11.62	120.17
(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सहायता अनुदान सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय मुहैया करवाना।	(b) For providing additional Grants-in-aid related expenditure in North Eastern Areas to Indian Council of Agricultural Research.	37.09	-	37.09
3. पशुपालन डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) मुर्गी पालन वेन्चर पूंजीगत निधि की योजनाओं के लिए सहायता अनुदान सामान्य।	(a) For Grants-in-aid General in the schemes of Poultry Venture Capital Fund.	27.00	-	27.00
(ख) डेयरी विकास के अन्तर्गत सहायता अनुदान सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting Grants-in-aid related expenditure under Dairy Development.	26.03	-	26.03
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामान्य सहायता अनुदान को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting Grants-in-aid General in North Eastern Areas.	14.00	-	14.00
(घ) मुख्य कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Major Works.	1.40	-	1.40
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure under Atomic Energy Research.	24.13	32.14	56.27
(ख) परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Capital Outlay on Atomic Energy Industries.	22.77	0.35	23.12
(ग) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Capital Outlay on Atomic Energy Research.	101.55	0.30	101.85
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
कोयला खानों के संरक्षण और सुरक्षा की योजना के अन्तर्गत कोयले और कोक के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता व्यय।	For additional subsidy expenditure under the scheme of Conservation and Safety of Coal Mines towards Coal and Coke.	25.00	-	25.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) काफी बोर्ड (₹ 16.20 करोड़) और रबड़ बोर्ड (₹ 6 करोड़) की सहायता अनुदान वेतन।	For Grants-in-aid Salary to (a) Coffee Board (₹ 16.20 crore), and (b) Rubber Board (₹ 6 crore).	-	22.20	22.20
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश नीति, 2007 योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय का वहन करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under the scheme North East Industrial Investment Policy, 2007.	33.29	-	33.29
(ख) परिवहन आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत दावों का निपटान करने के लिए अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए	(b) For meeting additional expenditure for settlement of claims under the Transport Subsidy scheme.	44.20	-	44.20

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14 दूर संचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
ब्राडबैंड वायरलेस एक्सस स्पेक्ट्रम के लिए अदा किए गए अपफ्रन्ट प्रभार की वापसी के साथ ऐसे स्पेक्ट्रम के लौटाए जाने पर बी.एस.एन.एल. को वित्तीय सहायता देने के लिए होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards providing financial support to BSNL on surrender of Broadband Wireless Access spectrum with refund of upfront charges paid for such spectrum.	-	1,102.68	1102.68
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) निम्नलिखित हेतु सामान्य सहायता-अनुदान (1) 'राष्ट्रीय अनुस्मारकों का अनुक्षण' स्कीम के अंतर्गत इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हेतु कार्पस निधि प्रदान करना (₹ 10 करोड़), (2) जनजाति उप योजना के तहत ललित कला अकादमी (₹ 0.65 करोड़), (3) अध्येतावृत्ति और पुरस्कार प्रदान करने के लिए संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली (₹ 2 करोड़), (4) नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के पोर्टल, चुर्नीदा कार्यों और उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति (₹ 15 करोड़), राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति, स्मृति संबंधी क्रियाकलापों इत्यादि के लिए (₹ 5 करोड़), और उत्कृष्टता संस्थान की पूंजीगत आस्तियों (₹ 1 करोड़) के लिए अनुदान।	(a) For (i) Grants-in-aid General to (1) provide Corpus Fund for Indira Gandhi Memorial Trust under the scheme 'Maintenance of National Memorials' (₹ 10 crore), (2) Lalit Kala Akademi, New Delhi under Tribal Sub Plan (₹ 0.65 crore), (3) Sangeet Natak Akademi, New Delhi for conferment of fellowship and awards (₹ 2 crore), (4) meet the additional requirement for Portal, Selected Works and Upgradation of Nehru Memorial Museum and Library (₹ 15 crore), Supporting staff for National Implementation Committee, Commemoration activities, etc (₹ 5 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) to Institute of Eminence.	33.65	-	33.65
(ख) कला और संस्कृति के तहत संबद्ध और अन्य व्यय के लिए अनुदान	(b) For Grants related and other expenditure under Art and Culture.	-	8.18	8.18
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
(क) छावनी बोर्डों की सामान्य सहायता अनुदानों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General to Cantonment Boards.	-	51.64	51.64
(ख) रक्षा संपदा संगठन के आवासीय भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards construction of office buildings of Defence Estates Organisation.	-	2.00	2.00
(ग) रक्षा संपदा संगठन के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए	(c) For meeting additional expenditure towards construction of residential buildings of Defence Estates Organisation.	-	1.75	1.75
27 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	27 Capital Outlay on Defence Services			
अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure.	-	0.01	0.01
पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
30 पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	30 Ministry of Earth Sciences			
(क) 'अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच' की स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु	(a) For Grants-in-aid General under the scheme of 'Research Education and Training Outreach'.	12.00	-	12.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) 'वायुमंडलीय प्रक्रिया और मॉडलिंग सेवा' की स्कीम के तहत सामान्य सहायता-अनुदान	(b) For Grants-in-aid General under the scheme of 'Atmospheric Process and Modeling Service'.	3.00	-	3.00
(ग) समुद्री जीव संसाधन और परिस्थितियों केंद्र के प्रमुख कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय।	(c) For additional expenditure under Major Works of Centre for Marine Living Resources and Ecology.	3.00	-	3.00
(घ) 'भूकंप-विज्ञान अनुसंधान' कार्यक्रम के तहत मशीनरी और उपकरणों के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु।	(d) For additional expenditure towards Machinery and Equipments under the Programme 'Seismological Research'.	6.25	-	6.25
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
31. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	31 Ministry of Environment and Forests			
(क) भारतीय वन्य जीव संस्थान की सामान्य अनुदान मांगों के खर्च को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General to Wildlife Institute of India.	1.30	-	1.30
(ख) निम्नलिखित के व्यय को पूरा करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान (1) जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीवनयापन सुधान (ईएपी) (₹ 5.50 करोड़), (2) उत्कृष्टता केंद्र (₹ 2.91 करोड़), और (3) पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरणीय आयोग और अधिकरण की संस्थापना (₹ 0.18 करोड़), (ii) सामान्य निस्सारी अभिक्रिया संयंत्र के संवर्द्धन के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़), और (iii) निम्नलिखित के वेतनों हेतु सहायता अनुदान (1) गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान (₹ 0.60 करोड़), (2) उत्कृष्टता केंद्र (₹ 0.20 करोड़) और पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरणीय आयोग और अधिकरण की संस्थापना (₹ 0.18 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General to (1) Biodiversity Conservation and Rural Livelihood Improvement (EAP) (₹5.50 crore), (2) Centres of Excellence (₹2.91 crore), and (3) Establishment of Environment Authorities and Environmental Commission & Tribunal (₹0.18 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets to 'Promotion of Common Effluent Treatment Plants' (₹ 1 crore), and (iii) Grants-in-Aid Salary to (1) Gobind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹0.60 crore), (2) Centres of Excellence (₹0.20 crore), and (3) Establishment of Environment Authorities and Environmental Commission & Tribunal (₹0.18 crore).	10.57	-	10.57
(ग) मै. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और पौधा रोपण विकास निगम लिमिटेड को वेतन और पारिश्रमिक संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करने हेतु।	(c) For providing additional loan to M/s Andaman and Nicobar Islands Forest & Plantation Development Corporation Limited for meeting salary and wages expenses.	-	16.00	16.00
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
32 विदेश मंत्रालय	32 Ministry of External Affairs			
निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (क) दूतावासों और मिशनों के तहत संस्थापना संबंधी व्यय (₹ 50.36 करोड़), (ख) (i) मैसन डीएलइंडे (₹ 7.90 करोड़), (ii) आब्रवर्नर रिसर्च फाउंडेशन (₹ 0.25 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान और (ग) विशेष कूटनीतिक व्यय हेतु (₹ 100 करोड़)	For meeting additional expenditure (a) towards establishment related expenditure (₹ 50.36 crore) under Embassies and Missions, (b) on Grants-in-aid General (i) for Maison de l'inde (₹ 7.90 crore), (ii) to Observer Research Foundation (₹ 0.25 crore), and (c) towards Special Diplomatic expenditure (₹ 100 crore).	-	158.51	158.51

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
(क) बजट प्रेस के लिए मशीन की खरीद पर व्यय।	(a) For expenditure towards purchase of machine for Budget Press.	-	6.00	6.00
(ख) उधार लेने की नई व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards loans to International Monetary Fund under New Arrangements to Borrow.	-	100.00	100.00
42. राजस्व विभाग	42 Department of Revenue			
(क) (i) व्यापार कर विभाग उत्तर प्रदेश को क्रय कर और उन पर ब्याज (11.30 करोड़ रुपए), (ii) कोडाइन फॉस्फेट के आयात के लिए मैसर्स टीमाड, ईरान को भुगतान (34.38 करोड़ रुपए), (iii) कोडाइन फॉस्फेट के आयात हेतु विनिमय दर में अंतर (8.54 करोड़ रुपए), (iv) नीमच अफीम फैक्टरी के संबंध में नकद-भिन्न मदों (8.66 करोड़ रुपए) आदि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Purchase Tax and interest thereon (₹ 11.30 crore) to the Trade Tax Department, Uttar Pradesh, (ii) payment to M/s Temad, Iran (₹ 34.38 crore) for import of codeine phosphate, (iii) exchange rate variation (₹ 8.54 crore) for import of codeine phosphate, (iv) non-cash items (₹ 8.66 crore) in respect of Neemuch Opium Factory, etc.	-	62.88	62.88
(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वाणिज्यिक करों के लिए मिशन मोड परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त सहायता भुगतान उफलब्ध कराना।	(b) For providing additional Grants-in-aid General to UT Governments for implementation of the Mission Mode Project for Commercial Taxes.	-	3.00	3.00
43. प्रत्यक्ष कर	43 Direct Taxes			
प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा अनुसिचवीय-कर्मचारी प्रशिक्षण एकक, अहमदाबाद के लिए नए परिसर के निर्माण हेतु भूमि की खरीद पर होने वाले व्यय के लिए।	For expenditure towards purchase of land for construction of new campus for Direct Taxes Regional Training Institute and Ministerial Staff Training Unit, Ahmedabad.	-	9.67	9.67
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
46 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	46 Ministry of Food Processing Industries			
(क) खाद्य भंडारण तथा भंडारगार के लिए व्यय संबंधी अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional Grants-in-aid related expenditure under Food Storage and Warehousing.	11.92	3.00	14.92
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ व्यय संबंधी अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional Grants-in-aid related expenditure for the benefit of North Eastern Areas.	4.20	-	4.20
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग	47 Department of Health and Family Welfare			
(क) चिकित्सीय उपकरण की खरीद पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी को पूंजीगत आस्तियां सृजित करने के लिए अनुदान हेतु।	(a) For Grants for creation of Capital Assets to Kasturba Health Society for meeting the additional expenditure on procurement of medical equipment.	4.58	-	4.58
(ख) एससीएसपी संगठक (27.95 करोड़ रुपए) और टीएसपी संघटक (28.78 करोड़ रुपए) हेतु मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत स्टेट हेल्थ सोसायटियों को पूंजीगत आस्तियां सृजित करने के लिए अनुदान हेतु।	(b) For Grants for creation of capital assets to State Health Societies under Mission Flexible Pool for SCSP component (₹ 27.95 crore) and TSP component (₹ 28.78 crore).	56.73	-	56.73

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत स्टेट हेल्थ सोसायटियों को सामान्य अनुदान सहायता हेतु।	(c) For Grants-in-aid General to State Health Societies under Mission Flexible Pool for the benefit of North Eastern Region.	39.32	-	39.32
(घ) (i) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा तथा पुनर्वास संस्थान, मुंबई (1 करोड़ रुपए) के उपकरणों की खरीद हेतु तथा (ii) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ साइकाइट्री, रांची (0.10 करोड़ रुपए) के व्यय हेतु।	(d) For meeting expenditure of (i) All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai (₹ 1 crore) for purchase of equipment, (ii) Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 0.10 crore).	1.10	-	1.10
48 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	48 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
चिकित्सीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत सहायता अनुदान से संबंधित व्यय के लिए।	For Grants-in-aid related expenditure under Medical and Public Health.	15.92	22.90	38.82
50 एड्स नियंत्रण विभाग	50 Department of AIDS Control			
पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	For Grants-in-Aid General to State AIDS Control Societies in North Eastern Region.	6.00	-	6.00
भारी उद्योग एवं सरकारी उपक्रम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51 भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
(क) काचर पेपर मिल्स, हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid General to Cachar Paper Mills, a unit of Hindustan Paper Corporation Limited.	47.23	-	47.23
(ख) स्कूटर्स इण्डिया लि. के संबंध में ऋण के इक्विटी में अंतरण हेतु।	(b) For conversion of Loan into Equity in respect of Scooters India Limited.	1.93	83.28	85.21
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53 गृह मंत्रालय	53 Ministry of Home Affairs			
(क) व्यावसायिक सेवाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under Professional Services.	-	1.70	1.70
(ख) अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure under 'Other Administrative Services'.	-	0.39	0.39
(ग) फायर एवं आपात सेवाओं के सुदृढीकरण व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure towards Strengthening of Fire and Emergency Services.	2.50	-	2.50
55 पुलिस	55 Police			
(क) इण्डो-तिब्बत बार्डर पुलिस और विशेष सुरक्षा समूह के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure in respect of Indo-Tibetan Border Police and Special Protection Group.	-	0.54	0.54
(ख) पुलिस ते तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under Police.	26.21	364.66	390.87
(ग) पुलिस के तहत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional Capital expenditure under Police.	16.52	147.45	163.97
56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
(क) निम्न के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) विज्ञापन व प्रचार (₹0.33 करोड़) (ii) व्यावसायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय भूकंप मीटिंगेशन परियोजना (₹1.65 करोड़) और (ii) आपदा प्रबंधन संयुक्त नेटवर्क हेतु व्यावसायिक सेवाएं (₹0.20 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure under (i) National Earthquake Mitigation Project for (1) Advertisement and Publicity (₹ 0.33 crore), (2) Professional Services (₹ 1.65 crore), and (ii) Professional Services (₹ 0.20 crore) for Disaster Management Communication Network.	2.18	-	2.18

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure of National Disaster Management Authority.	-	0.90	0.90
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58 आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
राष्ट्रीय बिल्डिंग संगठन को सामान्य सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid General to National Building Organisation.	8.00	-	8.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59. विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	59 Department of School Education and Literacy			
(क) सामान्य शिक्षा के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants-in-Aid related expenditure under General Education.	18.01	21.44	39.45
(ख) पूर्वोत्तर राज्यों के सामर्थ अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(b) For Grants-in-Aid related expenditure for the benefit of North Eastern Areas.	50.12	-	50.12
60 उच्चतर शिक्षा विभाग	60 Department of Higher Education			
(क) (i) गारंटी निधि हेतु ब्याज सब्सिडी और अंशदान (₹528.87 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान, और (ii) इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेन्स को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1 करोड़)।	(a) For (i) Grants-in-aid General under the scheme of 'Interest Subsidy and Contribution for Guarantee Fund' (₹ 528.87 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) to Institute of Eminence.	529.87	-	529.87
(ख) सामान्य शिक्षा के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय।	(b) For Grants-in-aid related expenditure under General Education.	-	122.88	122.88
(ग) तकनीकी शिक्षा के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय।	(c) For Grant-in-aid related expenditure under Technical Education.	-	18.74	18.74
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संस्थान को सहायता अनुदान संबंधी व्यय।	(d) For Grants-in-Aid related expenditure to institutes in North Eastern Areas.	215.54	-	215.54
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
निम्न को वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (क) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (₹1.34 करोड़) और (ख) भारतीय जनसंचार संस्थान (₹0.40 करोड़)।	For meeting additional Grants-in-aid Salary expenditure to (a) Film and Television Institute of India (₹ 1.34 crore), and (b) Indian Institute of Mass Communication (₹ 0.40 crore).	-	1.74	1.74
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
(क) निम्न के "कौशल विकास" की स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (₹60 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure under the Scheme of 'Skill Development' towards (i) Grants-in-aid General (₹ 5 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 60 crore).	65.00	-	65.00
(ख) निम्न के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड (₹20.63 करोड़); (ii) आइरन आर माइन्स एंड क्रोम आर्स माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Mica Mines Labour Welfare Fund (₹ 20.63 crore), (ii) Iron Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(₹20.04 करोड़); (iii) लाइमस्टोन एण्ड डोलोमाइट लेबर वेलफेयर फण्ड (₹50.85 करोड़); (iv) सिने वर्कर्स वेलफेयर फण्ड (₹5.03 करोड़)।	Fund (₹ 20.04 crore), (iii) Limestone and Dolomite Labour Welfare Fund (₹ 50.85 crore), (iv) Cine Workers Welfare Fund (₹ 5.03 crore).	-	96.55	96.55
(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए "कौशल विकास" स्कीम के तहत अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष घटक आयोजना के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान।	(c) For Grants-in-aid General to State Governments under the Special Component Plan for Scheduled Castes and Tribal Area Sub Plan under the Scheme of 'Skill Development' towards Externally aided Project.	107.57	-	107.57
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थी की बढ़ोतरी अथवा उसके प्रावधानार्थ।	(a) For augmentation or provisions for the benefit of North Eastern Areas.	11.13	-	11.13
(ख) ग्राम और लघु उद्योग के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय के लिए।	(b) For meeting Grants-in-aid related expenditure under Village and Small Industries.	103.67	0.50	104.17
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
राज्य वर्कर्स बोर्ड स्कीम के सुदृढ़ीकरण के तहत सामान्य सहायता अनुदानार्थ व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the strengthening of the State Wakf Board Scheme.	1.10	-	1.10
कार्मिक लोकशिकायत व पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक लोकशिकायत व पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
लोकपाल संबंधी व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure on Lokpal.	-	0.50	0.50
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
75 योजना मंत्रालय	75 Ministry of Planning			
(क) अतिरिक्त सहायता अनुदान संबंधी व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional Grants-in-aid related expenditure.	2.42	-	2.42
(ख) जिलों के लिए क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी सहायता के व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure for UNDP assistance for Capacity Development for Districts.	3.12	-	3.12
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
79 राज्य सभा	79 Rajya Sabha			
सचिवालय का व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure of the Secretariat.	-	5.00	5.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
82 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	82 Ministry of Road Transport and Highways			
भूटान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा सड़कों के अनुसंधान हेतु सामान्य सहायता अनुदानार्थ।	For Grants-in-aid General for maintenance of roads by Border Roads Development Board in Bhutan.	-	8.19	8.19

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
83 ग्रामीण विकास विभाग	83 Department of Rural Development			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं व अन्य को सहायता हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तौर पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure as Grants for creation of Capital Assets towards Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others under National Rural Employment Guarantee Scheme.	280.00	-	280.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	86 Department of Scientific and Industrial Research			
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	For additional expenditure towards Grants-in-aid General to Council of Scientific and Industrial Research.	-	0.50	0.50
87 जैव तकनीक विभाग	87 Department of Biotechnology			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	For additional Grants-in-aid related expenditure under 'Other Scientific Research'.	46.35	-	46.35
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
88 पोत परिवहन मंत्रालय	88 Ministry of Shipping			
(क) महानिदेशक (लाइटहाउसेस व लाइटशिप) द्वारा जहाजों की खरीद व बदली हेतु प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Major Works for purchase and replacement of vessels by Directorate General (Lighthouses and Lightships).	3.91	-	3.91
(ख) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के अर्थोपाय ऋण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards ways and means loan to Hooghly Dock and Port Engineers Limited.	-	0.95	0.95
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	89 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) निम्न का व्यय पूरा करने हेतु (i) निम्न को पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (1) अनु. जाति के लिए छात्राओं के लिए हॉस्टल स्कीम में विभिन्न केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय (₹ 7 करोड़); (2) अनु. जाति के लिए छात्रों के लिए हॉस्टल (₹ 4.50 करोड़); (ii) निम्न को सामान्य सहायता (1) अनु. जाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में चंडीगढ़ संघ क्षेत्र (₹ 0.27 करोड़), (2) अनु. जाति के लिए टॉप क्लास शिक्षण स्कीम में विभिन्न संस्थान (₹ 2 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants for creation of Capital Assets to (1) various Central and State Universities in the scheme of Girls Hostel for Scheduled Castes (₹ 7 crore), (2) Boys Hostel for Scheduled Castes (₹ 4.50 crore), (ii) Grants-in-aid General to (1) Union Territory of Chandigarh in the scheme of pre-matric scholarship for Scheduled Castes (₹ 0.27 crore), (2) various Institutions in the Scheme of Top Class Education for Scheduled Castes (₹ 2 crore).	13.77	-	13.77
(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामान्य वेतन सहायता।	(b) For Grants-in-aid Salary to National Commission for Backward Classes.	-	0.30	0.30
(ग) विभिन्न राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु।	(c) For releasing Grants-in-aid General to various National Institutes for Disabled Persons.	21.70	-	21.70

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
90 अंतरिक्ष विभाग	90 Department of Space			
(क) नार्थ ईस्टर्न स्पेश एप्लीकेशन सेंटर (एनई-एसएसी) के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के लिए।	(a) For Grants for creation of Capital Assets for completion of residential complex of North Eastern Space Application Centre (NE-SAC).	6.52	-	6.52
(ख) निम्न को वेतन सहायता अनुदान हेतु। (i) एनई-एसएसी (₹0.71 करोड़), (ii) नेशनल एटमोस्फीरिक रिसर्च लेबोरेटरी (₹0.48 करोड़)।	(b) For Grants-in-aid Salary to (i) NE-SAC (₹ 0.71 crore), (ii) National Atmospheric Research Laboratory (₹ 0.48 crore).	-	1.19	1.19
(ग) राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विस्तारक कार्यकलापों के लिए कर्नाटक सरकार से भूमि के अधिग्रहण हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards acquisition of land from Government of Karnataka, for expansion activities of Indian Space Research Organisation.	45.32	-	45.32
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting establishment related expenditure.	-	5.40	5.40
(ख) जनगणना सर्वेक्षणों व सांख्यिकी के लिए सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid towards Census Surveys and Statistics.	0.05	-	0.05
(ग) जनगणना सर्वेक्षणों व सांख्यिकी के लिए राज्यों को सहायता अनुदानार्थ।	(c) For Grants-in-aid to States towards Census Surveys and Statistics.	18.00	-	18.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
95 जनजातीय कार्य मंत्रालय	95 Ministry of Tribal Affairs			
(क) मंत्रालयों द्वारा विवेकाधीन अन्य प्रभारों के तहत अतिरिक्त व्यय हेतु।	(a) For additional expenditure under 'Other Charges' under Discretionary Grant by Ministers.	-	0.05	0.05
(ख) निम्न के लिए (i) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के लिए श्रृंखला विकास के माध्यम से "मेकेनिज्म फोर मार्केटिंग ऑफ माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस" स्कीम के तहत (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (₹ 0.50 करोड़); (ii) वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.45 करोड़)।	(b) For (i) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.50 crore), (ii) Grants-in-aid Salary (₹ 2.45 crore) under the scheme 'Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce' (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and development of value Chain for MFP.	2.95	-	2.95
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
96 अंडमान और निकोबार द्वीप	96 Andaman and Nicobar Islands			
(क) अंडमान और निकोबार द्वीप और समूह वन और पौधारोपण विकास निगम लि. को ऋण मुहैया कराने हेतु	(a) For providing loan to Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited.	-	0.01	0.01
(ख) पुलिस नौकाओं हेतु मशीनरी की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on procurement of machinery for Police Boats.	0.19	-	0.19
(ग) आपदा प्रबंधन हेतु मशीन की खरीद के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on procurement of machinery for Disaster Management.	0.15	-	0.15
(घ) ग्रामीण सड़कों के निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure on construction of Rural roads.	2.45	-	2.45
(ङ) विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में जेटिज के जारी निर्माण फार्मों के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(e) For meeting additional expenditure on ongoing construction works of Jetties at various tribal areas.	2.45	-	2.45

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(च) सिविल पब्लिक निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(f) For meeting additional expenditure on civil public works.	2.28	-	2.28
(छ) सरकारी क्वार्टरों के निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(g) For meeting additional expenditure on construction of Government Quarters.	2.45	-	2.45
(ज) शहरी विकास के सिविल कार्यों संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु।	(h) For meeting additional expenditure on civil works of Urban Development.	0.73	-	0.73
(झ) जनजातीय क्षेत्रों के विकासात्मक कार्यों संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(i) For meeting additional expenditure on developmental works at Tribal Areas.	0.94	-	0.94
(ञ) ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के तहत जारी कार्यों संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(j) For meeting additional expenditure on ongoing works under the scheme Rural Electrification.	1.48	-	1.48
97 चंडीगढ़	97 Chandigarh			
(क) पशुपालन के कार्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure to complete the works of Animal Husbandry.	0.05	-	0.05
(ख) (i) सरकारी कला महाविद्यालय (₹0.05 करोड़) और (ii) सरकारी म्यूजियम और कलादीर्घा (₹0.04 करोड़) के जारी कार्यों को पूरा करने संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure to complete on-going works of (i) Government College of Arts (₹ 0.05 crore), and (ii) Government Museum and Art Gallery (₹ 0.04 crore).	0.09	-	0.09
(ग) प्राथमिक शिक्षा संबंधी जारी कार्यों को पूरा करने संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure to complete on-going works of relating to Elementary Education.	0.18	-	0.18
(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ को जारी निर्माण कार्यों को पूरा करने संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure to complete on-going construction works of Industrial Training Institute, Chandigarh.	0.20	-	0.20
(ङ) चंडीगढ़ में लिंक रोड के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(e) For meeting additional expenditure for construction of Link Roads in Chandigarh.	1.01	-	1.01
(च) चंडीगढ़ में विभिन्न बागवानी कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(f) For meeting additional expenditure to complete the various Horticulture works in Chandigarh.	2.29	-	2.29
100 लक्षद्वीप	100 Lakshadweep			
(क) जनगणना सर्वेक्षणों व सांख्यिकी के लिए स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting establishment related expenditure towards Census Surveys and Statistics.	0.55	-	0.55
(ख) लक्षद्वीप द्वीव के तटीय क्षेत्रों में एंटी-सी इरोजन कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure to complete anti-sea erosion works in coastal areas of Lakshadweep Islands.	5.41	-	5.41
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101 शहरी विकास मंत्रालय	101 Department of Urban Development			
पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जलापूर्ति में बढ़ोतरी के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure as Grants for creation of capital assets to augment water supply in North Eastern Areas.	13.82	-	13.82
102 लोकनिर्माण कार्य	102 Public Works			
(क) निरीक्षक बंगलों, अतिथिग्रहों व हालीडे होम्स के अनुसंधान/रख-रखाव के लिए गौण कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For expenditure towards Minor Works for maintenance/upkeep of Inspection Bungalows, Guest Houses and Holiday Homes.	-	1.00	1.00
(ख) राष्ट्रीय स्मृति के सृजन और समाधि/स्मारकों के उन्नयन के लिए प्रमुख कार्यों हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For expenditure towards Major Works for creation of Rashtriya Smriti and up-gradation of Samadhi/Memorials.	1.00	-	1.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For expenditure towards Major Works of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.	-	2.50	2.50
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
105 महिला और बाल विकास मंत्रालय	105 Ministry of Women and Child Development			
निम्न हेतु सामान्य सहायता अनुदान (क) एकीकृत बाल विकास सेवाएं के तहत दादरा व नागर हवेली को (₹14.40 करोड़); (ख) "उज्जवला" स्कीम के तहत व्यावसायिक यौन शोषण हेतु देहव्यापार के विरुद्ध व्यय को पूरा करने हेतु। (₹3 करोड़); (ग) जेंडर बजटिंग पर कार्यशालाएं आदि के आयोजन हेतु (₹0.12 करोड़) और (घ) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को (₹0.50 करोड़)।	For Grants-in-aid General (a) to Dadra and Nagar Haveli under the Scheme of Integrated Child Development Services (₹ 14.40 crore), (b) for meeting additional expenditure towards combating trafficking for commercial sexual exploitation under the scheme 'Ujjawala' (₹ 3 crore), (c) for organising workshops, etc on Gender Budgeting (₹ 0.12 crore), and (d) to Central Social Welfare Board (₹ 0.50 crore).	18.02	-	18.02
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
106 युवा मामले और खेल मंत्रालय	106 Ministry of Youth Affairs and Sports			
खेल व युवा सेवा के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान संबंधी व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting additional Grants-in-aid related expenditure under Sports and Youth Services.	62.93	-	62.93
कुल सांकेतिक	Total Token	0.78	0.45	1.23
कुल जोड़	GRAND TOTAL	2,898.59	43,328.98	46,227.57
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	1,000.00	24,567.97	25,567.97
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1,897.81	18,760.56	20,658.37
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.78	0.45	1.23

विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE						
1	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.02	...	0.02	1
2.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.03	...	0.03	2-3
3.	पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	Voted	0.03	0.01	0.04	4
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY						
4	परमाणु ऊर्जा	भारित स्वीकृत	4. Atomic Energy	Charged	...	10.00	10.00	5-9
				Voted	0.02	0.04	0.06	
5	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5. Nuclear Power Schemes	Voted	111.72	12.40	124.12	10
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION						
9	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	103.12	1000.00	1103.12	11
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL						
10	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	0.01	...	0.01	12
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY						
11	वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	11. Department of Commerce	Charged	0.62	...	0.62	13-14
				Voted	4.08	...	4.08	
12	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	96.02	...	96.02	15
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
13	डाक विभाग	भारित	13. Department of Posts	Charged	0.10	...	0.10	16
14	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	436.28	...	436.28	17
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION						
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	17. Department of Food and Public Distribution	Voted	1917.08	...	1917.08	18
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE						
19.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.02	...	0.02	19-20
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE						
20.	रक्षा मंत्रालय	भारित स्वीकृत	20. Ministry of Defence	Charged	0.22	...	0.22	21-22
				Voted	241.49	0.02	241.51	
21.	रक्षा पेंशन	भारित स्वीकृत	21. Defence Pensions	Charged	3.54	...	3.54	23
				Voted	996.46	...	996.46	
22	रक्षा सेवा-थल सेना	भारित स्वीकृत	22. Defence Services - Army	Charged	110.00	...	110.00	24
				Voted	4711.37	...	4711.37	

(xx)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

23. रक्षा सेवा - नौ सेना	भारित स्वीकृत	23. Defence Services - Navy	Charged	19.82	...	19.82	25
			Voted	949.69	...	949.69	
24. रक्षा सेवा - वायु सेना	भारित स्वीकृत	24. Defence Services - Air Force	Charged	50.40	...	50.40	26
			Voted	1032.51	...	1032.51	
25. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	भारित स्वीकृत	25. Defence Ordnance Factories	Charged	3.20	...	3.20	27
			Voted	1363.56	...	1363.56	
26. रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	स्वीकृत	26. Defence Services - Research and Development	Voted	125.15	...	125.15	28
27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	27. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	0.01	0.01	29
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
30. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.02	0.02	0.04	30
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
31. पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of Environment and Forests	Voted	0.02	0.01	0.03	31-32
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
32. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	32. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	...	0.01	33
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
33. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	33. Department of Economic Affairs	Voted	360.42	0.02	360.44	34-35
34. वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	34. Department of Financial Services	Voted	2600.00	...	2600.00	36
35. विनियोग-ब्याज का भुगतान	भारित	35. Appropriation - Interest Payments	Charged	15500.20	...	15500.20	37
40. पेंशन	स्वीकृत	40. Pensions	Voted	1766.00	...	1766.00	38
41. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	41. Indian Audit and Accounts Department	Voted	146.05	...	146.05	39
42. राजस्व विभाग	स्वीकृत	42. Department of Revenue	Voted	0.02	...	0.02	40
43. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43. Direct Taxes	Voted	...	0.01	0.01	41
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	46. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.03	...	0.03	42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
47. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	भारित स्वीकृत	47. Department of Health and Family Welfare	Charged	18.47	...	18.47	43-44
			Voted	0.03	0.01	0.04	
48. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	48. Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02	...	0.02	45
50. एड्स नियंत्रण विभाग	स्वीकृत	50. Department of AIDS Control	Voted	12.01	...	12.01	46
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
51. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	51. Department of Heavy Industry	Voted	27.02	91.61	118.63	47-48
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
53. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	53. Ministry of Home Affairs	Voted	0.03	...	0.03	49
55. पुलिस	भारित स्वीकृत	55. Police	Charged	0.01	4.59	4.60	50-52
			Voted	0.02	0.02	0.04	
56. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	56. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	0.02	...	0.02	53
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
58. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	58. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.01	...	0.01	54

मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT						
59	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	59. Department of School Education and Literacy	Voted	0.03	...	0.03	55
60	उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	60. Department of Higher Education	Voted	0.04	...	0.04	56-57
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING						
61	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	...	0.01	58
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT						
62.	श्रम और रोजगार मंत्रालय		62. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.03	...	0.03	59
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
64	विधि और न्याय	स्वीकृत	64. Law and Justice	Voted	165.68	...	165.68	60
65.	विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	65. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	6.43	...	6.43	61
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.03	...	0.03	62
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
67	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	0.01	63
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
69.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	1030.75	100.00	1130.75	64-65
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
73	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.01	...	0.01	66
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
74	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	10042.72	...	10042.72	67
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING						
75.	योजना मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Planning	Voted	0.02	...	0.02	68
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER						
76	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Power	Voted	...	15.00	15.00	69
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE - PRESIDENT						
79	राज्य सभा		79. Rajya Sabha	Voted	0.01	...	0.01	70
80	विनियोग- संघ लोक सेवा आयोग	भारित	80. Appropriation - Union Public Service Commission	Charged	8.72	...	8.72	71
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
82.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	भारित स्वीकृत	82. Ministry of Road Transport and Highways	Charged	...	20.00	20.00	72-73
				Voted	611.51	...	611.51	

ग्रामीण विकास मंत्रालय			MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
83	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	83. Department of Rural Development	Voted	0.01	...	0.01	74
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
86.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग		86. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	0.01	...	0.01	75
87.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग		87. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01	76
नौवहन मंत्रालय			MINISTRY OF SHIPPING					
88.	नौवहन मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Shipping	Voted	299.36	0.02	299.38	77-78
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	89. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	0.03	...	0.03	79
अंतरिक्ष विभाग			DEPARTMENT OF SPACE					
90.	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	90. Department of Space	Voted	0.02	0.01	0.03	80
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	13.80	...	13.80	81
वस्त्र मंत्रालय			MINISTRY OF TEXTILES					
93	वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Textiles	Charged	...	55.00	55.00	82
जनजाति कार्य मंत्रालय			MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
95	जनजाति कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.02	...	0.02	83
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)			UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
96	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	96. Andaman and Nicobar Islands	Voted	31.30	0.10	31.40	84-85
97	चण्डीगढ़	स्वीकृत	97. Chandigarh	Voted	...	0.06	0.06	86-87
100	लक्षद्वीप	स्वीकृत	100. Lakshadweep	Voted	0.01	0.01	0.02	88
शहरी विकास मंत्रालय			MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
101	शहरी विकास विभाग	भारित स्वीकृत	101. Department of Urban Development	Charged Voted	... 0.01	1.00 ...	1.00 0.01	89
102	लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	102. Public Works	Voted	0.01	0.02	0.03	90
महिला और बाल विकास मंत्रालय			MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
105	महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.01	...	0.01	91
युवा मामले और खेल मंत्रालय			MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
106	युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	106. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.01	...	0.01	92
कुल जोड़			GRAND TOTAL					
		भारित स्वीकृत		Charged Voted	44917.58 15721.73 29195.85	1309.99 90.59 1219.40	46227.57 15812.32 30415.25	
अनुबंध			ANNEXURE					
			93-112					

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	21874.34	59.16	21933.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	425.04	0.01	425.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	22299.40	59.17	22358.57
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत: 2435 -Other Agricultural Programmes	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढीकरण के अन्तर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदानों (₹ 11.50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.50 करोड़) को पूरा करना।
- (ii) डीओई के केंद्रीय संस्थान को विस्तृत सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 2.06 करोड़) और वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.20 करोड़) को पूरा करना।
- (iii) कृषि नैदानिकी/कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 3.00 करोड़) को पूरा करना।
- (iv) राष्ट्रीय कृषीय बीमा योजना (एनएआईएस) के क्रियान्वयन के अंतर्गत अतिरिक्त अंशदान को पूरा करना (₹ 335 करोड़)।
- (v) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अन्तर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान को पूरा करना (₹ 49.80 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) ग्रामीण गोदामों के निर्माण के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान को पूरा करना (₹ 10.20 करोड़)।
- (ii) विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन सूचना नेटवर्क के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान को पूरा करना (₹ 27.40 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) meeting additional Grants-in-aid General (₹ 11.50 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 3.50 crore) under Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for production and Distribution of Seeds.
- (ii) meeting additional Grants-in-aid General (₹ 2.06 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.20 crore) under Extension Support to Central Institute of DOE;
- (iii) meeting additional Grants-in-aid General (₹ 3.00 crore) under Establishment of Agri clinic/Agri Business Centres;
- (iv) meeting additional contribution under Implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS) (₹ 335 crore).
- (v) meeting additional Grants-in-aid General under National Horticulture Board (₹ 49.80 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting additional Grants- in-aid General under Construction of Rural Godowns (₹ 10.20 crore).
- (ii) meeting additional Grants- in- aid General under Marketing Research, Survey and Marketing Information Network (₹ 27.40 crore);
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5729.17	...	5729.17
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमान:	now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5729.20	...	5729.20
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत: 2415 -Agricultural Research and Education	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) कृषि विस्तार संस्थान (₹ 44.68 करोड़), कृषि में बुनियादी, कार्यनीतिक तथा सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय कोष (₹ 10.47 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 4.68 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य अनुदान सहायता।
- (ii) शस्य विज्ञान संस्थान (₹ 0.06 करोड़), बागबानी संस्थान (₹ 1.37 करोड़), कृषि विस्तार संस्थान (₹ 15.73 करोड़), कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 1.50 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 1.65 करोड़), मत्स्य पालन संस्थान (₹ 0.15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगना संघटक हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य अनुदान सहायता।
- (iii) कृषि में बुनियादी, कार्यनीतिक तथा सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय कोष (24.90 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
- (iv) बागबानी संस्थान (₹ 0.63 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 0.35 करोड़) स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगना हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
- (v) कृषि शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन हेतु अनुदान सहायता (₹ 1.38 करोड़)।
- (vi) उत्कृष्ट संस्थानों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.00 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 44.68 crore), National fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 10.47 crore), Other Natural Resource Management Institutes (₹ 4.68 crore).
- (ii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Tribal Area Sub-Plan component under the scheme Crop Sciences Institutes (₹ 0.06 crore), Horticulture Institutes (₹ 1.37 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 15.73 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 1.50 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 1.65 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.15 crore).
- (iii) Grants for creation of capital assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme National fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 24.90 crore).
- (iv) Grants for creation of capital assets to Indian Council of Agricultural Research for Tribal Area Sub-Plan under the scheme Horticulture Institutes (₹ 0.63 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.35 crore).
- (v) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Education Institutes (₹ 1.38 crore).
- (vi) Grants for creation of Capital Assets to Institutes of Eminence (₹ 1.00 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत राशि पर विचार करते हुए निम्नलिखित हेतु सांकेतिक पूरक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i) कृषि अर्थ तथा सांख्यिकी संस्थान (₹ 0.03 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन (₹ 2.73 करोड़) तथा एपी उपकर अधिनियम 1940 के अंतर्गत निवल कार्यवाहियों के भुगतान (₹ 0.45 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य अनुदान सहायता। (ii) शस्य विज्ञान संस्थान (₹ 0.27 करोड़), मत्स्य पालन संस्थान (₹ 1.15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (iii) शस्य विज्ञान संस्थान (₹ 0.21 करोड़), बागबानी संस्थान (₹ 0.66 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 0.81 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन (₹ 1.24 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 1.26 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (₹ 2.09 करोड़) मत्स्य पालन संस्थान (₹ 0.07 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन हेतु अनुदान सहायता। (iv) अंतराष्ट्रीय संगठनों को भारत का सदस्यता अंशदान (₹ 0.65 करोड़)।	(b) (i) Grants-in-aid-General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Economics and Statistics Institutes (₹ 0.03 crore), Indian Council of Agricultural Research Headquarter Admn. (₹ 2.73 crore) and Payment of net proceeds of AP Cess Act 1940 (₹ 0.45 crore). (ii) Grants for creation of capital assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Sciences Institutes (₹ 0.27 crore), Fisheries Institutes (₹ 1.15 crore). (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 0.21 crore), Horticulture Institutes (₹ 0.66 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.81 crore), Indian Council of Agricultural Research Headquarter Admn. (₹ 1.24 crore), Other Natural Resource Management Institutes (₹ 1.26 crore), Animal Science Institutes (₹ 2.09 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.07 crore). (iv) India's Membership contributions to International Organisations (₹ 0.65 crore).
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत राशि पर विचार करते हुए निम्नलिखित हेतु सांकेतिक पूरक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) (i) कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 1.07 करोड़), राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन परियोजना (₹ 6.35 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य अनुदान सहायता। (ii) कृषि विस्तार संस्थान (₹ 0.10 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 0.28 करोड़), स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (iii) कृषि विस्तार संस्थान (₹ 7.65 करोड़), कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (₹ 0.65 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन हेतु अनुदान सहायता। (iv) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.39 करोड़)। (v) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15.54 करोड़)। (vi) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल को वेतन हेतु सहायता अनुदान (₹ 5.06 करोड़)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत राशि पर विचार करते हुए निम्नलिखित हेतु सांकेतिक पूरक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।	(c) (i) Grants-in-aid-General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Engineering Institutes (₹ 1.07 crore), National Agricultural Innovation Project (₹ 6.35 crore). (ii) Grants for creation of capital assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 0.10 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.28 crore), (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 7.65 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.65 crore). (iv) Grants-in-aid-General to Central Agricultural University, Imphal (₹ 0.39 crore). (v) Grants for creation of capital assets to Central Agricultural University, Imphal (₹ 15.54 crore). (vi) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Imphal (₹ 5.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	2534.47	26.74	2561.21	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.01	0.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2534.50	26.75	2561.25	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2403 - पशु पालन	स्वीकृत: 2403 -Animal Husbandry	Voted: 0.01 (कa)	...	0.01	
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत: 2404 -Dairy Development	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.03	...	0.03	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4405 - Capital Outlay on Fisheries	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.04	...	0.04	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पाउल्ट्री वेंचर कैपिटल फण्ड (₹ 27.00 करोड़) की योजनाओं में सामान्य अनुदान सहायता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) डेरी उद्यमशीलता विकास (₹ 23.40 करोड़) तथा गुणवत्ता परक तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुदृढीकरण (₹ 2.63 करोड़) की योजनाओं के लिए सामान्य अनुदान सहायता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) इन योजनाओं को सामान्य अनुदान सहायता (i) नेशनल प्रोजेक्ट आन कैटल, बुफैलो ब्रीडिंग (₹ 7.00 करोड़), (ii) इंटेसिव डेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम (₹ 3.00 करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर राज्यों में पिंगरी विकास (₹ 4.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(घ) कोचीन में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर के चल रहे वर्टिकल एक्सटेंशन के प्रमुख निर्माण कार्य हेतु (₹ 1.40 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) Grants-in-aid General in the schemes of Poultry Venture Capital Fund (₹ 27.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid General in the schemes of Dairy Entrepreneurship Development (₹ 23.40 crore) and Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production (₹ 2.63 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Grants-in-aid General in the schemes of (i) National Project on Cattle, Buffalo Breeding (₹ 7.00 crore), (ii) Intensive Dairy Development Programme (₹ 3.00 crore) and (iii) Piggery Development (₹ 4.00 crore) for North Eastern States. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) Major Works for construction of ongoing vertical extension of 3rd floor of Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Trainee Building at Cochin (₹ 1.40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:	Voted: 6636.35	4111.29	10747.64
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.03	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: ...	10.00	10.00
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.04	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6637.39	4122.36	10759.75
	भारित:	Charged: 1.00	11.00	12.00
	स्वीकृत:	Voted: 6636.39	4111.36	10747.75
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत: 3401 -Atomic Energy Research	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Charged: 10.00 (गc)	...	10.00
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (घd)	0.01 (ङe)	0.02
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research	Voted: 0.01 (चf)	0.01 (छg)	0.02
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	10.02	0.02	10.04
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	10.03	0.03	10.06
	भारित:	Charged: 10.00	...	10.00
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	0.03	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) इनके संबंध में अतिरिक्त, व्यय को पूरा करना (i) बोर्ड आफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 19 करोड़) (ii) निम्न को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) "रीजन सेन्टर फार एक्सीलेटर बेसड पार्टिकल फिजिक्स (आरईसीएपीपी) परियोजना हेतु हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद को (₹ 0.23 करोड़)। (2) "एनसीबीएस II फार कामन गुड्स के लिए टाटा इंस्टीट्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च (₹ 4.90 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) रेडियोलोजी सुविधाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के तहत नए खोले गए शीर्ष के तहत खर्च पूरा करना

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General for Board of Research in Nuclear Sciences (₹ 19 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets to (1) Harish Chandra Reserch Institute, Allahabad for the Project "Region Centre for Accelerator Based Particle Physics (RECAPP) (₹ 0.23 crore), (2) Tata Institute of Fundamental Research for the project 'NCBS II for the common Goods (Infrastructure Service)' (₹ 4.90 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting expenditure under newly opened head under Indira Gandhi Centre for Atomic Research for Operation and

(₹ 1 करोड़)। (ii) सामान्य सेवा संगठन के लिए मशीनरी और उपकरण (Rs 0.04 करोड़)। (iii) निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करना (1) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च को वेतन सहायता अनुदान (₹ 14.68 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.33 करोड़) के लिए (2) टाटा मैमोरियल हास्पिटल को वेतन सहायता अनुदान (₹ 7.11 करोड़) (3) साहा इंस्टिट्यूट आफ न्यूक्लियर साइंस को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.43 करोड़) (4) गणित विज्ञान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.56 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.35 करोड़) (5) हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.08 करोड़) (6) इंस्टिट्यूट आफ प्लाज्मा रिसर्च को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.36 करोड़) (7) परमाणु ऊर्जा शिक्षा विद्यालय को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.33 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.87 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) 'आरएमपी मैसूर में अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन क्षमता का विस्तार' परियोजना के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए बढ़ी प्रतिपूर्ति के व्यय को पूरा करना।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

- (घ) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) मशीनरी व टांम्बे में उपकरण हेतु थोरियम विलयन भण्डारण सुविधा (₹ 1.25 करोड़), (ii) मशीनरी व उपकरणों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन व पुनः प्रोसेसिंग संयंत्रों में तकनीक का विकास व इसे अपनाना (₹ 0.02 करोड़), (iii) प्रमुख कार्यों के संबंध में डीडियू आक्साइड और संघटकों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से डीडियू धातु इनगोट का उत्पादन (₹ 0.67 करोड़), (iv) मशीनरी व उपकरणों के लिए यू-मेटल उत्पादन सुविधा का प्रोसेस इंटीग्रेशन और ई-इंजीनियरिंग (₹ 0.28 करोड़), (v) निम्नलिखित के लिए कोरल सुविधा के रिफर्बिशमेंट हेतु डीएफआरपी के लिए स्वतंत्र सुरक्षा प्रणाली मुहैया करना (1) मशीनरी और उपकरण (₹ 1 करोड़), और (2) प्रमुख कार्य (₹ 0.34), (vi) प्रमुख कार्यों के संबंध में सोडियम ब्रांडेड मेटेलिक फ्यूल फेब्रिकेशन के लिए प्रदर्शन सुविधा (₹ 2.06 करोड़), (vii) प्रमुख कार्यों के संबंध में पीएफबीआर और एफबीटीआर रिप्रोसेसिंग के लिए संचालन विशेषताओं में बढ़ोतरी (₹ 2.06 करोड़), (viii) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में न्यू जिरकोनियम आक्साइड और स्पान्ज प्लान्ट, पाजयाकायल (₹ 0.11 करोड़), (ix) प्रमुख कार्यों के संबंध में माडर्नाइजेशन एण्ड आगमेंटेशन आफ जार्कोलजी फेब्रिकेशन और फ्यूल फेब्रिकेशन सुविधा (एमएजेड4एफ) (₹ 0.21 करोड़), (x) मशीनरी व उपकरणों के लिए एलडब्ल्यूआर के लिए प्रोटोटाइप ईंधन के संघटकों के विनिर्माण हेतु विकासात्मक कार्य (डीडब्ल्यूपीएफसी-एलडब्ल्यूआर) (₹ 0.02 करोड़), (xi) प्रमुख कार्यों हेतु अपशिष्ट प्रबंध सुविधाओं की बढ़ोतरी (एडब्ल्यूएमएफ) (₹ 0.28 करोड़), (xii) प्रमुख कार्यों के संबंध में भारी जल संयंत्रों (एचडब्ल्यूपी) में छोटे-मोटे आशोधन (₹ 1.11 करोड़), (xiii) प्रमुख कार्यों के संबंध में एचडब्ल्यूपी, बड़ौदा की रिवेपिंग व आधुनिकीकरण (₹ 1 करोड़), (xiv) प्रमुख कार्यों के संबंध में एचडब्ल्यूपी, मानुगुसकी रिवेपिंग और आधुनिकीकरण (₹ 0.51 करोड़), (xv) प्रमुख कार्यों के संबंध में और 18 जल उत्पादन संयंत्रों की संस्थापना (₹ 0.32 करोड़), (xvi) प्रमुख कार्यों के संबंध में दुर्लभ सामग्रियों के उत्पादन हेतु परियोजना पूर्व कार्यकलाप (₹ 0.94 करोड़), (xvii) प्रमुख कार्यों के संबंध में तकनीकी विकास के लिए नाभिकीय ग्रेड सोडियम जांच सुविधा (₹ 0.39 करोड़), (xviii) प्रमुख कार्यों के संबंध में

Maintenance of Radiological Facilities (₹ 1 crore), (ii) Machinery and Equipments for General Service Organisation (Rs 0.04 crore), (iii) meeting additional expenditure in respect of (1) Tata Institute of Fundamental Research towards Grants-in-aid Salary (₹ 14.68 crore) and Grants-in-aid General (₹ 1.33 crore), (2) Tata Memorial Hospital towards Grants-in-aid Salary (₹ 7.11 crore), (3) Saha Institute of Nuclear Physics towards Grants-in-aid General (₹ 0.43 crore), (4) Institute of Mathematical Science towards Grants-in-aid Salary (₹ 1.56 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.35 crore), (5) Harish Chandra Research Institute towards Grants-in-aid Salary (₹ 1 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.08 crore), (6) Institute of Plasma Research towards Grants-in-aid General (₹ 0.36 crore), (7) Atomic Energy Education School towards Grants-in-aid Salary (₹ 0.33 crore) and Grants-in-aid General (₹ 3.87 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) meeting expenditure on enhanced compensation for land acquired by Bhabha Atomic Research Centre, Mysore for the project 'Establishment of infrastructure facilities and expansion of Production capacities at RMP Mysore'.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (d) meeting additional expenditure for (i) Thorium Solution Storage Facility at Trombay for Machinery & Equipments (₹ 1.25 crore), (ii) Development of Technology and adoption in waste management and reprocessing plants for Machinery & Equipments (₹ 0.02 crore), (iii) Production of DDU metal ingot from DDU oxide and Electroplating of components on Major Works (₹ 0.67 crore), (iv) Process Integration and e-Engineering of U-metal production facility for Machinery & Equipments (₹ 0.28 crore), (v) Providing Independent Safety System for DFRP for Refurbishment of Coral Facility for (1) Machinery & Equipment (₹ 1 crore), and (2) Major Works (₹ 0.34 crore), (vi) Demonstration Facility For Sodium Bonded Metallic Fuel Fabrication on Major Works (₹ 2.06 crore), (vii) Enhancement of operational features for PFBR and FBTR Fuel Reprocessing on Major Works (₹ 2.06 crore), (viii) New Zirconium Oxide & Sponge Plant, Pazhayakayal on Machinery & Equipment (₹ 0.11 crore), (ix) Modernisation and augmentation of Zircaloy Fabrication and Fuel Fabrication facility (MAZ4F) on Major Works (₹ 0.21 crore), (x) Developmental work for manufacture of Prototype Fuel Components for LWRs (DWPFC-LWR) for Machinery & Equipment (₹ 0.02 crore), (xi) Augmentation of Waste Management Facilities (AWMF) for Major Works (₹ 0.28 crore), (xii) Minor Modifications to Heavy Water Plants (HWP) on Major Works (₹ 1.11 crore), (xiii) Revamping and Modernisation of HWP, Baroda on Major Works (₹ 1 crore), (xiv) Revamping and Modernisation of HWP, Manuguru on Major Works (₹ 0.51 crore), (xv) Installation of O18 water production Plant on Major Works (₹ 0.32 crore), (xvi) Pre-project Activities for production of rare material on Major Works (₹ 0.94 crore), (xvii) Nuclear grade

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

तकनीक व नवप्रवर्तन सुविधा (₹ 5.68 करोड़), (xix) प्रमुख कार्यों के संबंध में संचालित एचडब्ल्यूपी की एजिंग प्रबंधन व सिस्टम का अपग्रेडेशन (₹ 3.82 करोड़), (xx) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में थोरियम व जिर्कोनियम संसाधनों की बढ़ोतरी (₹ 0.70 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ड) भारी जल संयंत्र, कोटा के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.35 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (च) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (1) मशीनरी व उपकरणों संबंधी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (₹ 0.64 करोड़), (2) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एडवांस्ड नाभिकीय रिएक्टर विकास (₹ 0.30 करोड़), (3) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में विजाग में उच्च तापमान रिएक्टर विकास कार्यक्रम (₹ 0.30 करोड़), (4) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में बैंक-एंड प्रोसेस में अनुसंधान व विकास (₹ 2.50 करोड़), (5) प्रमुख कार्यों के संबंध में कंप्यूटिंग पावर और कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी (₹ 0.57 करोड़), (6) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में सुरक्षा संबंधी अनुसंधान (₹ 0.14 करोड़), (7) प्रमुख कार्यों के संबंध में नाभिकीय कृषि (₹ 3.40 करोड़), (8) प्रमुख कार्यों के संबंध में आइसोटोप्स और रेडिएशन तकनीकें (₹ 1.18 करोड़), (9) मशीनरी व उपकरणों (₹ 2.59 करोड़), और प्रमुख कार्यों (₹ 0.68 करोड़) के संबंध में एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीकें, (10) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एक्सलरेटर व एडीएस तकनीकें (₹ 1.49 करोड़), (11) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एडीएस ड्राइवर के फ्रंट-एंड के लिए लो एनर्जी इंटेन्सिटी प्रोटॉन एक्सलरेटर (एलईएचआईजीए) (₹ 0.60 करोड़), (12) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में हाइड्रोजन ऊर्जा (₹ 1.55 करोड़), (13) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में विशेष सामग्रियों का विकास (₹ 0.50 करोड़), (14) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एडवांस्ड फंक्शनल सामग्रियां (₹ 10.83 करोड़), (15) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में उच्च तापमान सामग्रियां (₹ 4.71 करोड़), (16) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में (₹ 1.84 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 1.28 करोड़) के संबंध में विनिर्माण तकनीकें, (17) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नाभिकीय भौतिकी में फ्रंटियर क्षेत्रों में शोधन (₹ 0.72 करोड़), (18) प्रमुख कार्यों के संबंध में विद्यमान इंजीनियरिंग सेवाओं का अपग्रेडेशन (₹ 3.90 करोड़), (19) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में अपशिष्ट प्रबंधन उपकरणों हेतु एडवांस्ड प्रक्रियाओं व उपकरणों का विकास (₹ 0.75 करोड़), (20) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में सुरक्षित कंप्यूटिंग, संप्रेषण व सूचना प्रवक्तियों के नए प्रतिमानों का विकास व प्रयोग (₹ 12.50 करोड़), (21) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नाभिकीय व रेडिओलॉजी आपात सेवाओं हेतु राष्ट्र स्तरीय तैयारी का विकास (₹ 0.51 करोड़), (22) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में पीएचडब्ल्यूआर, एचडब्ल्यूआर और सीएचटीआर संबंधी सुरक्षा अध्ययन (₹ 0.23 करोड़), (23) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एलआईएस तकनीकें (₹ 1.13 करोड़), (24) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में विशेष सामग्रियों का शोध व विकास (₹ 0.70 करोड़), (25) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में विनिर्माण सुविधाओं का अपग्रेडेशन और विशेष प्रयोजन हेतु हैक्सोपॉड्स का विकास (₹ 1.30 करोड़), (26) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में ईंधन विकास, कैरेक्टराईजेशन व फैब्रिकेशन की सुविधाएं (₹ 0.75 करोड़), (27) नाभिकीय ईंधन चक्र हेतु रोबोटिक्स और आटोमेशन (₹ 0.50 करोड़), (28) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एफबीआर के लिए इंजीनियरिंग विकास और जांच (₹ 0.10 करोड़), (29) अत्याधुनिक आधुनिक डिजाइन के कार्यालय (₹ 0.01 करोड़), (30) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एफबीआर ईंधन रि-प्रोसेसिंग में शोध व

Sodium Test Facility for Technology Development on Major Works (₹ 0.39 crore), (xviii) Technology and Innovation facility on Major Works (₹ 5.68 crore), (xix) Ageing Management and System Upgradation in operating HWRs on Major Works (₹ 3.82 crore), (xx) Augmentation of Thorium and Zirconium Resources on Machinery & Equipment (₹ 0.70 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure in respect of Heavy Water Plant, Kota towards Grants-in-aid General (₹ 0.35 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(f) meeting additional expenditure for the projects (1) Atomic Energy Regulatory Board on Machinery & Equipments (₹ 0.64 crore), (2) Advanced Nuclear Reactor Development on Machinery & Equipments (₹ 0.30 crore), (3) High Temperature Reactor Development Programme at Vizag on Machinery & Equipments (₹ 0.30 crore), (4) R&D in Back-End Processes on Machinery & Equipments (₹ 2.50 crore), (5) Enhancement of Computing Power And Connectivity on Major Works (₹ 0.57 crore), (6) Safety Related Research on Machinery & Equipments (₹ 0.14 crore), (7) Nuclear Agriculture on Major Works (₹ 3.40 crore), (8) Isotopes & Radiation Technologies on Major Works (₹ 1.18 crore), (9) Advanced Electromagnetic Technologies on Machinery & Equipments (₹ 2.59 crore), and Major Works (₹ 0.68 crore), (10) Accelerator & ADS Technologies on Machinery & Equipments (₹ 1.49 crore), (11) Development Of Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) For Front-End Of ADS Driver on Machinery & Equipments (₹ 0.60 crore), (12) Hydrogen Energy on Machinery & Equipments (₹ 1.55 crore), (13) Special Materials Development on Machinery & Equipments (₹ 0.50 crore), (14) Advanced Functional Materials on Machinery & Equipments (₹ 10.83 crore), (15) High Temperature Materials on Machinery & Equipments (₹ 4.71 crore), (16) Manufacturing Technologies on Machinery & Equipments (₹ 1.84 crore) and Major Work (₹ 1.28 crore), (17) Research In Frontier Areas In Nuclear Physics on Machinery & Equipments (₹ 0.72 crore), (18) Upgradation of Existing Engineering Services on Major Works (₹ 3.90 crore), (19) Development Of Advanced Processes & Equipment For Waste Management Applications on Machinery & Equipments (₹ 0.75 crore), (20) Development And Deployment Of New Paradigms Of Secure Computing, Communication and Information Systems on Machinery & Equipments (₹ 12.50 crore), (21) Development Of National Level Preparedness For Nuclear & Radiological Emergencies on Machinery & Equipments (₹ 0.51 crore), (22) Safety Studies Related To PHWR, AHWR And CHTR on Machinery & Equipments (₹ 0.23 crore), (23) LIS Technologies on Machinery & Equipments (₹ 1.13 crore), (24) Research And Development of Special Materials on Machinery & Equipments (₹ 0.70 crore), (25) Upgradation of Manufacturing Facilities and Development of Special Purpose Hexapods on Machinery & Equipments (₹ 1.30

विकास (₹ 0.67 करोड़), (31) रेडियोलॉजी सुरक्षा अध्ययन (₹ 0.45 करोड़), (32) प्रमुख कार्यों के संबंध में आईजीसीएआर प्रशिक्षण स्कूल (₹ 0.10 करोड़), (33) प्रमुख कार्यों के संबंध में आईजीसीएआर संयंत्र स्थल पर अवसंरचना सुविधाएं (₹ 0.20 करोड़), (34) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में बैक एंड ईंधन चक्र के लिए नए विकल्प (₹ 1.17 करोड़), (35) मशीनरी व उपकरणों (₹ 2.02 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.40 करोड़), के संबंध में तीव्र रिएक्टर ईंधन रि-प्रोसेसिंग हेतु प्रेसेस उपकरण व प्रणाली विकास की सुविधाओं में बढ़ोतरी (36) प्रमुख कार्यों के संबंध में एफबीआर डिजाइन और मूल शोध हेतु हाई पर्फार्मेंस कंप्यूटिंग और डाटा संप्रेषण सुविधाएं (₹ 1 करोड़), (37) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एफबीआर डिजाइन और रि-प्रोसेसिंग संयंत्र हेतु कंप्यूटर आधारित आई एंड सी सिस्टम का विकास (₹ 1.28 करोड़), (38) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में सीएफबीआर हेतु संघटकों की जांच (₹ 0.05 करोड़), (39) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.60 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.01 करोड़) के संबंध में आधारभूत समझ व एप्लीकेशन के फेरोफ्लुइड नैनोफ्लुइड्स विकास की उन्नत सुविधाएं, (40) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एफबीआरएस और ईंधन चक्र सुविधाओं के लिए रिमोट हैंडलिंग, रोबोटिक्स, एनडीई और आईएसआई औजारों का इंटेग्रेशन कार्य निष्पादन मूल्यांकन और विकास (₹ 0.40 करोड़), (41) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नाभिकीय माप आपूर्ति प्रणाली के लिए उच्च कार्य निष्पादन सामग्रियां और फैब्रिकेशन तकनीकें (₹ 0.35 करोड़), (42) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नवीन सामग्री प्रोपर्टिज साइंस और एप्लीकेशन का अन्वेषण (₹ 3.10 करोड़), (43) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में आयन बीमों व कंप्यूटरों का प्रयोग कर सामग्रियों का अनुसंधान (₹ 0.66 करोड़), (44) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में उन्नत कोटिंग और सेंसरों हेतु नैनो सामग्रियों से नैनो संरचनाएं (₹ 7.45 करोड़), (45) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में नवप्रवर्तन कारी एसएफआर डिजाइन का वैधकरण और सुरक्षा प्रदर्शन (₹ 0.95 करोड़), (46) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में कैलिब्रेशन, सिम्युलेशन, एक्सिडेंट डोसिमिटी, रेडिएशन सुरक्षण और अनुसंधान संबंधी स्वास्थ्य भौतिक सेवाओं व विकास कार्यक्रमों की बढ़ोतरी (₹ 1.20 करोड़), (47) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में इंडस एक्सलरेटर्स का सुधार (₹ 1.25 करोड़), (48) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एसएनएस हेतु उच्च करंट प्रोटॉन व इंजेक्टर (₹ 2.20 करोड़), (49) मशीनरी व उपकरण (₹ 1.39 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.64 करोड़) के संबंध में प्रोटॉन व सिंक्रोटोन उप-प्रणालियां, (50) प्रमुख कार्यों के संबंध में एडवांस्ट एक्सलरेटर उप-प्रणालियों के मूल्यांकन व क्वालिफिकेशन हेतु अवसंरचना (₹ 0.19 करोड़), (51) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एडवांस्ट इंटरनेशनल एक्सलरेटर प्रोग्राम जैसे एक्स-रे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर (एक्सएफईएल) और अंतर्राष्ट्रीय लिनियर कोलाइडर (आईएलसी) में भागीदारी (₹ 0.10 करोड़), (52) मशीनरी व उपकरण (₹ 0.47 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.22 करोड़) के संबंध में अवसंरचना विकास फेस-V, (53) कुछ विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अपग्रेडेशन (₹ 0.35 करोड़), (54) मशीनरी व उपकरण (₹ 1.66 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.05 करोड़) के संबंध में इन्सर्शन डिवाइसेस वाले इंडस-2 का कार्यनिष्पादन बढ़ाना और विभिन्न उप-प्रणालियों का अपग्रेडेशन, (55) प्रमुख कार्यों के संबंध में सामग्री अनुसंधान में इन्फ्रा रेड फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर आधारित बीम लाइने और उनके अनुप्रयोग (₹ 0.10 करोड़), (56) मशीनरी व उपकरण (₹ 0.40 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.35 करोड़) के संबंध में कंप्यूटर, संप्रेषण व सूचना प्रणालियों का विकास और प्रयोग, (57) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में इंडस सिंक्रोटोन प्रयोगकर्ता सुविधाओं की बढ़ोतरी (₹ 2 करोड़), (58) मशीनरी उपकरण (₹ 0.25 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.10 करोड़) के संबंध में हाई एनर्जी प्रोटोन लिनाक व बेस्ड स्पेलेशन न्यूट्रॉन सोर्स हेतु अनुसंधान व विकास कार्यक्रम, (59) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.01 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.01 करोड़) के संबंध में विभिन्न एप्लीकेशन्स के लिए ट्रांसेलिंग

(₹ 0.75 करोड़), (26) Facilities For Fuel Development, Characterisation and Fabrication on Machinery & Equipments (₹ 0.75 crore), (27) Robotics And Automation For Nuclear Fuel Cycle on Machinery & Equipments (₹ 0.50 crore), (28) Engineering Development And Testing For FBR on Machinery & Equipments (₹ 0.10 crore), (29) State Of Art Modern Design Office on Major Works (₹ 0.01 crore), (30) R&D in FBR Fuel Reprocessing on Machinery & Equipments (₹ 0.67 crore), (31) Radiological Safety Studies on Major Works (₹ 0.45 crore), (32) IGCAR Training school on Major Works (₹ 0.10 crore), (33) Infrastructure Facilities at IGCAR Plant Site on Major Works (₹ 0.20 crore), (34) Novel Options For Back End Fuel Cycle on Machinery & Equipments (₹ 1.17 crore), (35) Augmentation of Facilities for Process, Equipment And System Development For Fast Reactor Fuel Reprocessing on Machinery & Equipments (₹ 2.02 crore) and Major Works (₹ 0.40 crore), (36) High Performance Computing & Data Communication Facilities for FBR Design And Basic Research on Major Works (₹ 1 crore), (37) Development of Computer Based I&C Systems For FBR and Reprocessing Plant on Machinery & Equipments (₹ 1.28 crore), (38) Testing Of Components For CFBR on Machinery & Equipments (₹ 0.05 crore), (39) Advanced Facilities For Ferrofluids/Nanofluids Development for Fundamental Understanding and Applications on Machinery & Equipments (₹ 0.60 crore) and Major Works (₹ 0.01 crore), (40) Irradiation Performance Assessment And Development of Remote Handling, Robotics, NDE And ISI Tools For Fbrs And Fuel Cycle Facilities on Machinery & Equipments (₹ 0.40 crore), (41) High Performance Materials And Fabrication Technologies For Nuclear Steam Supply System on Machinery & Equipments (₹ 0.35 crore), (42) Exploration of novel material properties Science and Applications on Machinery & Equipments (₹ 3.10 crore), (43) Materials research using ion beams and Computers on Machinery & Equipments (₹ 0.66 crore), (44) Nanomaterials to nanostructures for improved coatings and sensors Machinery & Equipments (₹ 7.45 crore), (45) Design Validation and Safety Demonstration of innovative SFR on Machinery and Equipment (₹ 0.95 crore), (46) Augmentation of Health Physics Services and Development Activities related to Calibration, Simulation, Accident Dosimetry, Radiation safety and Research on Machinery & Equipment (₹ 1.20 crore), (47) Improvements In Indus Accelerators on Machinery & Equipment (₹ 1.25 crore), (48) High Current Proton Injector Linac for SNS on Machinery & Equipment (₹ 2.20 crore), (49) Proton Synchrotron Sub-Systems on Machinery & Equipment (₹ 1.39 crore) and Major Works (₹ 0.64 crore), (50) Infrastructure For Evaluation & Qualification Of Advanced Accelerator Sub-System on Major Works (₹ 0.19 crore), (51) Participation In Advanced International Accelerator Programme Like X-Ray Free Electron Laser (XFEL) & International Linear Collider (ILC) on Machinery & Equipment (₹ 0.10 crore), (52) Infrastructure Development Phase-V on Machinery & Equipment (₹ 0.47 crore) and Major Works (₹ 0.22 crore), (53) Upgradation of some existing infrastructure facilities on Major Works (₹ 0.35 crore), (54)

वैव लाइनेक्स का स्वेदीशी डिजाइन और कंप्यूटर का विकास, (60) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.01 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.01 करोड़) के संबंध में आरआरसीएटी पर सीआईएसएफ इंडक्शन हेतु हाउसिंग व अवसंरचना, (61) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में यूरेनियम के अन्वेषण हेतु एयरबोर्न और ग्राउंड जियोफिजिकल सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस अध्ययन (₹ 0.20 करोड़), (62) प्रमुख कार्यों के संबंध में ओल्ड हाउस फेस- की बहाली नवप्रवर्तन (₹ 0.01 करोड़), (63) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में लौह आक्साइड बैकिंग, क्यूपी सी, सैंड स्टोन और केलक्रीट किस्म का डिपोजिट (₹ 0.49 करोड़), (64) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में रासायनिक इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान जीआई-यूआईसीटी केंद्र (₹ 0.01 करोड़), (65) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में बीएआरसी, कैपस, विजाग में 125 मैगावाट के तापीय अनुसंधान रिएक्टर संबंधी विकासात्मक कार्यकलाप (₹ 0.02 करोड़), (66) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.02 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.03 करोड़) के संबंध में बीएआरसी कैपस, विजाग पर हाई फ्लक्स अनुसंधान रिएक्टर संबंधी विकासात्मक कार्यकलाप, (67) मशीनरी व उपकरणों (₹ 0.02 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.02 करोड़) के संबंध में अनुसंधान रिएक्टर परियोजना, ट्राम्बे हेतु अवसंरचना विकास, यूटीलिटी और सीएनआई, (68) प्रमुख कार्यों के संबंध में सोडियम तकनीक कांप्लैक्स (₹ 5.11 करोड़), (69) मशीनरी व उपकरणों के संबंध में एनएट और डीआई ग्रिड की बढ़ोतरी (₹ 1.61 करोड़), (70) मशीनरी व उपकरण (₹ 1 करोड़) और प्रमुख कार्यों (₹ 0.99 करोड़) के संबंध में भारत आधारित न्यूट्रिनों आब्जर्वेटरी।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (छ) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.30 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Performance Enhancement of Indus-2 with Insertion Devices & Upgradation of various Sub-Systems on Machinery & Equipment (₹ 1.66 crore) and (Major Works ₹ 0.05 crore), (55) Infra-Red Free Electron Laser Based Beam Lines & their Applications in Materials Research on Major Works (₹ 0.10 crore), (56) Development and Deployment of Computer, Communication and Information Systems on Machinery & Equipment (₹ 0.40 crore) and Major Works (₹ 0.35 crore), (57) Enhancement of Indus Synchrotron User Facility on Machinery & Equipment (₹ 2 crore), (58) R&D Activities for High Energy Proton Linac Based Spallation Neutron Source on Machinery & Equipment (₹ 0.25 crore) and Major Works (Rs 0.10 crore) , (59) Development of Indigenous Des. & Comp. of Travelling wave Electron linacs for various applications on Machinery and Equipments (₹ 0.01 crore) and Major Works (₹ 0.01 crore), (60) Housing & Infrastructure for CISF induction at RRCAT on Machinery & Equipments (₹ 0.01 crore) and Major Works (₹ 0.01 crore), (61) Airborne & Ground Geophysical Surveys, Remote Sensing & GIS Studies for Exploration of Uranium on Machinery & Equipments (₹ 0.20 crore), (62) Restoration/Renovation of old houses Phase II on Major Works (₹ 0.01crore), (63) Uranium investigations for Iron Oxide Breccia, QPC, Sand stone and Calcrete type of deposits on Machinery and Equipments (₹ 0.49 crore), (64) DAE-UICT Centre for Chemical Engineering Education & Research on Machinery & Equipment (₹ 0.01 crore), (65) Developmental Activities related to 125 MW Thermal Research Reactor at BARC Campus, Vizag on Machinery and Equipment (₹ 0.02 crore), (66) Developmental Activities related to High Flux Research Reactor at BARC Campus, Vizag on Machinery & Equipment (₹ 0.02 crore) and Major Works (₹ 0.03 crore), (67) Infrastructural Development, Utilities & CNI for Research Reactor Project, Trombay on Machinery & Equipment (₹ 0.02 crore) and Major Works (₹ 0.02 crore), (68) Sodium technology complex on Major Works (₹ 5.11 crore), (69) Enhancement of Anunet and DAE Grid on Machinery and Equipment (₹ 1.61 crore), (70) India based Neutrino Observatory on Machinery and Equipments (₹ 1 crore) and Major Works (₹ 0.99 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure for the projects 'R&D Facilities' towards Machinery and Equipments (₹ 0.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 5

न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं

NUCLEAR POWER SCHEMES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3943.15	297.67	4240.82	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	111.72	12.40	124.12	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4054.87	310.08	4364.95	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted:	...	111.72 (का)	111.72
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted:	12.40 (खब)	...	12.40
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	12.40	111.72	124.12

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801 - Capital Outlay on Power Projects	(-) 24.48	...	(-) 24.48	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) बढ़ी स्वदेशी आपूर्ति एवं विदेशों से ईंधन की खरीद पर अतिरिक्त व्यय (₹ 267.85 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों और बढ़ी प्राप्तियों के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

(ख) मैसर्स भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमि. में निवेश के लिए अतिरिक्त व्यय।

बढ़ी वसूलियों के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) additional expenditure (₹ 267.85 crore) on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas countries.

Taking into account savings available in the Revenue Section of the Grant and enhanced receipts, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) additional expenditure towards investment in M/s Bharitiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited.

Taking into account the enhanced recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	852.42	5029.80	5882.22
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	30.00	30.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	103.12	1000.00	1103.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	955.56	6059.80	7015.36
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 -Civil Aviation	Voted: ...	103.12 (का)	103.12
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053 - नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted: 1000.00 (खब)	...	1000.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 1000.00	103.12	1103.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराना:- (i) एयरपोर्ट इकनॉमिक रेग्युलेटरी आथोरिटी (₹ 1 करोड़), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अर्बन अकादमी (₹ 5.10 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान (ii) (₹ 101.26 करोड़ की हज सब्सिडी हेतु अनुदान; और (iii) नागर विमानन महानिदेशालय हेतु वेतन के कारण (₹ 0.88 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक प्रतीकात्मक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) एयर इंडिया को इक्विटी इंफ्यूशन के तौर पर (₹ 1000.00 करोड़) और होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अतिरिक्त निवेश (₹ 7 करोड़ की अतिरिक्त निधियां जारी करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग के भीतर (₹ 7.00 करोड़) की बचत उपलब्ध है, इसमें (₹ 1000.00 के निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) providing additional funds for the following: - (i) Grants-in-aid General to Airports Economic Regulatory Authority (₹ 1 crore), Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (₹ 5.10 crore); (ii) Grants for Haj subsidy of ₹ 101.26 crore; and (iii) On account of salary for Directorate General of Civil Aviation (₹ 0.88 crore) Since savings of ₹ 5.12 crore is available within same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 103.12 crore.

(b) Realising additional funds to Air India (₹ 1000.00 crore) as equity infusion and additional investment in Hotel Corporation of India Limited (₹ 7 crore). Since savings of ₹ ₹ 7.00 crore is available within same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 1000.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 497.70	50.00	547.70
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 100.00	1672.00	1772.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	597.71	1722.00	2319.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत: 2803 -Coal and Lignite	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोयला और कोक के लिए कोयला खानों की सुरक्षा एवं संरक्षा स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त सब्सिडी व्यय (₹ 25 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

additional subsidy expenditure (₹ 25 crore) under the scheme of Conservation and Safety of Coal Mines towards Coal and Coke.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	4383.77	1013.00	5396.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.20	...	0.20
	स्वीकृत:	Voted:	54.00	...	54.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	0.62	...	0.62
	स्वीकृत:	Voted:	4.08	...	4.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4443.17	1013.00	5456.17
	भारित:	Charged:	1.32	...	1.32
	स्वीकृत:	Voted:	4441.85	1013.00	5454.85

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2057 - आपूर्ति और निपटान	भारित: 2057 - Supplies and Disposals	Charged:	...	0.62 (का)	0.62
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत: 2407 - Plantations	Voted:	1.07 (खb)	0.01 (गc)	1.08
3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	स्वीकृत: 3453 - Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	3.00 (घd)	...	3.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		4.07	0.63	4.70
	भारित:	Charged:	...	0.62	0.62
	स्वीकृत:	Voted:	4.07	0.01	4.08

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) न्यायालय के निर्णय के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करना होगा।
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।</p> <p>(ख) काजू निर्यात प्रोन्नति परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.90 करोड़)।
अनुदान के राजस्व भाग में बचतों और अनुदान के पूंजी भाग में अभ्यर्पण के कारण उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ग) निम्नलिखित को वेतन सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय (i) कॉफी बोर्ड (₹ 16.20 करोड़), (ii) और रबड़ बोर्ड (₹ 6 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> | <p>(a) meeting additional expenditure due to court decree.
Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p> <p>(b) Grants in Aid General (₹ 1.90 crore) to Cashew Export Promotion Council.
Taking into account the savings within the Revenue Section of the Grant and surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p> <p>(c) additional expenditure towards Grants in aid Salary to (i) Coffee Board (₹ 16.20 crore), and (ii) Rubber Board (₹ 6 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|---|--|

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(घ) मैसर्स भारतीय पैकेजिंग संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 3 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं होगा।	(d) meeting additional expenditure (₹ 3 crore) towards Grants-in-aid General to M/s Indian Institute of Packaging. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
---	--

मांग संख्या DEMAND NO. 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	1413.29	303.00	1716.29
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.04	...	0.04
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	8.00	8.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	96.02	...	96.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1509.36	311.00	1820.36
	भारित:	Charged:	0.04	...	0.04
	स्वीकृत:	Voted:	1509.32	311.00	1820.32

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2875 - अन्य उद्योग	स्वीकृत:	2875 -Other Industries	Voted: 96.00 (खब)	...	96.00
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	स्वीकृत:	2885 -Other Outlays on Industries and Minerals	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted: 96.02	...	96.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) परिवहन सब्सिडी के अन्तर्गत दावों के निपटान के लिए ₹ 12.42 करोड़ की राशि सहित नार्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पालिसी, 2007 योजना के अन्तर्गत ₹ 33.29 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा के अन्तर्गत एसपीवी परियोजना को भुगतान हेतु ₹ 96 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ग) परिवहन सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत दावों के निपटान के लिए ₹ 44.20 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) meeting the additional requirement of ₹ 33.29 crore under the scheme North East Industrial Investment Policy, 2007, including an amount of ₹ 12.42 crore for settlement of claims under the Transport Subsidy scheme. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting an additional requirement of ₹ 96 crore towards payment to project SPVs under Delhi-Mumbai Industrial Corridor. As savings are available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (c) meeting the additional requirement of ₹ 44.20 crore for settlement of claims under the Transport Subsidy scheme. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.20	...	0.20
	स्वीकृत:	Voted: 16875.97	433.31	17309.28
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.12	0.67	0.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.10	...	0.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16876.39	433.98	17310.37
	भारित:	Charged: 0.42	0.67	1.09
	स्वीकृत:	Voted: 16875.97	433.31	17309.28
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201 - डाक सेवाएं	भारित: 3201 - Postal Services	Charged: ...	0.10	0.10

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के कारण ₹ 0.10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary appropriation is required for:

meeting an additional requirement of ₹ 0.10 crore arising out of Court Judgement. As savings are available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	12192.86	2510.28	14703.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	436.28	...	436.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12629.14	2510.30	15139.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	स्वीकृत: 2071 -Pensions and other Retirement Benefits	Voted: ...	436.27 (का)	436.27
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत: 3275 -Other Communication Services	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	436.28	436.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) बीएसएनएल में अमेलित और सेवानिवृत्त दूरसंचार विभाग को पूर्व कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों, पेंशन हेतु ₹ 442 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इस अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 5.73 करोड़ के बचत को हिसाब में लेते हुए ₹ 436.27 करोड़ की शेष राशि हेतु एक तकनीकी पूरक अपेक्षित है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) इस ऐसे स्पेक्ट्रम के लिए अपफ्रन्ट प्रभारों की वापसी के साथ ब्रांडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) की सुर्पुदगी पर बीएसएनएल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ₹ 1102.68 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु इस अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचत के रूप में एक सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting an additional requirement of ₹ 442 crore towards Pensions and Retirement Benefits in respect of erstwhile employees of Department of Telecommunications absorbed in and retired from BSNL. After taking into account the savings of ₹ 5.73 crore in the revenue section of the Grant, a technical supplementary for the balance amount of ₹ 436.27 crore is sought. This will not entail cash outgo.

(b) meeting an additional requirement of ₹ 1102.68 crore towards providing financial support to BSNL on surrender of Broadband Wireless Access (BWA) spectrum with refund of upfront charges paid for such spectrum. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	1.34	...	1.34
	स्वीकृत:	Voted:	91085.77	10641.53	101727.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	1917.08	...	1917.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	93004.20	10641.53	103645.73	
	भारित:	Charged:	1.34	...	1.34
	स्वीकृत:	Voted:	93002.86	10641.53	103644.39

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: ...	1917.08 (का)	1917.08

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को देय सब्सिडी (₹ 2000.02 करोड़)।
- (ii) चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण के लिए सब्सिडी (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के राजस्व पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों (Rs.39.56 करोड़)के अभ्यर्पण के मद्देनजर, और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचतों (Rs.85.44 करोड़) के उपयोग के पश्चात, उपरोक्त व्यय से नगद व्यय (Rs.1877.52 करोड़) नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) subsidy payable to Food Corporation of India under National Food Security Act (₹ 2000.02 crore).
- (ii) subsidy for maintenance of Buffer Stocks of sugar (₹ 2.50 crore)

Taking into account the surrender of savings (₹ 39.56 crore) available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings (₹ 85.44 crore) within the same section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo (₹ 1877.52 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15-17 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 15-17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2023.00	39.00	2062.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	102.04	0.01	102.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2125.06	39.01	2164.07

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

(क)	(i)	राष्ट्रीय स्मारकों का रख-रखाव स्कीम के तहत इंदिरा गांधी स्मारक न्यास के लिए संग्रह निधि मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।	(a)	(i)	Grants-in-aid General for meeting the additional requirement to provide Corpus Fund for Indira Gandhi Memorial Trust under the scheme 'Maintenance of National Memorials' (₹ 10.00 crore).
	(ii)	जनजातीय उप-आयोजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु ललित कला अकादमी, नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.65 करोड़)।		(ii)	Grants-in-aid General to Lalit Kala Akademi, New Delhi for meeting the additional requirement under Tribal Sub Plan (₹ 0.65 crore).
	(iii)	फैलोशिप और पुरस्कार प्रदान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।		(iii)	Grants-in-aid General to Sangeet Natak Akademi, New Delhi for meeting the additional requirement for conferment of fellowship and awards (₹ 2.00 crore)
	(iv)	(1) पोर्टल चुनौदा कार्यों और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम तथा लाइब्रेरी के उन्नयन (₹ 15.00 करोड़), (2) राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति के सहायक स्टॉफ, स्मरणोत्सव आदि (₹ 5.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान।		(iv)	Grants-in-aid General for meeting the additional requirement for (1) Portal, Selected Works and Upgradation of Nehru Memorial Museum and Library (₹ 15.00 crore); and (2) Supporting staff for National Implementation Committee, Commemoration activities etc. (₹ 5.00 crore)
	(v)	उत्कृष्ट संस्थानों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.00 करोड़)।		(v)	Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) to Institute of Eminence.
	(vi)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।		(vi)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को वेतन, महंगाई भत्ते आदि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य वेतन सहायता: (1) राष्ट्रीय विज्ञान म्यूजियम परिषद कोलकाता (₹ 1.00	(b)	(i)	Grants-in-aid Salaries for meeting the additional requirement on account of salaries, DA etc. to the following Institutions/ Organisations: (1) National Council

करोड़), (2) रामपुर रजा पुस्तकालय (₹ 0.48 करोड़), (3) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता (₹ 0.29 करोड़), (4) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली (₹ 1.24 करोड़), (5) राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह (₹ 0.26 करोड़), (6) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियन अध्ययन संस्थान, कोलकाता (₹ 0.36 करोड़), (7) केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, धौग (₹ 0.62 करोड़), और (8) दि एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता (₹ 0.20 करोड़)।	
(ii) निम्नलिखित संस्थानों को अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: (1) ललित कला अकादमी (₹ 1.00 करोड़), (2) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली (₹ 1.00 करोड़), और (3) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना (₹ 0.40 करोड़)।	(ii) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement to the following Institutes: (1) Lalit Kala Akademi (₹ 1.00 crore); (2) Sahitya Akademi, New Delhi (₹ 1.00 crore); and (3) Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna (₹ 0.40 crore).
(iii) कार्यालयी व्यय के तहत राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.30 करोड़)।	(iii) For meeting the additional requirement of National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow under Office Expenses (₹ 0.30 crore)
(iv) शीर्ष (1) कार्यालयी व्यय (₹ 1.00 करोड़), और (2) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.03 करोड़) के तहत राष्ट्रीय म्यूजियम की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु।	(iv) For meeting the additional requirement of National Museum under the Heads (1) Office Expenses (₹ 1.00 crore); and (2) Other Administrative Expenses (₹ 0.03 crore)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.26	...	0.26
	स्वीकृत:	Voted:	15455.13	1838.40	17293.53
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
	भारित:	Charged:	0.22	...	0.22
	स्वीकृत:	Voted:	241.49	0.02	241.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		15697.10	1838.42	17535.52
	भारित:	Charged:	0.48	...	0.48
	स्वीकृत:	Voted:	15696.62	1838.42	17535.04
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037 - सीमा शुल्क	भारित: 2037 - Customs	Charged:	...	0.02 (का)	0.02
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
2055 - पुलिस	भारित: 2055 - Police	Charged:	...	0.20 (गc)	0.20
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2075 -Miscellaneous General Services	Voted:	...	241.48 (घd)	241.48
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		...	241.71	241.71
	भारित:	Charged:	...	0.22	0.22
	स्वीकृत:	Voted:	...	241.49	241.49
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01 (डेe)	0.01
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	...	0.01 (चf)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	Voted:	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		...	241.73	241.73
	भारित:	Charged:	...	0.22	0.22
	स्वीकृत:	Voted:	...	241.51	241.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में आपूर्ति एवं सामग्री के तहत उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु 'मेसर्स नाथ एण्ड एसोशिएट्स' को देय ₹ 2.18 लाख के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एतकनीकी पूरक अपेक्षित है।

(ख) वेतन और भत्तों के संविधिक देयताओं के भुगतान के लिए कैटोन्मेन्ट बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए ₹ 51.64 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के रूप में, एक सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 2.18 lakh under 'Supplies and Materials', payable to M/s Nath & Associates towards reimbursement of excise duty in compliance of Court Orders. As savings are available under Voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

(b) meeting an additional expenditure of ₹ 51.64 crore towards providing 'Grants-in-aid-General' to deficit Cantonment Boards for payment of statutory liabilities of Pay & Allowances. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग) जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंक्ट्री को वेतन के अंतर्गत ₹ 0.20 करोड़ भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, इस अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के रूप में, एक तकनीकी पूरक अपेक्षित है।	(c) meeting additional expenditure towards payment of ₹ 0.20 crore under 'Salaries' to Jammu and Kashmir Light Infantry (JAKLI). As savings are available in voted section of the grant, a technical supplementary is sought.
(घ) बकाया देयताओं के भुगतान हेतु आपूर्ति और सामग्रियों के अंतर्गत ₹ 432 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, इसके इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए ₹ 241.48 करोड़ की शेष राशि हेतु एक तकनीकी पूरक अपेक्षित है। इस अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों के रूप में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(d) meeting an additional expenditure of ₹ 432 crore under 'Supplies and Materials' towards payment of outstanding liabilities. After taking into account the savings available in the same section of the Grant, a technical supplementary for the balance amount of ₹ 241.48 crore is sought. This will not entail cash outgo as equivalent savings are available in Capital section of the Grant.
(ङ) रक्षा सम्पदा संगठन (डीईओ) ने कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 2 करोड़ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान में इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एक सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(e) meeting an additional expenditure of ₹ 2 crore towards construction of office buildings of Defence Estates Organisation (DEO). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
(च) रक्षा सम्पदा संगठन (डीईओ) के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 1.75 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एक सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(f) meeting an additional expenditure of ₹ 1.75 crore towards construction of residential buildings of Defence Estates Organisation (DEO). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.69	...	0.69
	स्वीकृत:	Voted: 44499.31	...	44499.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 3.54	...	3.54
	स्वीकृत:	Voted: 996.46	...	996.46
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	45500.00	...	45500.00
	भारित:	Charged: 4.23	...	4.23
	स्वीकृत:	Voted: 45495.77	...	45495.77

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	भारित: 2071 - Pensions and other Retirement Benefits	Charged: ...	3.54 (का)	3.54
	स्वीकृत:	Voted: ...	996.46 (खब)	996.46

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) न्यायालय आदेश के कारण ₹ 3.54 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

(ख) रक्षा बलों से सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान हेतु ₹ 996.46 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 3.54 crore towards payment arising out of Court order.

(b) meeting additional expenditure of ₹ 996.46 crore towards payment of pensions and other retirement benefits of retirees from Defence Forces.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 22

रक्षा सेवा - थल सेना

DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)
(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)					
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	46.93	...	46.93
	स्वीकृत:	Voted:	83888.33	...	83888.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	110.00	...	110.00
	स्वीकृत:	Voted:	4711.37	...	4711.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		88756.64	...	88756.64
	भारित:	Charged:	156.93	...	156.93
	स्वीकृत:	Voted:	88599.71	...	88599.71
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	भारित:	2076 - Defence Services - Army	Charged:	...	110.00 (का) 110.00
	स्वीकृत:		Voted:	...	4711.37 (खब) 4711.37
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		...	4821.37	4821.37
	भारित:		Charged:	...	110.00 110.00
	स्वीकृत:		Voted:	...	4711.37 4711.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।
- (ख) सेना डाक संचार स्कीम सहित 'वेतन', 'परिवहन', 'सैनिक फार्मस', 'भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम', 'निरीक्षण', 'निर्माण', 'राष्ट्रीय राइफलस', 'राष्ट्रीय कैडेट कॉर्पस', के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting an additional requirement towards payment arising out of Court orders. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting an additional requirement under 'salaries', 'transportation', 'military farms', 'ex-servicemen contributory health scheme', 'inspection', 'works', 'Rashtriya Rifles', 'National Cadet Corps' including 'Army Post Logistic Scheme'. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवा - नौ सेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

राजस्व
Revenueपूंजी
Capitalजोड़
Total

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

भारित:	Charged:	13.00	...	13.00
स्वीकृत:	Voted:	12381.43	...	12381.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	19.82	...	19.82
स्वीकृत:	Voted:	949.69	...	949.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	13363.94	...	13363.94
भारित:	Charged:	32.82	...	32.82
स्वीकृत:	Voted:	13331.12	...	13331.12

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

आयोजना
Planआयोजना-
मिन्न
Non-Planजोड़
Total

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	भारित:	2077 - Defence Services - Navy	Charged:	...	19.82	(का)	19.82
	स्वीकृत:		Voted:	...	949.69	(खब)	949.69

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- | | |
|--|--|
| (क) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है। | (a) meeting an additional requirement towards payment arising out of Court orders. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought. |
| (ख) 'वेतन', 'भण्डारगृह', 'निर्माण', और 'संयुक्त स्टाफ' के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है। | (b) meeting an additional requirement under 'salaries', 'stores', 'works' and joint staff. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought. |

मांग संख्या DEMAND NO. 24

रक्षा सेवा - वायु सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	3.70	...	3.70
	स्वीकृत:	Voted:	18896.66	...	18896.66
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
	भारित:	Charged:	50.40	...	50.40
	स्वीकृत:	Voted:	1032.51	...	1032.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		19983.27	...	19983.27
	भारित:	Charged:	54.10	...	54.10
	स्वीकृत:	Voted:	19929.17	...	19929.17

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना		आयोजना-	जोड़
		Plan		भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	भारित: 2078 - Defence Services - Air Force	Charged:	...	50.40 (का)	50.40
	स्वीकृत:	Voted:	...	1032.51 (खब)	1032.51

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।</p> <p>(ख) 'वेतन', 'भण्डारगृह', और 'निर्माण', के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।</p> | <p>(a) meeting an additional requirement towards payment arising out of Court orders. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.</p> <p>(b) meeting an additional requirement under 'salaries', 'stores', and 'works'. towards payments under various minor heads. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 25

रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)
(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 5.20	...	5.20
	स्वीकृत:	Voted: 1709.27	...	1709.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 3.20	...	3.20
	स्वीकृत:	Voted: 1363.56	...	1363.56
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3081.24	...	3081.24
	भारित:	Charged: 8.40	...	8.40
	स्वीकृत:	Voted: 3072.84	...	3072.84

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने	भारित: 2079 - Defence Services - Ordnance Factories	Charged: ...	3.20	(का)	3.20
	स्वीकृत:	Voted: ...	1363.56	(खb)	1363.56
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1366.76		1366.76
	भारित:	Charged: ...	3.20		3.20
	स्वीकृत:	Voted: ...	1363.56		1363.56

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने	2079 - Defence Services - Ordnance Factories	...	(-) 100.00	(-) 100.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।
- (ख) विनिर्माण और नवीकरणीय व प्रतिस्थापन के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि पूंजी अनुदान में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting an additional requirement towards payment to honour the Court orders. As savings are available in Capital section (Voted) of the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting an additional requirement under 'manufacture', 'renewable & replacements' and 'supplies to Services' due to reduction in target of supplies. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 26

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास

DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.61	...	0.61
	स्वीकृत:	Voted:	5596.96	...	5596.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	125.15	...	125.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5722.72	...	5722.72
	भारित:	Charged:	0.61	...	0.61
	स्वीकृत:	Voted:	5722.11	...	5722.11
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने	स्वीकृत: 2079 -Defence Services - Ordnance Factories	Voted:	...	125.15	125.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'वेतन', 'भण्डारगृह', 'कार्य', 'अन्य व्यय', आदि के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना। पूंजी अनुदान में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirements under 'salaries', 'stores', 'works', 'other expenditure' etc. As savings are available in Capital grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	55.42	55.42
	स्वीकृत:	Voted: ...	86685.29	86685.29
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	86740.73	86740.73
	भारित:	Charged: ...	55.42	55.42
	स्वीकृत:	Voted: ...	86685.31	86685.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4076 - Capital Outlay on Defence Services	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उप-प्रमुख शीर्ष '06-निरीक्षण संगठन' में 'नए कार्यों' के अन्तर्गत निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting an additional requirement of funds under 'New Works' in Sub-Major Head '06-Inspection Organisation'. As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	1492.52	201.11	1693.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.02	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1492.64	201.13	1693.77
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	1492.54	201.13	1693.67
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3455 - मौसम विज्ञान	स्वीकृत: 3455 -Meteorology	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.02	...	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5403 - Capital Outlay on Oceanographic Research	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12 करोड़)।
- (ख) 'वायुमंडलीय प्रक्रिया और मॉडलिंग' सर्विस स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त व्यय (₹ 3 करोड़)।
- (ग) सेंटर मैरीन लिविंग रिसोर्स एण्ड इकोलॉजी, कोची हेतु प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 3 करोड़)।
- (घ) 'भूकंपविज्ञान अनुसंधान' कार्यक्रम के तहत मशीनरी व उपकरणों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 6.25 करोड़)।
- अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों के मद्दे नजर, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-Aid General (₹ 12 crore) under the scheme of 'Research Education and Training Outreach'.
- (b) additional expenditure (₹ 3 crore) as Grants-in-Aid General under the scheme 'Atmospheric Process and Modeling Service'.
- (c) additional expenditure (₹ 3 crore) towards Major Works of Centre for Marine Living Resources and Ecology, Kochi.
- (d) additional expenditure (₹ 6.25 crore) towards Machinery and Equipments under the Programme 'Seismological Research'.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 31

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 22 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2815.63	69.07	2884.70
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2815.66	69.08	2884.74
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत: 2406 -Forestry and Wild Life	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत: 3435 -Ecology and Environment	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.02	...	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6406 - वानिकी और वन्य जीवन के लिए ऋण	स्वीकृत: 6406 - Loans for Forestry and Wild Life	Voted: ...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय वन्य जीव संस्थान को सामान्य अनुदान सहायता हेतु व्यय (₹ 1.30 करोड़) को पूरा करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- (ख) निम्नांकित व्यय को पूरा करना (1) जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण जीविका सुधार (इएपी) (₹ 5.50 करोड़)(i) को अनुदान सहायता, (2) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 2.91 करोड़), तथा पर्यावरण प्राधिकरण स्थापना तथा पर्यावरणीय आयोग और ट्रिव्युनल (₹ 0.18 करोड़), (ii) कामन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स की पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन के लिए अनुदान (₹ 1 करोड़), तथा (iii) वेतन अनुदान सहायता (1) गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ इनवायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट (₹ 0.60 करोड़), (2) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 0.20 करोड़) तथा (3) पर्यावरण प्राधिकरणों और पर्यावरण आयोग एवं ट्रिव्युनल की स्थापना (₹ 0.18 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure (₹ 1.30 crore) towards Grants-in-Aid General to Wildlife Institute of India.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General to (1) Biodiversity Conservation and Rural Livelihood Improvement (EAP) (₹ 5.50 crore), (2) Centres of Excellence (₹ 2.91 crore), and (3) Establishment of Environment Authorities and Environmental Commission & Tribunal (₹ 0.18 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets to 'Promotion of Common Effluent Treatment Plants' (₹ 1 crore), and (iii) Grants-in-Aid Salaries to (1) Gobind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹ 0.60 crore), (2) Centres of Excellence (₹ 0.20 crore), and (3) Establishment of Environment Authorities and Environmental Commission & Tribunal (₹ 0.18 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग) वेतन एवं मजदूरी व्यय को पूरा करने के लिए मैसर्स अंडमान एवं निकोबार आइजलैंड फारेस्ट प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपो. लि. को ऋण के रूप में अतिरिक्त व्यय उपलब्ध कराना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।	(c) providing additional expenditure as loan (₹ 16 crore) to M/s Andaman & Nicobar Islands Forest Plantation Development Corporation Limited for meeting salary and wages expenses. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
---	--

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)
(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 23 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 9950.47	1768.50	11718.97
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	125.00	125.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9950.52	1893.50	11844.02
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 9950.49	1893.50	11843.99
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत: 2061 -External Affairs	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- दूतावासों एवं मिशनों के अन्तर्गत अवस्थापना संबंधी व्यय (₹ 50.36 करोड़) को पूरा करना।
- मेसन डि इन्डे के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना (₹ 7.90 करोड़)।
- अनुसंधान फाउंडेशन प्रेक्षक को अनुदान सहायता उपलब्ध कराना (₹ 0.25 करोड़)।
- विशेष डिप्लोमेटिक व्यय को पूरा करना (₹ 100.00 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- meeting the establishment related expenditure (Rs 50.36 crore) under Embassies & Mission.
- providing Grant-in-aid-General for Maison de l'inde (₹ 7.90 crore).
- providing Grant-in-aid-General to Observer Research Foundation (₹ 0.25 crore).
- meeting Special Diplomatic Expenditure (₹ 100.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 33

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4-5 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 24-25 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 4-5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 24-25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	8865.12	66408.89	75274.01	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1065.56	3022.82	4088.38	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	360.42	0.02	360.44	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10291.10	69431.73	79722.83	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2046 - मुद्रा सिकका निर्माण और टकसाल	स्वीकृत: 2046 -Currency, Coinage and Mint	Voted: ...	0.50 (कa)	0.50	
2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं	स्वीकृत: 2047 -Other Fiscal Services	Voted: ...	0.04 (खb)	0.04	
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.05 (गc)	0.05	
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत: 3075 -Other Transport Services	Voted: ...	359.83 (घd)	359.83	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: ...	360.42	360.42	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4058 - लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4058 - Capital Outlay on Stationery and Printing	Voted: ...	0.01 (ङe)	0.01	
7475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 7475 - Loans for Other General Economic Services	Voted: ...	0.01 (चf)	0.01	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: ...	0.02	0.02	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	360.44	360.44	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

- (क) मुद्रा, सिक्के एवं टकसाल के वेतन (₹ 0.49 करोड़) और मजदूरी (₹ 0.01 करोड़) के कारण पीएओ अनिश्चय के तहत बकाया शेष का परिसमापन। अनुदान के पूंजी भाग में 0.50 करोड़ रुपए की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) धोखाधड़ी की वजह से हानियों के कारण (₹ 0.04 करोड़) के भुगतान के खर्च को पूरा करने हेतु। अनुदान के पूंजी भाग में समान राशि की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) liquidating outstanding balances under PAO Suspense on account of Salary (₹ 0.49 crore) and Wages (₹ 0.01 crore) of Currency, Coinage and Mint. After taking into account the surrender of savings of ₹ 0.50 crore from the Capital Section of the Grant, this will not entail cash out go.
- (b) meeting expenditure for payment of ₹ 0.04 crore on account of losses due to fraud etc. After taking into account the surrender of savings of an equivalent amount from Capital Section of the Grant, this will not entail cash out go.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग) व्यावसायिक सेवाओं (0.02 करोड़ रुपए), अन्य प्रशासनिक व्यय (0.01 करोड़ रुपए) और विदेश यात्रा व्यय (0.02 करोड़ रुपए) संबंधी वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के कार्यालय व्यय से जुड़े अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग से 0.05 करोड़ रुपए की बचतों को हिसाब में लेने के पश्चात् इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(c) meeting additional establishment related expenditure of office of Financial Sector Legislative Reforms Commission(FSLRC) relating to Professional Services (₹ 0.02 crore), Other Administrative Expenses (₹ 0.01 crore) and Foreign Travel Expenses (₹ 0.02 crore). After taking into account the surrender of savings of ₹ 0.05 crore from the Capital Section of the Grant, this will not entail cash out go.
(घ) लाभांश राहत हेतु रेलवे को सब्सिडी के भुगतान के लिए ₹ 764 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इस अनुदान के पूंजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 404.17 करोड़ के बचत को ध्यान में रखते हुए और ₹ 359.83 करोड़ के बचत को अभ्यर्पित करते हुए, कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(d) meeting additional expenditure of ₹ 764 crore for payment of subsidy to Railways towards Dividend Relief. After taking into account the savings of ₹ 404.17 crore available within the same section of the Grant and surrender of savings of ₹ 359.83 crore from the Capital Section of the Grant , this will not entail cash out go.
(ङ) बजट प्रेस के लिए मशीनों के लिए 6 करोड़ रुपए के खर्च की बुकिंग हेतु वर्गीकरण में सुधार। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(e) correcting the classification for booking of expenditure of ₹ 6 crore towards purchase of Machines for Budget Press. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च) ऋण के नए अनुबन्ध के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राशेष (आई.एम.एफ.) से 100 करोड़ रुपए के ऋण की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(f) meeting additional requirement of ₹ 100 crore towards loans to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangements to Borrow (NAB). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	7468.99	29900.40	37369.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1400.00	1000.00	2400.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	2600.00	...	2600.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11468.99	30900.40	42369.39
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: ...	2600.00	2600.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कैनरा बैंक के माध्यम से मेधावी व जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के लिए (₹ 2600 करोड़) की व्यय पूरा करना। हस्तांतरण से बराबर राशि के अभ्यर्पक के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure of ₹ 2600 crore towards 'Interest Subsidy' on education loans to bright and needy students through Canara Bank. After taking into account the surrender of savings of an equivalent amount from the Capital section of the grant, this will not entail cash outgo.

ब्याज अदायगियां

INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:	Charged:	385000.46	...	385000.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:	now required:				
	भारित:	Charged:	15500.20	...	15500.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		400500.66	...	400500.66
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2049 - ब्याज भुगतान	भारित: 2049 - Interest Payments	Charged:	...	15500.20	15500.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार ऋण पर ब्याज के भुगतान (₹ 13,224.20 करोड़), 14 दिवसीय राजकोषीय ढुंडियां (₹ 1,650 करोड़), लघु बचत की तुलना में जारी प्रतिभूतियां (₹ 2,120.79 करोड़), राज्य भविष्य निधियां (₹ 1,901.91 करोड़), गैर सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमाओं (₹ 1,091 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय, विनियोग और अतिरिक्त प्राप्तियों में उपलब्ध बचत को हिसाब में लेने के पश्चात् इस पूरक के खाते पर नकद व्यय ₹ 9,381.83 करोड़ होगा।

The supplementary appropriation is required for:

additional expenditure towards payment of interest on market loans (₹ 13,224.20 crore), 14 days treasury bills (₹ 1,650 crore), securities issued against small savings (₹ 2,120.79 crore), state provident funds (₹ 1,901.91 crore), special deposits of Non-Government provident funds (₹ 1,091 crore), etc. After taking into accounts the savings available in the Appropriation and additional receipts, cash outgo on account of this supplementary will be ₹ 9,381.83 crore.

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	95.00	...	95.00
स्वीकृत:	Voted:	20954.00	...	20954.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	1766.00	...	1766.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	22815.00	...	22815.00
भारित:	Charged:	95.00	...	95.00
स्वीकृत:	Voted:	22720.00	...	22720.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	स्वीकृत: 2071 -Pensions and other Retirement Benefits	Voted: ...	1766.00	(क) 1766.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नांकित शीर्षों के अन्तर्गत अतिरिक्त, आवश्यकता को पूरा करना (1) अधिवर्षता पेंशन (₹ 687.00 करोड़) (2) पारिवारिक पेंशन (₹ 779.00 करोड़), तथा (3) परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम एन पी एस (₹ 300.00 करोड़)।
उपर्युक्त, में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) To meet the Additional requirement under the following heads:
(1) Superannuation Pension (₹ 687.00 crore) (2) Family Pension (₹ 779.00 Crore) and (3) Defined Contribution Pension Scheme NPS (₹ 300.00 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo;

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित:	Charged:	97.69	...	97.69	
स्वीकृत:	Voted:	2696.85	10.00	2706.85	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	146.05	...	146.05	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2940.59	10.00	2950.59	
भारित:	Charged:	97.69	...	97.69	
स्वीकृत:	Voted:	2842.90	10.00	2852.90	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2016 - लेखा परीक्षा	स्वीकृत: 2016 - Audit	Voted:	...	146.05	146.05

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2016 - लेखा परीक्षा	2016 - Audit	...	(-) 10.73	(-) 10.73	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्थापना और वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 146.05 करोड़)। राजस्व भारित के तहत ₹ 0.85 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण, पूँजी भाग से ₹ 1.00 करोड़ और ₹ 10.73 करोड़ की अतिरिक्त वसूलियों पर विचार करने के बाद, इसमें ₹ 133.47 करोड़ का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional establishment and salary related expenditure (₹ 146.05 crore). After taking into account the surrender of savings of ₹ 0.85 crore under Revenue Charged, ₹ 1.00 crore from Capital Section and the additional recoveries amounting to ₹ 10.73 crore, it will entail cash out go of ₹ 133.47 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 42

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)
(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 29 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	10117.17	100.71	10217.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	26.50	...	26.50
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10143.72	100.71	10244.43	
	भारित:	Charged:	26.52	...	26.52
	स्वीकृत:	Voted:	10117.20	100.71	10217.91

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2875 - अन्य उद्योग	स्वीकृत: 2875 -Other Industries	Voted:	...	0.01 (कa)	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) क्रय कर और उस पर ₹ 11.30 करोड़ के ब्याज का व्यापार कर विभाग, उत्तर प्रदेश को भुगतान।
(ii) वर्ष 2012-13 के दौरान 10.6 मिट्रिक टन कोडेन फोस्फेट के आयात हेतु मैसर्स टिमड, इरान को ₹ 34.38 करोड़ का भुगतान।
(iii) कोडीन फोस्फेट के आयात हेतु ₹ 8.54 करोड़ के विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को पूरा करना।
(iv) नीमच अफीम फैक्टरी के मामले में गैर-नकद मदों यथा ₹ 4 करोड़ के ब्याज और गाजीपुर में एल्कैलॉयड्स के विनिर्माण के लिए अफीम के हस्तांतरण के कारण ₹ 4.66 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (a) (i) payment of purchase tax and interest thereon of ₹ 11.30 crore to the Trade Tax Department, UP.
(ii) payment of ₹ 34.38 crore to M/s Temad, Iran for import of 10.6 MT of codeine phosphate during the year 2012-13.
(iii) meeting exchange rate variation of ₹ 8.54 crore for import of codeine phosphate.
(iv) meeting additional expenditure towards non-cash items viz. Interest of ₹ 4 crore in case of Neemuch Opium Factory and ₹ 4.66 crore on account of transfer of opium for manufacturing of alkaloids in Ghazipur.

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) वाणिज्यिक करों हेतु मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.-सी.टी) के कार्यान्वयन हेतु संघ शासित सरकारों को ₹ 3.00 करोड़ की अतिरिक्त सामान्य सहायता उपलब्ध कराना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (b) providing additional Grants-in-aid General of ₹ 3.00 crore to the UT Governments for implementation of the Mission Mode Project for Commercial Taxes (MMP-CT). As savings are available within the same section of Grant, a token supplementary is sought.

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)
(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 30 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 3771.91	589.98	4361.89
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3771.91	590.00	4361.91
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आयकर विभाग के लिए अहमदाबाद डायरेक्ट टैक्सेस रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआरटीआई) तथा मिनिस्टीरियल स्टाफ ट्रेनिंग यूनिट (एमएसटीयू) के लिए नए परिसर के निर्माण हेतु अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण से वीजापुर, अहमदाबाद में भूमि की खरीद (₹ 9.67 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Purchase of land (₹ 9.67 crore) at Vejalpur, Ahmedabad from the Ahmedabad Urban Development Authority for construction of new campus for Direct Taxes Regional Training Institute (DTRTI) and Ministerial Staff Training Unit (MSTU) Ahmedabad for the Income Tax Department. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 46

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 पृष्ठ देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	719.11	...	719.11	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	719.14	...	719.14	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) टीयूएस मामलों की देनदारियों को पूरक करने के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने के लिए (₹ 3.92 करोड़)।	(a) (i) providing additional Grants-in-aid General to meet out liabilities of TUS cases (₹ 3.92 crore).
(ii) एफटीएल प्रस्तावों द्वारा उत्पन्न देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु (₹ 2.00 करोड़)	(ii) providing additional Grants-in-aid General to meet liabilities raised by FTL proposals (₹ 2.00 crore)
(iii) अतिरिक्त सहायता अनुदान सामान्य (₹ 5.00 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 1.00 करोड़) एनआईएफटीईएम को प्रदान करने के लिए।	(iii) providing additional Grants-in-aid General (₹ 5.00 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1.00 crore) to NIFTEM.
(ख) आईआईसीपीटी को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करना (₹ 3.00 करोड़)	(b) providing Grants-in-aid Salaries to IICPT (₹ 3.00 crore)
(ग) (i) शीत श्रृंखला, मूल्य वर्धन, और परिरक्षण अवसंरचना संबंधी पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करना (₹ 3.00 करोड़)	(c) (i) providing Grants-in-aid General to NER Projects in respect of Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure (₹ 3.00 crore)
(ii) वधशालाएं स्थापित करने। उनका आधुनिकीकरण करने संबंधी पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करना (₹ 1.00 करोड़)	(ii) providing Grants-in-aid General to NER Projects in respect of Setting up/ Modernization of Abattoirs (₹ 1.00 crore)
(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के मानव संसाधन विकास द्वारा उत्पन्न देनदारियों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करना (₹ 0.20 करोड़)	(iii) providing Grants-in-aid General to meet out liabilities raised by HRD proposals of NER (₹ 0.20 crore)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 47

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 32-35 देखिये)
(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 32-35 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	33012.27	2862.67	35874.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारित:	Charged:	16.29	...	16.29
स्वीकृत:	Voted:	0.05	0.01	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	18.47	...	18.47
स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	33047.11	2862.69	35909.80
भारित:	Charged:	34.76	...	34.76
स्वीकृत:	Voted:	33012.35	2862.69	35875.04
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	भारित: 2210 - Medical and Public Health	Charged: ...	18.47 (का)	18.47
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत: 2211 -Family Welfare	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.03	18.47	18.50
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.04	18.47	18.51
	भारित:	Charged: ...	18.47	18.47
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के निर्देशों के अनुसरण में पंचाट अवार्ड हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेसर्स इंटर नेशनल फार्मास्यूटिकल लि. को अतिरिक्त भुगतान करना (₹ 18.47 करोड़)

अनुदान के स्वीकृत भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) चिकित्सा उपकरणों की खरीद संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति की पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.58 करोड़)

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) For making additional payment to M/s International Pharmaceutical Ltd., Ahmedabad under National Leprosy Eradication Programme towards Arbitration Award in pursuance of directions of Hon'ble High Court of Delhi (₹ 18.47 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (b) Grants for creation of capital assets to Kasturba Health Society for meeting the additional requirement on procurement of medical equipment (₹ 4.58 crore)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	एससीएसपी घटक (₹ 27.95 करोड़) तथा टीएसपी घटक (₹ 28.78 करोड़) के लिए मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समितियों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(c)	Grants for creation of capital assets to State Health Societies under Mission Flexible Pool for SCSP component (₹ 27.95 crore) and TSP component (₹ 28.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समितियों को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 39.32 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(d)	Grants-in-aid General to State Health Societies under Mission Flexible Pool (₹ 39.32 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	(i) आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन, मुंबई की उपकरण संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.00 करोड़) की पूर्ति हेतु। (ii) केन्द्रीय मनोरोग संस्थान रांची की वाहन संबंधी अतिरिक्त, आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.10 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(e)	(i) For meeting the additional requirement of All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, on equipment (₹ 1.00 crore). (ii) For meeting additional requirement of Central Institute of Psychiatry, Ranchi, on vehicle (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)
(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 36 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1249.60	9.40	1259.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	...	18.00	18.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1249.62	27.40	1277.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) निम्नलिखित स्कीमों/संस्थानों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1)अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली (₹ 5.76 करोड़); (2)अस्पताल और डिस्पेंसरियां (फलैक्सी पूल सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) को दवाइयों की खरीद हेतु (₹ 4.53 करोड़); और (3)राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बंगलुरु को अनुदान (₹ 1.25 करोड़)।

(ii) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1)बिल्डिंगों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बंगलुरु को अनुदान (₹ 4.00 करोड़); और (2) उपकरण आदि की खरीद के लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को अनुदान (₹ 0.26 करोड़)।

(iii) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (1)नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नैचुरोपैथी, पुणे को अनुदान (₹ 0.08 करोड़); और (2) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को अनुदान (₹ 0.04 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ख) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान: (1)केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, को अनुदान (₹ 10.47 करोड़); (2)केंद्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद को अनुदान (₹ 12.00 करोड़); और (3) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को अनुदान (₹ 0.43 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

(a) (i) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the following Scheme/ Institutes: (1) All India Institute of Ayurveda, New Delhi (₹ 5.76 crore); (2) Hospitals & Dispensaries (under National Rural Health Mission including flexi-pool) for purchase of medicines (₹ 4.53 crore); and (3) Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangaluru (₹ 1.25 crore).

(ii) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangaluru for construction of buildings (₹ 4.00 crore); and (2) Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga for purchase of equipment etc. (₹ 0.26 crore).

(iii) Grants-in-aid Salaries for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) Grants to National Institute of Naturopathy, Pune (₹ 0.08 crore); and (2) Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga (₹ 0.04 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid Salaries for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 10.47 crore); (2) Grants to Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 12.00 crore); and (3) Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga (₹ 0.43 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 50

एड्स नियंत्रण विभाग

DEPARTMENT OF AIDS CONTROL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1770.00	15.00	1785.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	12.01	...	12.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1782.01	15.00	1797.01	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	12.00 (कa)	...	12.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	12.01	...	12.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) ड्रग्स, किट्स व वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 12.00 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(a) For meeting the additional requirement on procurement of Drugs, Kits and Consumables (₹ 12.00 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख) अतिरिक्त, आवश्यकता (₹ 6.00 करोड़) को पूरा करने के लिए एड्स नियंत्रण सोसायटियों (पूर्वोत्तर क्षेत्र) को सामान्य अनुदान सहायता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(b) Grants-in-aid General to State AIDS Control Societies (North Eastern Region) for meeting the additional requirement (₹ 6.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 51

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 38 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	461.41	567.56	1028.97
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	442.54	328.49	771.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	27.02	91.61	118.63
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	930.97	987.66	1918.63
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	27.01 (खb)	27.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	27.01	27.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4858 - अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4858 - Capital Outlay on Engineering Industries	Voted: 0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6860 - Loans for Consumer Industries	Voted: ...	91.59 (ङe)	91.59
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.01	91.60	91.61
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	118.61	118.63

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई में कठिनाईयों को कम करने के सम्बन्ध में अमान परिवर्तन के कारण 90 प्रतिशत ढुलाई लागत की पूर्ति के लिए कचार पेपर मिल जो हिन्दुस्तान कारपोरेशन यूनिट की इकाई है, को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 47.23 करोड़)। क्योंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए मांग की जाती है।
- (ख) (i) एन्ड्रयूल एण्ड कम्पनी लि. की अनुमोदित पुनरुज्जीवन योजना के अनुसार बुक समायोजन के रूप में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए गारंटी फीस (₹ 0.64 करोड़) की माफी। (ii) स्कूटर इंडिया लि. के अनुमोदित पुरुरस्थान पैकेज के अनुसार 31.3.2012 को प्रोद्भूत एवम देय ब्याज (₹ 22.17 करोड़) की माफी और 31.3.2012 को प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज (₹ 4.20 करोड़) की माफी। इसमें कोई नकद व्यय अन्तर्गत नहीं है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General (₹ 47.23 crore) to Cachar Paper Mills, a unit of Hindustan Paper Corporation Ltd. to meet 90 per cent transport cost due to gauge conversion towards mitigating hardships in transporting raw material and finished goods. As savings are available within the same section of Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Waiver of Guarantee fee (₹ 0.64 crore) for FY 2013-2014 as per approved revival plan of Andrew Yule and Company Limited, (ii) Waiver of interest (₹ 22.17 crore) accrued and due on 31.3.2012 and Waiver of interest (₹ 4.20 crore) accrued and not due on 31.3.2012 as per approved revival package of Scooters India Limited as book adjustment and no cash outgo is involved.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|---|--|
| <p>(ग) स्कूटर इंडिया लि. की अनुमोदित पुरुत्थान योजना के अनुसार इस कंपनी के सम्बन्ध में भारत सरकार के आयोजना-गत ऋण (₹ 1.93 करोड़) को इक्विटी में बदलना। इसके लिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।</p> <p>(घ) स्कूटर इंडिया लि. की अनुमोदित पुरुत्थान योजना के अनुसार इस कंपनी के सम्बन्ध में आयोजना-भिन्न ऋण (₹ 83.28 करोड़) को इक्विटी में बदलना। इसके लिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।</p> <p>(ङ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस विनिर्माण कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए वर्धित वीआरएस/वीएसएस की कार्यान्वयन के सम्बन्ध में इस कम्पनी को आयोजना-भिन्न ऋण के रूप में ₹ 182 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता। इस अनुदान के राजस्व भाग से ₹ 47.43 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की जाएगी और इस अनुदान की इस भाग के अन्तर्गत ₹ 90.41 करोड़ की बचत उपलब्ध है इसलिए इस पर निवल राशि ₹ 44.16 करोड़ होगा।</p> | <p>(c) Conversion of Government of India Plan loan into equity in respect of Scooters India Ltd. (₹ 1.93 crore) as per approved revival plan of the company. A token supplementary is sought for the same.</p> <p>(d) Conversion of Non-Plan loan into equity in respect of Scooters India Ltd. (₹ 83.28 crore) as per approved revival plan of the company. A token supplementary is sought for the same.</p> <p>(e) Additional requirement of ₹ 182 crore as Non-plan loan to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd. towards implementation of enhanced VRS/VSS to all employees of Company. An amount of ₹ 47.43 crore would be surrendered from the Revenue section of the grant and saving of ₹ 90.41 crore are available under same section of the grant, this would entail net cash outgo of ₹ 44.16 crore.</p> |
|---|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 53

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)
(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 40 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2108.51	65.35	2173.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2108.55	65.35	2173.90
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	0.01 (क)	0.01
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: 0.01 (ख)	0.01 (ग)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.02	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) गृह मंत्रालय में व्यावसायिक सेवाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.70 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- (ख) अग्नि तथा आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर अतिरिक्त व्यय (₹ 2.50 करोड़) को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।
- (ग) (i) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों (₹ 0.01 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
(ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को (₹ 0.22 करोड़) हिन्दी सिखाने की स्कीमों के लिए प्रकाशन तथा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान (₹ 0.08 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
(iii) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने की स्कीम के अन्य प्रभागों पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.08 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure under Professional Services in respect of Ministry of Home Affairs (₹ 1.70 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure on Strengthening of Fire and Emergency Services ₹ 2.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) meeting additional expenditure of Regional Implementation Office (₹ 0.01 crore).
(ii) meeting additional expenditure under Publication for the scheme of Teaching Hindi to Central Government Employees (₹ 0.22 crore) and Central Hindi Training Institute (₹ 0.08 crore).
(iii) meeting additional expenditure on Other Charges of the scheme of Teaching Hindi to Central Government Employees (₹ 0.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 55

पुलिस

POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 41-42 देखिये)
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 41-42 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 9.94	2.92	12.86
	स्वीकृत:	Voted: 43386.99	9104.96	52491.95
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 8.17	...	8.17
	स्वीकृत:	Voted: 2222.11	1.02	2223.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.01	4.59	4.60
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.02	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	45627.24	9113.51	54740.75
	भारित:	Charged: 18.12	7.51	25.63
	स्वीकृत:	Voted: 45609.12	9106.00	54715.12
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055 - पुलिस	भारित: 2055 - Police	Charged: ...	0.01 (कa)	0.01
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (खb)	0.01 (गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted: 0.01 (घd)	0.01 (ङe)	0.02
7601 - राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	भारित: 7601 - Loans and Advances to State Governments	Charged: ...	4.59 (चf)	4.59
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	0.01	4.60	4.61
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	4.62	4.64
	भारित:	Charged: ...	4.60	4.60
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.02	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इण्डो तिब्बतन बार्डर पुलिस (आईटीबीपी) (₹ 0.29 करोड़) तथा विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) (₹ 0.25 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) (i) प्रवासन, वीजा और विदेशी पंजीकरण और ट्रेकिंग (आईवीएफआरटी) के संबंध में अन्य प्रभागों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 24.00 करोड़)।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) meeting additional expenditure under Other Charges in respect of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹ 0.29 crore) and Special Protection Group (SPG) (₹ 0.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) meeting additional expenditure under Other Charges in respect of Immigration, Visa and Foreigners Registration and Tracking (IVFRT) (₹ 24.00 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ii) पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.20 करोड़)।	(ii) meeting additional expenditure under Professional Services in respect of North Eastern Police Academy (₹ 0.20 crore).
(iii) दिल्ली पुलिस के संबंध में गौण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 2.00 करोड़)।	(iii) meeting additional expenditure under Minor Works in respect of Delhi Police (DP) (₹ 2.00 crore).
(iv) केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण विद्यालय के संबंध में किराया, दरों और करों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.01 करोड़)।	(iv) meeting additional expenditure under Rent, Rates and Taxes in respect of Central Detective Training School (₹ 0.01 crore).
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	
(ग) (i) असम राइफल्स (एआर) (₹ 8.00 करोड़), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) (₹ 41.00 करोड़), दिल्ली पुलिस (₹ 21.79 करोड़), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹ 41.00 करोड़), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) (₹ 4.00 करोड़) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) (₹ 0.03 करोड़)।	(c) (i) meeting additional expenditure under Petrol, Oil and Lubricants in respect of Assam Rifles (AR) (₹ 8.00 crore), Central Reserve Police Force (CRPF) (₹ 41.00 crore), Border Security Force (BSF) (₹ 41.00 crore), DP (₹ 21.79 crore), National Security Guard (NSG) (₹ 4.00 crore) and National Crime Records Bureau (NCRB) (₹ 0.03 crore).
(ii) सीआरपीएफ (₹ 100.00 करोड़), एनएसजी (₹ 1.00 करोड़), डीपी (₹ 7.08 करोड़), एआर (₹ 15.00 करोड़), बीएसएफ (₹ 13.00 करोड़), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) (₹ 10.00 करोड़) और आईटीबीपी (₹ 30.00 करोड़) के संबंध में कपड़ों व टेंटों संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(ii) meeting additional expenditure on Clothing and Tentage in respect of CRPF (₹ 100.00 crore), NSG (₹ 1.00 crore), DP (₹ 7.08 crore), AR (₹ 15.00 crore), BSF (₹ 13.00 crore), Central Industrial Security Force (CISF) (₹ 10.00 crore) and ITBP (₹ 30.00 crore).
(iii) एसपीजी (₹ 4.50 करोड़) और भारत-पाक सीमा निर्माण (₹ 14.99 करोड़) में गौण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(iii) meeting additional expenditure under Minor Works in respect of SPG (₹ 4.50 crore) and Indo-Pak Border Works (₹ 14.99 crore)
(iv) दिल्ली पुलिस (₹ 13.95 करोड़) और सीआरपीएफ (₹ 2.80 करोड़) के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(iv) meeting additional expenditure under Professional Services in respect of DP (₹ 13.95 crore) and CRPF (₹ 2.80 crore).
(v) दिल्ली पुलिस (₹ 35.48 करोड़) के संबंध में अन्य प्रभार के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(v) meeting additional expenditure under Other Charges in respect of DP (₹ 35.48 crore).
(vi) विभागीय लेखाकार संगठन (₹ 0.38 करोड़) और सीआईएसएफ (₹ 0.12 करोड़) के संबंध में प्रकाशन के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(vi) meeting additional expenditure under Publication in respect of Departmental Accounting Organisation (₹ 0.38 crore) and CISF (₹ 0.12 crore).
(vii) राष्ट्रीय नीति अकादमी (₹ 0.25 करोड़) और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनोलोजी एण्ड फॉरेंसिक साइंस टेक्नॉलोजी (एनआईसीएफएस) (₹ 0.25 करोड़) के संबंध में विज्ञापन एवं प्रचार के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(vii) meeting additional expenditure under Advertising and Publicity in respect of National Policy Academy (₹ 0.25 crore) and National Institute of Criminology and Forensic Science Laboratory (NICFS) (₹ 0.25 crore).
(viii) विभागीय लेखाकरण संगठन के संबंध में किराया, दरों तथा करों के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 0.04 करोड़) को पूरा करना।	(viii) meeting additional expenditure under Rent, Rates and Taxes in respect of Departmental Accounting Organisation (₹ 0.04 crore).
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	
(घ) (i) डीपी के संबंध में मशीनरी एण्ड एक्विपमेंट के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 2.49 करोड़) को पूरा करना।	(d) (i) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment in respect of DP (₹ 2.49 crore).
(ii) सीआरपीएफ (₹ 10.00 करोड़) और आईटीबीपी के (₹ 4.03 करोड़) के संबंध में आवासीय भवन के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(ii) meeting additional expenditure under Residential Building in respect of CRPF (₹ 10.00 crore) and ITBP (₹ 4.03 crore).
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ड)	(i) एनआईसीएफएस (₹ 0.07 करोड़) तथा एआर (₹ 7.00 करोड़) के संबंध में मोटर यान के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (ii) बीएसएफ (₹ 140.00 करोड़), नेशनल इंटेलीजेंस एजेंसी (₹ 0.20 करोड़) तथा एनसीआरबी (₹ 0.18 करोड़) के संबंध में मशीनरी तथा एक्विपमेंट के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(e)	(i) meeting additional expenditure under Motor Vehicles in respect of NICFS (₹ 0.07 crore) and AR (₹ 7.00 crore). (ii) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment in respect of BSF (₹ 140.00 crore), National Intelligence Agency (₹ 0.20 crore) and NCRB (₹ 0.18 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.
(च)	इंडिया रिजर्व बटालियन (₹ 5.34 करोड़) के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त दावों की प्रतिपूर्ति संबंधी व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए और अनुदान के पूंजी भाग में बचतों के उपयोग के पश्चात् उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(f)	meeting expenditure on re-imbursement of claims received from various States in respect of India Reserve Battalion (₹ 5.34 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Voted Section of the Grant, and after utilising the savings within the Capital Charged section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 56

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 43-44 देखिये)
(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 43-44 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	1969.11	96.03	2065.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1969.18	96.04	2065.22	
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	1969.15	96.04	2065.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय भूकंप मिटिगेशन परियोजना के लिए विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.33 करोड़) और पेशेवर सेवाओं (₹ 1.65 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
(ii) आपदा प्रबंधन संप्रेषण नेटवर्क हेतु पेशेवर सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पेशेवर सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.90 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) meeting additional expenditure under Advertisement and Publicity (₹ 0.33 crore) and Professional Services (₹ 1.65 crore) for National Earthquake Mitigation Project.
(ii) meeting additional expenditure under Professional Services for Disaster Management Communication Network (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- (b) meeting additional expenditure under Professional Services of National Disaster Management Authority (₹ 0.90 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	1468.02	...	1468.02
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1468.06	...	1468.06
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय भवन संगठन के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता (₹ 8.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General in respect of National Building Organisation (₹ 8.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 77130.00	...	77130.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	77130.05	...	77130.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i) "माध्यमिक विद्यालय पर विकलांग व्यक्तियों हेतु समावेशी शिक्षा" स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ((₹ 0.01 करोड़)।	(a)	(i) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the scheme of "Inclusive education for disabled at Secondary School" (₹ 0.01 crore).
	(ii) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों/एसआरसी को सहायता" स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।		(ii) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the scheme "Support to NGOs/Institutions/ SRCs for Adult Education and Skill Development" (₹ 18.00 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	केंद्रीय विद्यालय संगठन को वेतन, महंगाई भत्ते के भुगतान आदि के कारण अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 21.44 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।	(b)	Grants-in-aid-Salaries to Kendriya Vidyalaya Sangathan for meeting the additional requirement on account of salaries, DA payments etc. (₹ 21.44 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: (1) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹ 25.00 करोड़) और (2) सामान्य/टीएसपी घटकों के लिए विद्यालयों में सूचना व संप्रेषण तकनीक (₹ 25.12 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।	(c)	Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 25.00 crore); and (2) Information and Communication Technology in Schools for General/TSP components (₹ 25.12 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 48-49 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 48-49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 26750.00	...	26750.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 200.04	...	200.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	26950.08	...	26950.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)		0.02
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 -Technical Education	Voted: ...	0.01 (गc)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (घd)	...		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.02		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सामान्य/टीएसपी संघटकों (₹ 528.87 करोड़) हेतु गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता और अंशदान की स्कीम योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान, (ii) उत्कृष्ट संस्थानों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़)।

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु अनुदान सहायता वेतन : (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (₹ 100.00 करोड़); (2) मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल (₹ 14.55 करोड़); (3) भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु अनुदान (₹ 7.32 करोड़); (4) राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (₹ 0.83 करोड़); और (5) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (₹ 0.18 करोड़)।

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सहायता-अनुदान वेतन (1) इंडियन स्कूल ऑफ साइन्स धनबाद (₹ 6.06 करोड़); (2) योजना व वास्तुकला के नए विद्यालयों की स्थापना (₹ 1.53

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the scheme of "Interest Subsidy and Contribution for guarantee fund" for General/TSP components (₹ 528.87 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) to Institute of Eminence.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under the following schemes: (1) University Grants Commission (₹ 100.00 crore); (2) National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences (₹ 14.55 crore); (3) Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 7.32 crore); (4) National University of Education Planning and Administration (₹ 0.83 crore); and (5) National Commission for Minority Educational Institutions (₹ 0.18 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under the following schemes/Institutes: (1) Indian School of Mines, Dhanbad (₹ 6.06 crore); (2) Setting up of New Schools of

करोड़); (3) भारतीय सूचना, तकनीकी संस्थान इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम की सहायता (₹ 2.14 करोड़); (4) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (₹ 4.24 करोड़); (5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 4.77 करोड़)।

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (घ) (i) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.95 करोड़)।
- (ii) निम्नलिखित स्कीमों/संस्थानों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 150.00 करोड़) (2) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 50.00 करोड़); (3) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान (₹ 8.00 करोड़)।
- (iii) सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी संघटकों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.59 करोड़)।
- इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Planning & Architecture (₹ 1.53 crore); (3) Support to Indian Institute(s) of Information Technology, Allahabad, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram (₹ 2.14 crore); (4) Support to Indian Institute of Science and Indian Institute(s) of Science Education & Research (₹ 4.24 crore; and (5) Indian Institutes of Technology (₹ 4.77 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) (i) Grants-in-aid General to Indian Institutes of Management for meeting additional requirement for General/SCSP/TSP components (₹ 4.95 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the following scheme/Institutes: (1) Grants to Central Universities for General/SCSP/TSP components (₹ 150.00 crore); (ii) National Institutes of Technology for General/SCSP/TSP components (₹ 50.00 crore); and (3) Indian Institutes of Management for General/SCSP/TSP components (₹ 8.00 crore).
- (iii) Grants-in-aid-Salaries to Indian Institutes of Management for meeting the additional requirement for General/SCSP/TSP components (₹ 2.59 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 50 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	3006.85	28.80	3035.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	1.70	1.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3006.89	30.50	3037.39
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत: 2220 -Information and Publicity	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) (₹ 1.34 करोड़) तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन (आईआईएमसी) (₹ 0.40 करोड़) की वेतन अनुदान सहायता उपलब्ध कराने संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement towards providing 'Grants-in-aid-Salaries' to Film and Television Institute of India (FTII) (₹ 1.34 crore) and Indian Institute of Mass Communication (IIMC) (₹ 0.40 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought .

मांग संख्या DEMAND NO. 62

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	5254.94	19.41	5274.35	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5254.97	19.41	5274.38	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(गc)	...		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) कौशल विकास स्कीम के अन्तर्गत निम्नांकित हेतु अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को पूरा करना (i) सामान्य अनुदान सहायता (₹ 5.00 करोड़) तथा (ii) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 60.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) माइका माइन्स लेबर वेल्फेयर फण्ड (₹ 20.63 करोड़) में वृद्धि को आमेलित करने की स्कीम के अन्तर्गत व्यय को पूरा करना; लौह अयस्क माइन्स तथा क्रोम अयस्क माइन्स लेबर वेल्फेयर फण्ड (₹ 20.04 करोड़); लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट लेबर वेल्फेयर फंड (₹ 50.85 करोड़) तथा सिने वर्कर्स वेल्फेयर फंड (₹ 5.03 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ग) कौशल विकास (ईएपी) स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति (एससीएसपी) तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोगना (टीएसपी) के विशेष घटक योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 107.57 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> | <p>(a) meeting additional expenditure under the Scheme of 'Skill Development towards (i) Grant-in-aid General (₹ 5.00 crore) and (ii) Grants for creation of capital assets (₹ 60.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) meeting the expenditure under the scheme for accommodating the increase in the Mica Mines Labour Welfare Fund (₹ 20.63 crore); Iron Ore Mines and Chrome Ore mines Labour Welfare Fund (₹ 20.04 crore); Limestone and dolomite Labour Welfare Fund (₹ 50.85 crore); and Cine Workers Welfare Fund (₹ 5.03 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the Special component Plan for Scheduled Castes (SCSP) and Tribal Area Sub Plan (TSP) under the Scheme of 'Skill Development (EAP)' (₹ 107.57 crore) . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|--|

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)
(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 51 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1805.45	10.02	1815.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 165.68	...	165.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1971.17	10.02	1981.19
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015 - चुनाव	स्वीकृत: 2015 -Elections	Voted: ...	165.68	165.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आगामी आम चुनाव 2014 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रायल की खरीद के लिए (₹ 324.92 करोड़)। अनुदान के राजस्व में बचतों, अनुदान के पूंजी भाग से बचतों के अभ्यर्पण (₹ 8.00 करोड़) को देखते हुए इसमें ₹ 157.68 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

procurement of Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trial (VVPAT) for the ensuing General Elections, 2014 (₹ 324.92 crore). Taking into account savings within the Revenue Section of Grant, Surrender of Savings from the Capital Section of the Grant (₹ 8.00 crore), this will entail a net cash outgo of ₹ 157.68 crore.

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
भारित:	Charged:	129.41	...	129.41	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित:	Charged:	6.43	...	6.43	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	135.84	...	135.84	
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014 - न्याय प्रशासन	भारित: 2014 - Administration of Justice	Charged:	...	6.43	6.43

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त व्यय हेतु (क) माननीय न्यायाधीशों और कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार (₹ 2.50 करोड़), (ख) कार्यालय व्यय (₹ 8.00 करोड़) तथा (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय में पेशेवर सेवा (₹ 0.96 करोड़)।

इस विनियोग में राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 5.03 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए ₹ 6.43 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

additional expenditure towards (a) Medical Treatment to the Hon'ble Judges and the officials (₹ 2.50 crore), (b) Office Expenses (₹ 8 crore) and (c) Professional Services in the Supreme Court of India (₹ 0.96 crore).

Taking into account the savings of ₹ 5.03 crore available in the Revenue Section of the Appropriation, there will be a net cash outgo of ₹ 6.43 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 66

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3210.91	78.80	3289.71
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3210.95	78.80	3289.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (क)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01 (ख)	0.01 (ग)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) एनईआर के अन्तर्गत स्कीमों के लिए प्रावधान बढ़ाना (1) सामान्य सहायता अनुदान (i) खादी अनुदान (₹ 3.17 करोड़), तथा (ii) अवस्थापना विकास तथा क्षमता निर्माण (एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्रैम्स एंड एसएमई ग्रोथ पोलस) (₹ 3.40 करोड़), तथा (2) ग्रामोद्योग अनुदान हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.56 करोड़)।

(ख) (1) निम्नांकित को सामान्य अनुदान सहायता उपलब्ध कराना (i) प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (₹ 43.70 करोड़) (ii) खादी अनुदान (₹ 28.53 करोड़ जिसमें ₹ 3.57 करोड़ एससीएसपी के लिए तथा ₹ 2.58 करोड़ टीएसपी के लिए शामिल हैं), (iii) अवस्थापना विकास एवं क्षमता निर्माण (₹ 3.30 करोड़) तथा (iv) अवस्थापना विकास तथा क्षमता निर्माण-टूल रूम एवं तकनीकी संस्थानों (₹ 3.20 करोड़)। (2) टेक्नालॉजी सपोर्ट इंस्टीट्यूट तथा प्रोग्रैम की गुणवत्ता के लिए सब्सिडी (₹ 15.28 करोड़), (3) अवस्थापना विकास तथा क्षमता निर्माण (एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम) तथा एमएसएमई ग्रोथ पोलस (₹ 1.92 करोड़), (4) इण्डिया इनक्लूसिव इनोवेशन फंड को एससीएसपी योजना के तहत (₹ 5 करोड़) का अंशदान (5) महात्मा गांधी ग्रामीण संस्थान को औद्योगिकीकरण हेतु वेतन अनुदान सहायता हेतु (₹ 2.74 करोड़)।

(ग) महात्मा गांधी ग्रामीण संस्थान को औद्योगिकीकरण हेतु वेतन अनुदान सहायता हेतु (₹ 0.50 करोड़) उपलब्ध कराना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) augmentation of provision under NER for the schemes (1) Grants-in-Aid General towards (i) Khadi Grant (₹ 3.17 crore), and (ii) Infrastructure Development and Capacity Building (MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles) (₹ 3.40 crore), and (2) Grants for Creation of Capital Assets towards Village Industries Grant (₹ 4.56 crore).

(b) Providing (1) Grants-in-Aid General towards (i) Assistance to Training Institutions (₹ 43.70 crore) (ii) Khadi Grant (₹ 28.53 crore including ₹ 3.57 crore for SCSP and ₹ 2.58 crore for TSP), (iii) Infrastructure Development and Capacity Building (₹ 3.30 crore) and (iv) Infrastructure Development and Capacity Building-Tool Rooms & Technical Institutions (₹ 3.20 crore). (2) Subsidies towards Quality of Technology Support Institution & Programme (₹ 15.28 crore), (3) Grants for Creation of Capital Assets towards Infrastructure Development and Capacity Building (MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles (₹ 1.92 crore), (4) Contribution to India Inclusive Innovation Fund (₹ 5 crore) under SCSP Plan and (5) Grants-in-Aid Salary (₹ 2.74 crore) to Mahatma Gandhi Rural Institute for Industrialization.

(c) Providing Grants-in-Aid Salary (₹ 0.50 crore) to Mahatma Gandhi Rural Institute for Industrialization.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 68

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:		Voted:	3410.98	120.00	3530.98	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:		Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3410.99	120.00	3530.99	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्य वक्फ बोर्ड स्कीम के सुदृढीकरण के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.10 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure(₹ 1.10 crore) towards Grant-in-Aid General under the strengthening of the State Wakf Board Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 69

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 54 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1434.05	99.50	1533.55	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	183.41	...	183.41	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	1030.75	100.00	1130.75	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2648.21	199.50	2847.71	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 - North Eastern Areas	Voted:	61.15 (का)	...	61.15
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 - New and Renewable Energy	Voted:	969.60 (खब)	...	969.60
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	1030.75	...	1030.75
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4810 - Capital Outlay on New and Renewable Energy	Voted:	100.00 (गक)	...	100.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	1130.75	...	1130.75

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	(-) 61.15	...	(-) 61.15	
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810 - New and Renewable Energy	(-) 969.60	...	(-) 969.60	
जोड़	Total	(-) 1030.75	...	(-) 1030.75	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810 - Capital Outlay on New and Renewable Energy	(-) 100.00	...	(-) 100.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा-ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय पावर-ऑफ-ग्रिड/ वितरित व विकेन्द्रीयकृत नवीकरणीय विद्युत-सौर ऊर्जा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।

क्योंकि यह व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

(a) providing Grants-in-Aid General under the scheme New and Renewable Energy-Grid interactive and Distributed Renewable Power-off-Grid/Distributed and Decentralised Renewable Power-Solar Power.

As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 421.86 करोड़), सब्सिडी (₹ 513.34 करोड़), अन्य व्यय (₹ 1.70 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (RS. 1.00 करोड़) प्रदान करने के लिए ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत के तहत निधियां जारी करना।	(b) (i) releasing funds under "Grid Interactive and Distributed Renewable Power" to provide Grant-in-aid General (₹ 421.86 crore), Subsidy (₹ 513.34 crore), Other Administrative Expenses (₹ 1.70 crore) and Professional Services (RS. 1.00 crore)
(ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25.30 करोड़), स्थापना व संबंधित व्यय (₹ 2.45 करोड़), गौण कार्य व अन्य प्रभार (₹ 0.15 करोड़), मशीनरी व उपकरण (₹ 2.40 करोड़) और छात्रवृत्ति/वजीफा (₹ 0.40 करोड़) जारी करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में शोध, डिजाइन व विकास के तहत निधि जारी करना।	(ii) releasing fund under "Research, Design and Development in Renewable Energy" for releasing Grant-in-aid General (₹ 25.30 crore), Establishment related expenditure (₹ 2.45 crore), Minor Works and other charges (₹ 0.15 crore), Machinery & Equipment (₹ 2.40 crore) and Scholarship/stipend (₹ 0.40 crore)
(iii) 'अंशदान' के तौर पर स्वच्छ ऊर्जा अनुदानों के लिए बीज पूंजी हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़) उपलब्ध कराना। क्योंकि यह व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।	(iii) providing Grants (₹ 1 crore) for seed capital for clean energy project as 'Contribution'. As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.
(ग) (i) रियायती ब्याज दर पर पुनः वित्तपोषण के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में नवीकरणीय ऊर्जा-निवेश भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी-निवेश को उधार पर निधियां प्रदान करना (₹ 100.00 करोड़)।	(c) (i) releasing fund on-lending to renewable energy projects by way of refinance at concessional rate of interest and Renewable Energy-Investment in Public Sector and other Undertakings-Indian Renewable Energy Development Agency-Investments (₹ 100.00 crore).
(ii) भारतीय सौर ऊर्जा निगम-निवेश के पूंजी परिव्यय में बढ़ोतरी (₹ 15.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, शेष राशि को नेशनल क्लीन एनर्जी फण्ड से पूरा किया जाएगा, ₹ 100 करोड़ का तकनीकी पूरक अपेक्षित है।	(ii) enhancing Capital Outlay of Solar Energy Corporation of India-Investment (₹ 15.00 crore) As savings of ₹ 15 crore are available within the same Section of the Grant and balance amount would be met from National Clean Energy Fund, a technical supplementary of ₹ 100 crore is sought.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	19.97	5.00	24.97
	स्वीकृत:	Voted:	869.90	125.07	994.97
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	2.27	...	2.27
	स्वीकृत:	Voted:	8.15	...	8.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		900.30	130.07	1030.37
	भारित:	Charged:	22.24	5.00	27.24
	स्वीकृत:	Voted:	878.06	125.07	1003.13
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	...	0.01
					0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लोकपाल संबंधी व्यय को पूरा करना (₹ 0.50 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure on Lok Pal (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	65187.41	1.00	65188.41
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	10336.00	...	10336.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	10042.72	...	10042.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		85566.13	1.00	85567.13
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत: 2802 -Petroleum	Voted:	...	10042.72	10042.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

तेल विपणन कंपनियों को भुगतान जारी करना (i) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूली की क्षतिपूर्ति के रूप में (₹ 10000 करोड़) तथा (ii) एलपीजी स्कीम के सीधे अंतरण के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन व्यय के कारण भुगतान (₹ 109 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में (₹ 66.28 करोड़) रुपए की बचत उपलब्ध है, अनुदान के पूंजी भाग के तहत (₹ 1 करोड़) की बचत के उपयोग के कारण (₹ 10041.72 करोड़) का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

releasing payments to Oil Marketing Companies (i) as compensation towards estimated under-recoveries on account of sale of petroleum products (₹ 10000 crore) and (ii) payment on account of Project Management Expenditure (₹ 109 crore) for implementation of Direct Transfer of LPG Scheme. As savings of ₹ 66.28 crore are available within the same Section of the Grant, utilising saving of ₹ 1 crore under Capital Section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 10041.72 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 75

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	7181.51	900.00	8081.51	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7181.53	900.00	8081.53	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted:	0.01 (क)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (ख)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i) अनुसंधान अध्ययनों, आंकड़ा आधारित प्रबंधन विकास तथा भवन संरक्षण आदि के लिए राष्ट्रीय श्रम आर्थिकी तथा कौशल विकास के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.75 करोड़)।	(a)	(i) Grants-in-aid General for National Labour Economics and skill Development Institute to undertake research studies and to develop data based management and maintenance of building etc. (₹ 0.75 crore)
	(ii) अनुसंधान अध्ययनों, आंकड़ा आधारित प्रबंधन विकास तथा भवन संरक्षण आदि के लिए राष्ट्रीय श्रम आर्थिकी तथा कौशल विकास के लिए सामान्य अनुदान सहायता पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.25 करोड़)।		(ii) Grants for Creation of Capital Assets for National Labour Economics and skill Development Institute to undertake research studies and to develop data based management and maintenance of building etc. (₹ 0.25 crore)
	(iii) यूएनडीपी समर्थित परियोजना विकेन्द्रीकृत आयोजना हेतु क्षमता सुदृढीकरण स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.42 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		(iii) Grants-in-aid General under the scheme for UNDP assisted Project -Strengthening Capacities for Decentralized Planning" (₹ 1.42 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	जिलों के क्षमता विकास के लिए यूएनडीपी सहायता हेतु व्यय को पूरा करना (₹ 3.12 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(b)	meeting the expenditure for UNDP Assistance for Capacity Development for Districts (₹ 3.12 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 76

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 58 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 8045.85	2778.05	10823.90
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	125.00	125.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	15.00	15.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8045.87	2918.05	10963.92
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 6801 - Loans for Power Projects	Voted: 15.00	...	15.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

गैर अनुसूचित जाति उपयोजना तथा गैर पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक के अन्तर्गत पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास सुधार (आर-एपीडीआरपी) के लिए ₹ 15.00 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराना। अनुदान के राजस्व अन्भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

providing loan of ₹ 15.00 crore for Restructured Accelerated Power Development Reforms (R-APDRP) under Non Scheduled Castes Sub Plan and Non North Eastern Region Component. Taking into account surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.97	...	0.97
	स्वीकृत:	Voted:	300.37	...	300.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		301.35	...	301.35
	भारित:	Charged:	0.97	...	0.97
	स्वीकृत:	Voted:	300.38	...	300.38

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	स्वीकृत: 2011 -Parliament/State/Union Territory Legislatures	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्य सभा सचिवालय द्वारा किराए पर लिए गए कार्यालय स्थान हेतु किराये के भुगतान सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए सचिवालय उप-शीर्ष के अन्तर्गत नए किराया, दर व कर, शीर्ष के लिए (₹ 5.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting to make new head 'Rent, Rates and Taxes' under the Secretariat sub-head operative for meeting expenditure on payment of rent for office space hired by Rajya Sabha Secretariat (₹ 5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 80 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:	Charged:	157.92	...	157.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	8.72	...	8.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		166.64	...	166.64
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2051 - लोक सेवा आयोग	भारित: 2051 - Public Service Commission	Charged:	...	8.72	8.72

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं और इसके द्वारा किए गए चयन का अतिरिक्त व्यय (₹ 8.72 करोड़)

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

additional expenditure of examinations conducted by UPSC and Selections made by it (₹ 8.72 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 82

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)
(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित:	Charged:	...		10.00	10.00
स्वीकृत:	Voted:	16592.08		32264.15	48856.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01		...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित:	Charged:	...		20.00	20.00
स्वीकृत:	Voted:	611.51		...	611.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17203.60	32294.15	49497.75	
भारित:	Charged:	...		30.00	30.00
स्वीकृत:	Voted:	17203.60		32264.15	49467.75

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	300.00 (खb)	...	300.00
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	311.50 (गc)	...	311.50
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	611.50	0.01	611.51
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	भारित: 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Charged:	...	20.00 (घd)	20.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		611.50	20.01	631.51
भारित:	Charged:	...		20.00	20.00
स्वीकृत:	Voted:	611.50		0.01	611.51

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	3601 - Grants-in-aid to State Governments	(-) 300.00	...	(-) 300.00	
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	(-) 311.50	...	(-) 311.50	
जोड़	Total	(-) 611.50	...	(-) 611.50	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा भूटान के अंदर सड़कों के रख-रखाव के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.19 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।</p> | <p>(a) Grants-in-aid General for maintenance of roads inside Bhutan by Border Roads Development Board (₹ 8.19 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) राज्य के लिए अनुदान हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 300 करोड़)। चूंकि यह राशि केन्द्रीय सड़क निधि से पूरी की जाएगी, इससे नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(b) Grants for creation of capital assets from Central Road Fund for Grant for State Road (₹ 300 crore). Since the amount will be met from the Central Road Fund, this will not entail net cash outgo.</p> |
| <p>(ग) दिल्ली की सड़कों (₹ 300 करोड़) और पांडिचेरी में सड़कों (₹ 11.50 करोड़) के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। चूंकि यह राशि केन्द्रीय सड़क निधि से पूरी की जाएगी, इसमें निवल नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) Grants for creation of capital assets from Central Road Fund for Roads in Delhi (₹ 300 crore) and Roads in Puducherry (₹ 11.50 crore). Since the amount will be met from the Central Road Fund, this will not entail net cash outgo.</p> |
| <p>(घ) न्यायालय के आदेशानुसार, गैर-डिप्लोमा धारक सिविल इंजीनियरों को बकाया के भुगतान के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रमुख कार्यों के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 20.00 करोड़)। अनुदान के राजस्व/पूंजी स्वीकृत भाग में अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपलब्ध बचत (₹ 20.00 करोड़) को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(d) meeting additional expenditure for payment of arrears to Non-Diploma Civil Engineers as per Court Order under Major Works by Border Roads Development Board (₹ 20.00 crore). Taking into account the surrender of savings (₹ 20.00 crore) available in the Revenue/Capital Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 83

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 60 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 113304.85	...	113304.85
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	113304.88	...	113304.88
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2505 - ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत: 2505 -Rural Employment	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नैशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, जिला कार्यक्रम समन्वयको को सहायता हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों (₹ 280 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान के रूप में निधि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बजट को देखते हुए ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional requirement of fund as Grants for Creation of Capital Assets (₹ 280 crore) towards Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others under National Rural Employment Guarantee Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3561.30	9.70	3571.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3561.31	9.70	3571.01	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'प्रशासन स्कीम के अन्तर्गत विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए सामान्य अनुदान सहायता पर अतिरिक्त व्यय (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

additional expenditure (₹ 0.50 crore) towards Grants-in-Aid General for Council of Scientific and Industrial Research under the Scheme 'Administration'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1502.06	...	1502.06	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1502.07	...	1502.07	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नेशनल सेंटर फार सेल साइंसेज, पुणे को वेतन हेतु अनुदान सहायता (₹ 3 करोड़) (ख) अनुसंधान एवं विकास-मेडिकल बायोटेक्नालाजी के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 11.75 करोड़) (ग) निम्न हेतु पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान : (i) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइन्स एण्ड टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद (₹ 12 करोड़), (ii) ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम (₹ 6 करोड़), (iii) इंटर-इंस्टीट्यूटशनल एण्ड डीबीटी पार्टनरशिप सेन्टर्स (₹ 3.60 करोड़), (iv) बायोटेक सुविधाएं (₹ 5 करोड़) तथा अंतर राष्ट्रीय सहयोग (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

(a) Grants-in-aid Salaries (₹ 3 crore) to National Centre for Cell Sciences, Pune, (b) Grants-in-aid General (₹ 11.75 crore) for Research and Development - Medical Biotechnology, (c) Grants for creation of Capital Assets towards (i) Translational Health Science & Technology Institute, Faridabad (₹ 12 crore), (ii) Grand Challenge Programme (₹ 6 crore), (iii) Inter-Institutional and DBT Partnerships Centres (₹ 3.60 crore), (iv) Biotech Facilities (₹ 5 crore), and (v) International Cooperation (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 88

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)
(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1392.28	658.39	2050.67	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	299.36	0.02	299.38	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1691.64	658.42	2350.06	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- निम्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	153.03 (का)	153.03	
3056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत: 3056 -Inland Water Transport	Voted: ...	146.33 (खb)	146.33	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: ...	299.36	299.36	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01	
6858 - अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6858 - Loans for Engineering Industries	Voted: ...	0.01 (घd)	0.01	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.01	0.01	0.02	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	299.37	299.38	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स (एचडीपीई) लि. की हानि को बट्टे खाते में डालने के कारण आयकर देयता पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 250.63 करोड़)।
(ii) एचडीपीई लि. के वीआरएस के तहत भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध (Rs. 153.03 करोड़) की बचत के अभ्यर्पण और अनुदान के उसी भाग में (Rs. 98.60 करोड़) का उपयोग करने के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

- (ख) केंद्रीय द्वीप जल परिवहन निगम लि. के संबंध में को बट्टे खाते में डालने की एमएटी की देयता के नकदीकरण व वर्तमान मूल्यांकन वर्ष तक इश पर ब्याज सहित सामान्य सहायता अनुदान (₹ 146.33 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध Rs. 104.98 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में Rs. 41.35 करोड़ देने होंगे।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General towards income tax liability on account of write off of losses of Hooghly Dock and Port Engineers (HDPE) Ltd.(₹ 250.63 crore).
(ii) Grants-in-aid-General for payment under VRS of HDPE Ltd.(₹ 1.00 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 153.03 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 98.60 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (b) Grants-in-aid General to liquidate MAT liability on loan written-off including interest thereon till current assessment year in respect of Central Inland Water Transport Corporation Ltd. (₹ 146.33 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 104.98 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo ₹ 41.35 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग) महानिदेशालय (लाइटहाउसेस और हाईटशिप्स) द्वारा जहाजों की खरीद व बदली हेतु प्रमुख कार्य (₹ 3.91 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।	(c) Major Works for purchase and replacement of vessels (₹ 3.91 crore) by Directorate General (Lighthouses and Lightships). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) वेतन और सांविधिक देनदारियों के निर्वहन हेतु एचडीपीई लि. (पूरक व अग्रिम) को अतिरिक्त अर्थोपाय ऋण पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।	(d) meeting additional ways and means loans to HDPE Ltd. (Loans and Advances ₹ 0.95 crore) for discharging salary and statutory liabilities. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 63 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	6420.32	305.00	6725.32	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6420.37	305.00	6725.37	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (i) अनुसूचित जातियों के लिए छात्रा हॉस्टल स्कीम में विभिन्न केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय (₹ 7.00 करोड़) और (ii) अनुसूचित जातियों हेतु छात्र हास्टल (₹ 4.50 करोड़), निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) अनु. जातियों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में चंडीगढ़ संघ क्षेत्र (₹ 0.27 करोड़) और (ii) अनुसूचित जातियों हेतु शीर्ष श्रेणी की शिक्षा स्कीम में विभिन्न संस्थान (₹ 2.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।</p> <p>(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के (₹ 0.30 करोड़) की वेतन सहायता अनुदान जारी करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।</p> <p>(ग) विभिन्न राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 21.70 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।</p> | <p>(a) releasing Grants for creation of Capital Assets to (i) various Central and State Universities in the scheme of Girls Hostel for Scheduled Castes (₹ 7.00 crore) and (ii) Boys Hostel for Scheduled Castes (₹ 4.50 crore), Grants-in-aid General to (i) Union Territory of Chandigarh in the scheme of pre matric scholarship for Scheduled Castes (₹ 0.27 crore) and (ii) various Institutions in the scheme of Top Class Education for Scheduled Castes (₹ 2.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) releasing Grants-in-aid Salaries of ₹ 0.30 crore to the National Commission for Backward Classes. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) releasing Grants-in-aid General to various National Institutes for Disabled Persons (₹ 21.70 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 90

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted:	3052.19	3738.95	6791.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3052.71	3739.36	6792.07
	भारित:	Charged:	0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted:	3052.21	3738.96	6791.17
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	स्वीकृत: 3402 -Space Research	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत: 5402 - Capital Outlay on Space Research	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) नार्थ इस्टर्न स्पेस अप्लीकेशन सेंटर (एनई-एसएसी), विभाग का एक स्वायत्त निकाय के आवासीय परिसर को पूरा करने के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के निमित्त अतिरिक्त व्यय (₹ 6.52 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) वेतन अनुदान सहायता पर अतिरिक्त व्यय (एनई-एसएसी (₹ 0.71 करोड़) तथा () नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी (₹ 0.48 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विस्तार संबंधी कार्यकलापों के लिए कर्नाटक सरकार से भूमि अधिग्रहण पर व्यय (₹ 45.32 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional expenditure (₹ 6.52 crore) towards Grants for creation of Capital Assets for completion of residential complex of North Eastern Space Application Centre (NE-SAC), an autonomous body of the Department.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries to (i) NE-SAC (₹ 0.71 crore), and (ii) National Atmospheric Research Laboratory (₹ 0.48 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) expenditure (₹ 45.32 crore) towards acquisition of land from Government of Karnataka, for expansion activities of Indian Space Research Organisation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 64 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4935.53	16.15	4951.68
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	13.80	...	13.80
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4949.36	16.15	4965.51

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	0.01 (का)		0.01
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 -Census Surveys and Statistics	Voted: 0.01 (खb)	13.77 (गc)		13.78
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (घd)	...		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	13.78		13.80

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्थापना संबंधी खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 5.40 करोड़)। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) योजना स्कीम आर्थिक जनगणना के तहत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में निधि जारी करने हेतु खर्च को पूरा करने के लिए (₹ करोड़)। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को वेतन अनुदान (₹ 23.97 करोड़) और (ii) नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के लिए वेतन पर खर्च (₹ 45.04 करोड़) हेतु। अनुदान के पूंजी भाग के तहत उपलब्ध 7.80 करोड़ रुपए के बचत के परित्याग, जिसका परित्याग किया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए इस पर 5.97 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।
- (घ) योजना स्कीम आर्थिक जनगणना के तहत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में निधि जारी करने हेतु खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 18.00 करोड़)। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध हैं, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक प्रतीकात्मक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting establishment related expenditure (₹ 5.40 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the expenditure for releasing fund as Grants-in-aid to States, under the Plan scheme Economic Census (₹ 0.05 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For (i) Grants-in-Aid Salary (₹ 23.97 crore) to Indian Statistical Institute, Kolkata and (ii) expenditure on Salary (₹ 45.04 crore) for National Sample Survey Organisation. Taking into account surrender of savings of ₹ 7.80 crore available under Capital Section of the grant, which would be surrendered, this will entail a net cash outgo of ₹ 5.97 crore.
- (d) meeting the expenditure for releasing fund as Grant-in-aid to States, under the Plan Scheme Economic Census (₹ 18.00 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5423.92	7.67	5431.59
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	96.06	0.50	96.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	...	55.00	55.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5519.98	63.17	5583.15
भारित:	Charged:	...	55.00	55.00
स्वीकृत:	Voted:	5519.98	8.17	5528.15
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	भारित: 6860 - Loans for Consumer Industries	Charged: ...	55.00	55.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को वेतन एवं पारिश्रमिक सम्बन्धी बकायों के भुगतान से जुड़ा व्यय।

अनुदान के राजस्व-स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को हिसाब में लेते हुए उपरोक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

expenditure towards payment of the arrears of salary and wages to the employees of British India Corporation in compliance of Hon'ble Supreme Court order.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue-Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 95

जनजाति कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)
(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 70 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 3782.23	...	3782.23
	स्वीकृत:	Voted: 443.71	70.00	513.71
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 74.35	...	74.35
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4300.32	70.00	4370.32
	भारित:	Charged: 3856.58	...	3856.58
	स्वीकृत:	Voted: 443.74	70.00	513.74

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत: 2013 -Council of Ministers	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) मंत्रालयों द्वारा विवेकाधीन अनुदान के तहत अन्य प्रभार (₹ 0.05 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।</p> <p>(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी मूल्य श्रृंखला बनाने के माध्यम से "मैकेनिज्म फोर मार्केटिंग ऑफ माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस (एमएफपी)" स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.45 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।</p> | <p>(a) Other Charges under Discretionary Grant by Ministers (₹ 0.05 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) Grants for creation of capital assets (₹ 0.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 2.45 crore) under the scheme "Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce(MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|---|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 96

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 72 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted: 2631.69	671.72	3303.41
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 122.27	...	122.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 31.30	0.10	31.40
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2785.27	671.82	3457.09
	भारित:	Charged: 0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted: 2785.26	671.82	3457.08
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	26.21 (का)	26.21
नौवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping			
3052 - नौवहन	स्वीकृत: 3052 -Shipping	Voted: 5.09 (खb)	...	5.09
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 5.09	26.21	31.30
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
पर्यावरण और वन मंत्रालय	Ministry of Environment and Forests			
6406 - वानिकी और वन्य जीवन के लिए ऋण	स्वीकृत: 6406 - Loans for Forestry and Wild Life	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways			
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted: 0.01 (चf)	...	0.01
नौवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping			
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted: 0.01 (छg)	...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development			
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: 0.01 (जh)	...	0.01
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted: 0.01 (झi)	...	0.01
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted: 0.01 (ञj)	...	0.01

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01	(₹क)	...	0.01
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted:	0.01	(₹ल)	...	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.09		0.01	0.10
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	5.18		26.22	31.40

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) बिजलीघरों के लिए एचएसडी तेल की खरीद के लिए खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 72.78 करोड़)।
- (ख) नौवहन क्षेत्र के लिए एचएसडी तेल की खरीद के लिए खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 77.22 करोड़)।
- अनुदान के पूंजी खंड के तहत उपलब्ध बचत के परित्याग को ध्यान में रखते हुए और बचत को अनुदान के उसी भाग में उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त दोनों मामलों में खर्च पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) अंडमान एवं निकोबार आइलैंड फॉरेस्ट प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निधि प्रदान किए जाने हेतु (एएनआईएफपीडीसीएल) (₹ 1.01 करोड़)।
- (घ) पुलिस नावों के लिए यंत्रों की खरीद पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 0.19 करोड़)।
- (ङ) आपदा प्रबंधन के लिए यंत्रों की खरीद पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 0.15 करोड़)।
- (च) ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 2.45 करोड़)।
- (छ) विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में छज्जों के चालू निर्माण कार्य पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 2.45 करोड़)।
- (ज) विभिन्न सिविल कार्यों पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 2.28 करोड़)।
- (झ) सरकारी क्वार्टरों के निर्माण पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 2.45 करोड़)।
- (ञ) चालू सिविल कार्यों पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 0.73 करोड़)।
- (ट) विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 0.94 करोड़)।
- (ठ) ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम के तहत चालू कार्यों पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 1.48 करोड़)।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक प्रतीकात्मक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the expenditure for procurement of HSD oil for Power Houses (₹ 72.78 crore)
- (b) meeting the expenditure for procurement of HSD oil for Shipping Sector (₹ 77.22 crore)
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the expenditure in the above two cases will not entail any additional cash outgo.
- (c) providing funds to Andaman and Nicobar Islands Forest Plantation and Development Corporation Limited (ANIFPDCL) (₹ 0.01 crore).
- (d) meeting additional expenditure on procurement of machineries for Police Boats (₹ 0.19 crore).
- (e) meeting additional expenditure on procurement of machineries for Disaster Management (₹ 0.15 crore).
- (f) meeting additional expenditure on construction of Rural roads (₹ 2.45 crore).
- (g) meeting additional expenditure on ongoing construction works of Jetties at various tribal areas (₹ 2.45 crore).
- (h) meeting additional expenditure on various civil works (₹ 2.28 crore).
- (i) meeting additional expenditure on construction of Government Quarter (₹ 2.45 crore).
- (j) meeting additional expenditure on ongoing civil works (₹ 0.73 crore).
- (k) meeting additional expenditure on developmental works at various Tribal areas (₹ 0.94 crore).
- (l) meeting additional expenditure on ongoing works under the scheme Rural Electrification (₹ 1.48 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementaries are sought in the above ten cases.

मांग संख्या DEMAND NO. 97

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)
(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 74 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	19.93	0.05	19.98
	स्वीकृत:	Voted:	2922.51	549.12	3471.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.06	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2942.44	549.24	3491.68
	भारित:	Charged:	19.93	0.05	19.98
	स्वीकृत:	Voted:	2922.51	549.19	3471.70
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
4403 - पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
संस्कृति मंत्रालय	Ministry of Culture				
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
उच्चतर शिक्षा विभाग	Department of Higher Education				
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
श्रम और रोजगार मंत्रालय	Ministry of Labour and Employment				
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways				
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.06	...	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पशुपालन विभाग के कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय का प्रावधान करने हेतु (₹ 0.05 करोड़)।
- (ख) सरकारी कला महाविद्यालय (₹ 0.05 करोड़) और गवर्मेन्ट म्युजियम एण्ड आर्ट गैलरी (₹ 0.04 करोड़) के चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय का प्रावधान करने हेतु।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure to complete the works of Animal Husbandry Department (₹ 0.05 crore).
- (b) Meeting the additional expenditure to complete the ongoing works of Government College of Arts (₹ 0.05 crore) and Government Museum and Art Gallery (₹ 0.04 Crore)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग)	प्राथमिक शिक्षा (₹ 0.18 करोड़) से संबंधित चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c)	meeting additional expenditure to complete the ongoing works relating to Elementary Education (₹ 0.18 crore).
(घ)	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़ (₹ 0.20 करोड़) के चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय का प्रावधान करने हेतु।	(d)	meeting the additional expenditure to complete the ongoing construction works of Industrial Training Institute, Chandigarh (₹ 0.20 crore).
(ङ)	चण्डीगढ़ में सम्पर्क सड़कों निर्माण के व्यय को पूरा करने हेतु अतिरिक्त प्रावधान करने हेतु (₹ 1.01 करोड़)।	(e)	meeting the additional expenditure for construction of Link Roads in Chandigarh (₹ 1.01 crore).
(च)	चण्डीगढ़ में विभिन्न बागवानी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए (₹ 2.29 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु प्रावधान करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक अनुपूरकों की मांग की जाती है।	(f)	meeting additional expenditure to complete the various Horticulture works in Chandigarh (₹ 2.29 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 100

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 75 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	778.43	246.30	1024.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	778.48	246.31	1024.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 - Census Surveys and Statistics	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development			
4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4711 - Capital Outlay on Flood Control Projects	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्थापना और अन्य संबंधित व्यय को पूरा करना (₹ 0.55 करोड़)।
- (ख) लक्षद्वीप प्रायद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र कटाव-रोधी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना ₹ 5.41 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting establishment and other related expenditure (₹ 0.55 crore).
- (b) meeting additional expenditure to complete the anti-sea erosion works in the coastal areas of Lakshadweep islands (₹ 5.41 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 101

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 76 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	44.42	26.00	70.42
	स्वीकृत:	Voted:	1281.29	6945.07	8226.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	11.87	21.70	33.57
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	...	1.00	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1337.61	6993.78	8331.39
	भारित:	Charged:	56.29	48.70	104.99
	स्वीकृत:	Voted:	1281.32	6945.08	8226.40

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (क)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4216 - Capital Outlay on Housing	Charged:	1.00 (ख)	...	1.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1.01	...	1.01
	भारित:	Charged:	1.00	...	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों (₹ 13.82 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(a) Grants for creation of capital assets (₹ 13.82 crore) for Augmentation of Water Supply in North Eastern Areas. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) पंचाट अवार्ड/न्यायालयी मामलों के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(b) Payments of arbitration awards/court cases under Major Works (₹ 1.00 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 102

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 78 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	1.03	1.00	2.03
स्वीकृत:	Voted:	1469.49	558.25	2027.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	25.01	25.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.02	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1470.54	584.28	2054.82
भारित:	Charged:	1.03	1.00	2.03
स्वीकृत:	Voted:	1469.51	583.28	2052.79

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत: 2059 -Public Works	Voted: ...	0.01	(क) (a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: 0.01	(ख) (b)	0.01	(ग) (c)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.02		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निरीक्षण बंगलों गेस्ट हाउसों, हाली-डे होम के अनुरक्षण/साज सज्जा के लघु निर्माण कार्यों के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- (ख) राष्ट्रीय स्मृति, समाधि/मेमोरियल्स के उन्नयन हेतु प्रमुख कार्यों के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।
- (ग) कार्मिकों, लोक शिकायत तथा पेंशन के प्रमुख कार्यों के लिए (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।

The supplementary grants are required for:

- (a) Minor Works for Maintenance/Upkeep of Inspection Bungalows, Guest Houses & Holiday Homes (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Major Works for creation of Rashtriya Smriti, Up-gradation of Samadhi/Memorials (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Major Works of Personnel, Public Grievances & Pensions (₹ 2.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 105

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये और वर्ष 2013-2014 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014 and page 80 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 20440.00	...	20440.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 200.01	...	200.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20640.02	...	20640.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के अन्तर्गत दादर व नगर हवेली के लिए अतिरिक्त आवश्यकता हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 14.40 करोड़)।
- (ii) उज्ज्वल स्कीम के अन्तर्गत व्यावसायिक यौन शोषण का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 3.00 करोड़)।
- (iii) जेंडर बजटिंग संबंधी कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.12 करोड़)।
- (iv) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for the additional requirement for Dadar and Nagar Haveli under the scheme Integrated Child Development Services (₹ 14.40 crore).
- (ii) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement for combating trafficking for commercial sexual exploitation under the scheme 'Ujjawala' (₹ 3.00 crore).
- (iii) Grants-in-aid General for meeting additional requirement for organising workshops etc. on Gender Budgeting (₹ 0.12 crore).
- (iv) Grants-in-aid General to Central Social Welfare Board for meeting the additional requirement (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 106

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 देखिये)

(See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	1218.10	0.90	1219.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:					
स्वीकृत:		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1218.11	0.90	1219.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत: 2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01 (क)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

(क) (i) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नांकित स्वायत्त निकायों को सामान्य अनुदान सहायता: (1) नेहरू केन्द्र संगठन (₹ 2.00 करोड़) तथा (2) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 25.00 करोड़)।	(a) (i) Grants-in-aid General to the following Autonomous Bodies for meeting the additional requirement:- (1) Nehru Kendra Sangathan (₹ 2.00 crore) and (2) Sports Authority of India (₹ 25.00 crore).
(ii) नेहरू केन्द्र संगठन को वेतन अनुदान सहायता (₹ 14.32 करोड़)।	(ii) Grants-in-aid Salaries to the Nehru Kendra Sangathan (₹ 14.32 crore).
(iii) कोचिंग कैम्पों के आयोजन और खिलाड़ियों की तैयारी हेतु विदेश भेजने के तथा आगामी खेल कार्यक्रमों अर्थात् सोची विंटर ओलम्पिक 2014, एशियाई खेल 2014 तथा राष्ट्रमंडल खेल 2014, जो "राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता" (₹ 21.61 करोड़) स्कीम के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं, अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता।	(iii) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement towards organizing coaching camps and exposure abroad for preparation of sportspersons and forthcoming sports events viz. Sochi Winter Olympics 2014, Asian Games 2014 and Commonwealth Games 2014 under the scheme of "Assistance to National Sports Federations" (₹ 21.61 crore).
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2013-14 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2013-14.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2013-2014 Budget Estimates 2013-2014	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय डाक विभाग Department of Posts	3201.03.101.01.01.01 - वेतन 3201.03.101.01.01.01-Salaries	108.50	8.50	वेतन की पूर्ति हेतु To meet salaries
		3201.02.101.04.01.28- पीपीएस			स्वचालित डाक प्रसंस्करण केन्द्रों की गतिविधियां पर व्यवसायिक सेवाओं के मदों पर होने वाले व्ययों की अदायगी हेतु
		3201.02.101.04.01.28-PPS	3.50	4.90	To meet committed expenses of professional charges on AMPC Activities.
		3201.02.101.09.99.28- पीपीएस			व्यवसायिक सेवाओं के व्ययों की अदायगी हेतु
		3201.02.101.09.99.28-PPS	5.00	4.98	To meet committed expenses of professional charges
		5201.00.103.02.00.53- भवन			प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भूमि खरीद के प्रतिबद्ध व्ययों की अदायगी
		5201.00.103.02.00.53-Building	3.50	3.00	To meet committed expenses of Land acquisition for Training Institutions.
2.	संस्कृति मंत्रालय Ministry of Culture	एमएच 2205 वर्ल्ड हैरिटेज फंड को अंशदान 2205.00.798.01.00.32 MH 2205 Contribution to World Health Fund 2205.00.798.01.00.32	0.08	0.025	वर्ल्ड हैरिटेज फंड में भारत का अंशदान करने हेतु To make India's contribution towards World Heritage Fund.
		एमएच 2205 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 2205.00.104.01.03.20 MH 2205 National Archives of India 2205.00.104.01.03.20	0.16	0.25	खरीद परिवार, इजराइल के दौरे का व्यय पूरा करने हेतु जहां से गांधी काले बेंच के पेपर खरीदे गए थे। To meet expenses towards visit of Sarid family, Israel from which Gandhi Kallenbench papers were purchased.
		एमएच 2205 राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा 2205.00.102.06.02.02 MH 2205 National Gallery of Modern Art 2205.00.102.06.02.02	0.06	0.15	परिश्रमिकों के भुगतान हेतु। For payment of wages.

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	एमएच 2205 टैगोर सांस्कृतिक कांप्लेक्स (अभी तक-बच्चों के लिए सहित बहुप्रयोजनीय सांस्कृतिक कांप्लेक्सों की स्थापना 2205.00.102.04.30.11 2205.00.102.04.30.13 2205.00.102.04.30.20 MH 2205 Tagore Cultural Complexes (Ereastwhile-Setting up of Multi- purpose Cultural Complexed including those for children) 2205.00.102.04.30.11 2205.00.102.04.30.13 2205.00.102.04.30.20				स्कीम के तहत बैठक, सम्मेलनों के आयोजन, विशेषज्ञों के भाग व्यय संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु। To meet the expenses on convening of meetings conferences travel expenses of experts under the Scheme. 0.45 0.005 0.01
	एमएच 2205 राष्ट्रीय म्यूजियम 2205.00.107.02.03.01 MH 2205 National Museum 2205.00.107.02.03.01		0.28	0.15	वेतन के भुगतान हेतु। For payment of salaries.
3.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2406.01.003.03 आईएफएस अधिकारियों को प्रशिक्षण			आईएफएस अधिकारियों के लिए देश के प्रमुख संस्थानों द्वारा आयोजित एवं वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित साप्ताहिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए पाठ्यक्रम शुल्क और रहने-ठहरने के प्रभारों के भुगतान के लिए ।
	Ministry of Environment & Forests	2406.01.003.03 Training to IFS Officers	2.10	1.00	For payment of course fee and boarding and loading charges for one week refresher training courses and two-day training workshops organized by various premier institutinons of the country and sponsored by the MoEF for the IFS officers.
4.	प्रत्यक्ष कर Direct Taxes	राजस्व अनुभाग: एमएच 2020 आय और व्यय संबंधी कर संग्रहण (प्रमुख शीर्ष) 00.001-निर्देशन और प्रशासन (गौण शीर्ष) 01 अन्वेषण Revenue Section: MH 2020 Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head) 00.001-Direction and Admin- istration (Minor Head) 01-Investigation			

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		01.00.41- गुप्त सेवा और व्यय अस्पतालों की स्थापना			सूचना उपकरण और कल्टिवेटिंग आसूचना व सूचना प्रदाता आधार की खरीद और सूचना प्रदाता को पुरस्कार देने के लिए भुगतान हेतु आयकर विभाग के अन्वेषण विंग द्वारा अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है।
		01.00.41 Secret Service Expenditure	1.20	0.50	Additional funds are required by the investigation wing of the Income Tax Department to make payment for purchase of information, equipment and cultivating intelligence and informer base and payment of reward to informers.
		03 संगठन और प्रबंधन सेवाएं 03.00.03 समयोपरि भत्ता 03 Organization & Management Services			बढ़ोत्तरी लंबित समयोपरि भत्तों का निपटान करने के लिए है।
		03.00.03 Overtime Allowance	0.0010	0.0010	The increase is to clear pending overtime bills.
		00.101- आयकर संग्रहण प्रभार (गौण शीर्ष) 01 आयुक्त और उनके कार्यालय 01.01 स्थापना 00.101-Collection of Income Tax (Minor Head) 01 Commissioner and their offices 01.01 Establishment			
		01.99- सूचना तकनीकी 01.99.13 कार्यालयी व्यय			नए कंप्यूटरों की खरीद, एएमसी संबंधी व्यय के साथ ही रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए डाटा एन्ट्री आपरेटरों की आउटसोर्सिंग के भुगतान के लिए व्यय को पूरा करने हेतु अधिक निधियों की आवश्यकता है।
		01.99 Information Technology 01.99.13 Office Expenditure	40.00	7.16	More funds are required to meet the expenditure for purchase of new computers, AMC related expenses and also for payment of outsourcing of Data Entry Operators for processing of returns.
		02 आयकर, संपत्ति कर के मामलों के लिए 02.00.06 व्यवस्थापन आयोग 02 Settlement Commission for Income Tax Wealth Tax cases			बढ़ोत्तरी मेडीकल के लंबित बिलों को निपटाने के लिए है।
		02.00.06 Medical Treatment	0.18	0.06	The increase is to clear pending medical bills.
		04 प्रधान प्रमुख लेखा नियंत्रक का जोनल लेखा कार्यालय 04.00.01 वेतन			यह बढ़ोत्तरी वर्ष के दौरान सृजित नए जोनल कार्यालय और मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के कारण भुगतान को पूरा करने के लिए है।

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	04- Zonal Accounts Offices of Chief Controller of Accounts				The increase is to meet the payment on account of creation of new Zonal Account Offices during the year and increase in dearness allowances.
	04.00.01 Salaries	41.04	10.96		
	04.00.12 विदेशी यात्रा				यह बढ़ोत्तरी स्वीकृत विदेशी दौरों के व्यय को पूरा करने के लिए है। श्री संदीप ताराचंद, यूकेई, आईसीएस को सीजीए का कार्यालय, भारत सरकार द्वारा कार्यकारी विकास कार्यक्रम के लिए नामांकित किया गया है।
	04.00.12 Foreign Travel Expenses	0.00	0.03		The increase is to meet the expenditure on sanctioned foreign tours.
	04.00.28- पेशेवर सेवाएं				परामर्श शुल्क व अन्य कानूनी मामलों संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की जरूरत होती है।
	04.00.28-Professional Services	0.11	0.003		The additional funds are required to meet the expenses related to consultancy fees and other legal matters.
	04.99- सूचना तकनीकी				नए कंप्यूटरों की खरीद और अन्य एएमसी संबंधी व्यय के साथ ही पीसीसीए, सीबीडीटी द्वारा विकसित किए जा रहे नये कार्यक्रम के लिए नया सर्वर खरीदने के व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की अपेक्षा है।
	04.99.13-कार्यालयी व्यय				
	04.99-Information Technology				Additional funds are required to meet the expenditure for purchase of new computers and other AMC related expenses and also for purchase of new server for the new programme being developed by Pr.CCA, CBDT.
	04.99.13- Office Expenditure	2.50	1.50		
	00.800- अन्य व्यय (गौण शीर्ष)				बढ़ी हुई निधियां माननीय न्यायालय के आदेश के कारण अपेक्षित हैं।
	02- आथोरिटी फोर एडवांस्ड रूलिंग्स				
	02.00.02- पारिश्रमिक				
	00.800-Other Expenditure (Minor Head)				The enhanced Rinds are required on account of Hon'ble Court's Order.
	02- Authority for Advance Rulings				
	02.00.02-Wages	0.00	0.03		
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग Department of Health & Family Welfare	2013.00.105.01 स्वास्थ्य मंत्री Ministry of Health	(आयोजना-भिन्न) (Non-Plan)	1.50	1.00
					गरीबों को वित्तीय सहायता की दरों में परिवर्तित बढ़ोत्तरी Upward revision of rates of financial assistance to the Poor.

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2071.01.118.01- केंद्रीय सरकार पेंशनधारक (आयोजना-भिन्न)			सीजीएचएस पेंशनधारकों के हॉस्पिटल में उपचार पर व्यय में बढ़ोत्तरी
		2071.01.118.01-Central Government Pensioners	725.00 (Non-Plan)	142.48	Increased expenditure on hospitalization of the CGHS pensioners.
		2210.01.001.04 - राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय (आयोजना)			चिकित्सा पत्रिकाओं पर बढ़ा व्यय।
		2210.01.001.04-National Medical Library	21.50 (Plan)	11.72	Increased expenditure on medical Journals
		2210.01.103.24- डिस्पेंसरी/ अस्पतालों की स्थापना (आयोजना) (आयोजना-भिन्न)			कार्यालयी खर्च और आपूर्तियों व सामग्रियों की खरीद व पेशेवर सेवाएं किराए पर लेने पर बढ़ा व्यय
		2210.01.103.24-Setting up of Dispensaries/Hosp.	62.47 (Plan)	11.48	Increased expenditure on Office Expenses and procurement of
			694.00 (Non-Plan)	57.97	Supplies & Materials and hiring of professional services.
		2210.01.110.19 - सफदरजंग (आयोजना) अस्पताल, नई दिल्ली (आयोजना-भिन्न)			कार्यालयी खर्च आरआरएण्डटी, आपूर्तियों व सामग्रियों, गौण कार्यों और पेशेवर सेवाएं लेने पर बढ़ा व्यय
		2210.01.110.19 -Safdarjang Hospital, New Delhi	180.00 (Plan)	46.80	Increased expenditure on Office Expenses RR&T, Supplies and
			235.64 (Non-Plan)	7.11	Materials, Minor Works and hiring of professional services.
		2210.01.110.20 - डा. आर.एम.एल. (आयोजना) अस्पताल, नई दिल्ली (आयोजना-भिन्न)			कार्यालयी खर्च आरआरएण्डटी, आपूर्तियों व सामग्रियों, गौण कार्यों और पेशेवर सेवाएं लेने पर बढ़ा व्यय
		2210.01.110.20 -Dr. R.M.L. Hospital, New Delhi	87.55 (Plan)	22.95	Increased expenditure on Salaries Office Expenses, Supplies and
			162.50 (Non-Plan)	11.10	Materials, Minor Works and hiring of professional services.
		2210.01.800.29 - भारत व विदेश में सामग्रियों की खरीद (आयोजना)			सीजीएचएस औषधालयों/पैरा मिलिट्री इकाइयों जैसे सीमा सुरक्षा बल/केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, के.ओ.सु.ब. और अन्य के प्रोप्राइटी व जेनेटिक दवाइयों के आपूर्ति आदेशों के व्यवस्थापन हेतु।
		2210.01.800.29 -Purchase of Materials in India and abroad	115.00 (Plan)	120.00	For settlement of supply orders of proprietary and generic drugs to CGHS dispensaries/Para Military units like BSF, CRPF, ITBP, CISF and others.
		2210.80.798.04 - अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता (आयोजना)			अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शब्दावली की मानक विकास संगठन (आईएचटीएसडीओ) की सदस्यता और भारत वेग लिए एसएनओएमईडी-सीटी का लाइसेंस हासिल करने के लिए अंशदान के भुगतान हेतु।
		2210.80.798.04 -Technical Wing at Headquarter	6.00 (Plan)	6.19	For payment of contribution to obtain membership of 'International Health Terminology Standard Development Organization' (IHTSDO), and license for SNOMED-CT for India.

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2210.80.798.07 - चिकित्सा (आयोजना-भिन्न) और जनस्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन			अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।
		2210.80.798.07 - International Conferences on Medical and Public Health.	1.00 (Non-Plan)	1.55	For meeting additional expenditure on holding international conferences.
		2210.80.798.09- विश्व स्वास्थ्य (आयोजना-भिन्न) संगठन व अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां			विश्व स्वास्थ्य संगठन को वार्षिक अंशदान के प्रतिबद्ध भुगतान के पूरा करने के लिए।
		2210.80.798.09-WHO and Other International Agencies	14.65 (Non-Plan)	6.84	For meeting the obligatory payments towards annual contribution to WHO.
		2552.00.285.01- डिस्पेंसरी/ अस्पतालों की स्थापना	(आयोजना)		सीजीएचएस, गुवाहाटी के साथ पीएण्डटी डिस्पेंसरियों के अभिलेख द्वारा आवश्यक वेतनों का अतिरिक्त व्यय।
		2552.00.285.01-Setting up of Dispensaries and Hospitals	11.28 (Plan)	4.77	Additional expenditure on salaries necessitated by merger of P&T Dispensaries with CGHS, Guwahati.
		3601.04.263.72.01 - परिचारिका (आयोजना) सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) की उन्नयन/सुदृढीकरण			ए.एन.एम/जीएमएम विद्यालयों/महाविद्यालयों के उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकारको वित्तीय सहायता।
		3601.04.263.72.01 -Upgradation/ Strengthening of Nursing Services (ANM/GNM)	0.01 (Plan)	7.00	Financial assistance to State Govt. of U.P. for upgrading ANM/GNM Schools/Colleges.
		2210.06.001.09.02 - राष्ट्रीय (आयोजना) रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (जीसी) न्यू			अधिक स्थापना व्यय और अनुसंधान कार्य के लिए वित्तीय सहायता में बढ़ोत्तरी के कारण।
		2210.06.001.09.02 -Directorate of National Vector Borne Diseases Control Programme (GC) New	5.50 (Plan)	13.85	Due to excess establishment expenditure and increase in financial assistance for research work.
		2210.06.001.09.02 - राष्ट्रीय (आयोजना- रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (जीसी) न्यू भिन्न)			अधिक स्थापना व्यय के कारण
		2210.06.001.09.02 -Directorate of National Vector Borne Diseases Control Programme (GC) New	184.09 (Non-Plan)	1.50	Due to excess establishment expenditure
		2211.00.106.10 - सूचना, शिक्षा (आयोजना) और संप्रेषण आरसीएच परियोजना			स्वस्थ भारत कार्यक्रम और अन्य आईईसी कार्यकलापों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियां
		2211.00.106.10 -Information, Education and Communication RCH Project	177.29 (Plan)	72.00	Additional funds required for Swasth Bharat Programme and Other IEC activities.
		2211.00.200.21 - एफपी सामग्री (आयोजना- की आपूर्ति भिन्न)			राज्य से गर्भनिरोधक सामग्रियों की अधिक मांग
		2211.00.200.21 -Free Supply of FP Material	112.40 (Non-Plan)	50.27	More demand from the States for Contraceptive Materials.

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601.04.246.04.03 - पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम -नया	(आयोजना)		अधिक संख्या में पल्स पोलियो राउंड के कारण।
		3601.04.246.04.03 - Pulse Polio Immunisation Programme - New	244.77 (Plan)	37.69	Due to more number of Pulse Polio rounds.
		3601.04.263.74.01 - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (जीसी) न्यू	(आयोजना)		डीडीटी की दरों में परिवर्तन
		3601.04.263.74.01 - National Vector Borne Diseases Control Programme -Commodity Grants - GC New	11.90 (Plan)	7.64	Due to revision in the rates of DDT.
		3601.04.789.07.09 - एनआरएचएम आरसीएच फ्लेक्सी पूल -पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम - नया	(आयोजना)		अधिक संख्या में पल्स पोलियो राउंड के कारण।
		3601.04.789.07.09 - NRHM-RCH Flexible Pool - Pulse Polio Immunisation Programme New	76.64 (Plan)	9.65	Due to more number of Pulse Polio rounds.
		3601.04.789.08.07 - संक्रमणीय रोगों हेतु फ्लेक्सीबल पूल - राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - उत्पाद अनुदान - जीसी नया	(आयोजना)		डीडीटी की दरों में परिवर्तन
		3601.04.789.08.07 - Flexible Pool for Communicable Diseases - National Vector Borne Disease Control Programme - Commodity Grants - GC New	5.90 (Plan)	7.32	Due to revision in the rates of DDT.
		3601.04.796.07.07 - संक्रमणीय रोगों हेतु फ्लेक्सीबल पूल - राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - उत्पाद अनुदान - जीसी नया	(आयोजना)		डीडीटी की दरों में परिवर्तन
		3601.04.796.07.07 - Flexible Pool for Communicable Diseases - National Vector Borne Diseases Control Programme - Commodity Grants - GC New	2.40 (Plan)	3.95	Due to revision in the rates of DDT.
6.	एड्स नियंत्रण विभाग	2210-मेडिकल और जनस्वास्थ्य 06101-रोग रोकथाम और नियंत्रण 3317 वैश्विक सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईसीबी) को अनुदान 331731-आपूर्ति और सामग्री			पुनःविनियोग एआरवी ड्रग्स खरीदने पर व्यय को पूरा करने हेतु किया गया। 2013-14 के बजट अनुमानों में, सामान्य घटक के तहत समान राशि के प्रावधान से वैश्विक निधि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दानदाता साझेदार के साथ करार पर प्रत्याशित हस्ताक्षर के कारण रुपये 0.01 करोड़ किया गया था। करार पर हस्ताक्षर होने पर, सांकेतिक प्रावधान सामान्य घटक और उपलब्ध बचत के तहत उपलब्ध धन से वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से निफिसा पुनः विनियोग किया गया।
	Department of AIDS Control	2210-Medical and Public Health 06101 Prevention and Control of Diseases 3317 Grants to Global Fund Assisted Projects (EAC)			Re-appropriation carried out to meet expenditure on procurement of ARV Drugs. In the Budget Estimates of 2013-14 a token provision of Rs. 01 crores was

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		331731 Supply and Material	0.01	412.83	provided due to anticipated signing of the agreement with the Global Fund, Donor Partner of National AIDS Control Programme, with corresponding provisioning of amount under General Component. With the signing of the agreement Re-appropriation of the funds has been carried out with approval of Ministry of Finance from the funds available under General Component and Savings available.
7. भारी उद्योग विभाग		6858.60.190.09.00.55 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम और हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन।
Department of Heavy Industry		6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustan Cables Ltd. (HCL)	0.00	52.89	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of HCL.
		6858.60.190.19.00.55 हिन्दुस्तान टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन।
		6858.60.190.19.00.55 Loans to Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT)	0.00	43.13	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of HMT.
		6858.60.190.24.00.55 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (टीएसएल) को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (टीएसएल) के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन।
		6858.60.190.24.00.55 Loans to Triveni Structurals Ltd. (TSL)	0.00	1.68	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of TSL.
		6858.60.190.25.00.55 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड (टीएसपीएल) को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम और टीएसपीएल के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन।
		6858.60.190.25.00.55 Loans to Thungbhadra Steel Products Ltd. (TSPL)	0.00	1.26	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of TSPL.

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		6858.05.190.01.00.55 एनईपीए लिमिटेड को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम और एनईपीए के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन।
		6858.05.190.01.00.55 Loans to NEPA Ltd.	0.00	21.32	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of NEPA Ltd.
		6858.05.190.02.00.55 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीपीसी) को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम और एचपीसी लिमिटेड के एनपीपीसी लि. सब्सिडीयों के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन।
		6858.05.190.02.00.55 Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd. (NPPC)	0.00	79.78	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of NPPC Ltd. subsidiary of HPC Ltd.
		6858.60.190.09.00.55 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड को ऋण			बकाया वेतन/मानदेय, संवधि बकाया के भुगतान के लिए व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम और एचपीएफ के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा का क्रियान्वयन।
		6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustan Photo Films Ltd.	0.00	19.01	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of HPF Ltd.
8.	गृह मंत्रालय	2070.00.108.05.00.28 व्यावसायिक सेवाएं			अग्रिम जोखिम और जोखिम विश्लेषण के अध्ययन को पूरा करने के लिए मैसर्स आरएमएसआई को भुगतान के कारण।
	Ministry of Home Affairs	2070.00.108.05.00.28 Professional Services	3000	11250	Due to payment towards M/s RMSI for completion of study of Fire hazards and Risk Analysis.
9.	पुलिस	राजस्व/आयोजना/स्वीकृत 2055.00.106.01.02.24 (एनएसजी) पी.ओ.एल.			पेट्रोलियम उत्पादों के भारी दर मूल्य में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण।
	Police	Revenue/Non-Plan/Voted 2055.00.106.01.02.24 (NSG) P.O.L.	500000	40000	Due to unforeseen increase in bulk rate price of petroleum products.
		2055.00.101.03.03.27 (सीएफएसएल) गौण कार्य			कार्यालय की बिल्डिंग की वार्षिक मरम्मत व रखरखाव के कारण
		2055.00.101.03.03.27 (CFSL) Minor Works	100000	6100	Due to Annual Repair & Maintenance of the Office Building.

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2055.00.101.09.01.27 (डीएफएस) गौण कार्य 2055.00.101.09.01.27 (DFS) Minor Works	500	800	डीएफएस, मुख्यालय, नई दिल्ली की लिफ्ट के पास दो कमरों के नवीकरण के कारण Due to renovation of two rooms adjoining to the lifts at DFSS Hqrs. New Delhi.
		2055.00.105.01.03.02 (बीएसएफ) पारिश्रमिक 2055.00.105.01.03.02 (BSF) Wages	4800	2000	मुख्यालय, महानिदेशालय, बीएसएफ, नई दिल्ली में कार्यरत अनियमित कार्मिकों का मासिक वेतन बनाने हेतु, तत्काल जरूरत के कारण To meet urgently required for making monthly salary of casual labourers working in Hqrs. DG, BSF, New Delhi
		पूँजीगत/आयोजना/स्वीकृत 4055.00.202.02.00.53 (एआर) प्रमुख कार्य Capital/Non-Plan/Voted 4055.00.202.02.00.53 (AR) Major Works	4861000	3619100	विद्यमान आसंरचना के रखरखाव के कारण Due to Maintenance of the existing infrastructure.
		4055.00.202.01.00.53 (एआर) प्रमुख कार्य 4055.00.202.01.00.53 (AR) Major Works	3154000	1466900	विद्यमान आसंरचना के रखरखाव के कारण Due to Maintenance of the existing infrastructure.
		4055.00.212.01.00.53 (डीपी) मशीनरी व उपकरण 4055.00.212.01.00.53 (DP) Machinery & Equipment	10000	24900	पीटीसी में ऑडिटोरियम हॉल के रखरखाव के कारण Due to upgradation of Auditorium Hall in PTC.
		4055.00.204.03.00.52 (एनएसजी) मशीनरी व उपकरण 4055.00.204.03.00.52 (NSG) Machinery & Equipment	2500	2500	वायरलेस बाडी वार्न वीडियो सिस्टम (क्यूटीवाई-2) स्लित्थरिंग रोप (क्यूटीवाई-66) की खरीद के कारण Due to Procurement of Wireless Body Worn Video System (Qty-2) Slithering Rope (Qty-66)
10. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय		2245.80.102.14.01.06 चिकित्सा उपचार			खतरों व जखिम विश्लेषण के अध्ययन को पूरा करने हेतु मैसर्स आरएमएसआई की भुगतान के कारण।
Other Expenditure of MHA		2245.80.102.14.01.06 Medical Treatment	20000	16700	Due to payment towards M/s RMSI for completion of study of Fire hazards and Risk Analysis.
		2245.80.102.14.01.26 विज्ञापन व प्रचार 2245.80.102.14.01.26 Advertising & Publicity	2500	1000	एनडीआरएफ के कार्मिकों व उनके आश्रितों के विगत वर्ष के लंबित चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के कारण For reimbursement of last year pending medical claims of NDRF personnel as well as their dependents.
		2245.80.102.04.01.28 व्यावसायिक सेवाएं 2245.80.102.04.01.28 Professional Services	11000	10100	परामर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण Due to increase in number of consultants.

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
11.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यालयी शिक्षा व साक्षरता विभाग	2202- सामान्य शिक्षा (मु.शीर्ष) 01-बुनियादी शिक्षा (उप शीर्ष) 800- अन्य व्यय (लघु शीर्ष) 36- मदरसा में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना (एसपीक्यूईएस) 36.00.50- अन्य प्रभार			एनआईओएस, एडसिल को फण्ड जारी करना और सीजीआईएसी ओर अधिवक्ताओं के सदस्य को यात्रा भत्ता देना।
	Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy	2202-General Education (Major Head) 01- Elementary Education (Sub Major Head) 800-Other Expenditure (Minor Head) 36- The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM) 36.00.50- Other Charges	0.01	0.30	Release of funds to NIOS, EdCIL and TA/DA to member of CGIAC and advocates.
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु.शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 24- माध्यमिक शिक्षा अन्य अनुदान (मु.शीर्ष) 24.01- शिक्षा का व्यावसायिकरण (विस्तृत शीर्ष) 24.01.31 - सामान्य सहायता अनुदान			कुछ राज्य सरकारों को आवर्ती अनुदान की देयता जारी किए गए हैं।
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 796-Tribal Area Sub Plan 24- Secondary Education- Other Grants (Sub Head) 24.01- Vocationalisation of Education(Detailed Head) 24.01.31 – Grants-in-aid General	1.31	1.67	The liability of recurring grants to be released to some of the State Governments.
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु.शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 24- माध्यमिक शिक्षा अन्य अनुदान (मु.शीर्ष) 24.01- शिक्षा का व्यावसायिकरण (विस्तृत शीर्ष) 24.01.31 - सामान्य सहायता अनुदान			कुछ राज्य सरकारों को आवर्ती अनुदान की देयता जारी किए गए हैं।
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 180-Secondary Education- Other Grants (Minor Head) 01- Vocationalisation of Education (Sub Head) 01.01.31 – Grants-in-aid General	10.30	18.52	The liability of recurring grants to be released to some of the State Governments.

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			कुछ राज्य सरकारों को आवर्ती अनुदान की देयता जारी किए गए हैं।
		04- केन्द्रीय प्रयोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना			
		34- माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान (उप शीर्ष)			
		34.01 शिक्षा का व्यवसायिकरण (विस्तृत शीर्ष)			
		34.01.31-सामान्य सहायता अनुदान			
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	6.00	6.37	The liability of recurring grants to be released to some of the State Governments.
		04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head)			
		789-Special Component Plan for Scheduled Castes			
		34- Secondary Education- Other Grants (Sub Head)			
		34.01-Vocationalisation of Education (Detailed Head)			
		34.01.31- Grants-in-aid General			
		3602-संघ क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			अप्रयोज्यता के कारण किन्तु अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
		04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष)			
		180-माध्यमिक शिक्षण - अन्य अनुदान			
		01-शिक्षा का व्यवसायिकरण (उप शीर्ष)			
		01.00.31-सामान्य सहायता अनुदान			
		3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments (Major Head)	0.70	0.46	Due to non-availability but more proposals are received.
		04- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub-Major Head)			
		180- Secondary Education- Other Grants			
		01- Vocationalisation of Education (Sub Head),			
		01.00.31- Grants-in-aid General			
		3602-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			अप्रयोज्यता के कारण किन्तु अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
		04- केन्द्रीय प्रयोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना			
		17- माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान (उप शीर्ष)			
		17.01 शिक्षा का व्यावसायिकरण (विस्तृत शीर्ष)			
		17.00.35-संघ, क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			
		3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments (Major Head)	0.26	0.03	Due to non-availability but more proposals are received.
		04- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub-Major Head)			
		789- Special Component Plan for Scheduled Castes			
		17- Secondary Education- Other Grants			
		17.01- Vocationalisation of Education			
		17.00.31- Grants-in-aid to Union Territory Governments (Major Head)			

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3602-संघ क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			अप्रर्याप्तता के कारण किन्तु अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
		04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष)			
		180-माध्यमिक शिक्षण - अन्य अनुदान			
		01-शिक्षा का व्यावसायिकरण (उप शीर्ष)			
		01.00.35-सामान्य सहायता अनुदान			
		3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments (Major Head)	0.25	0.79	Due to non-availability but more proposals are received.
		04- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub-Major Head)			
		180- Secondary Education- Other Grants			
		01- Vocationalisation of Education (SubHead)			
		01.00.35- Grants for creation of capitalassets			
		3602-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			अप्रर्याप्तता के कारण किन्तु अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
		04- केन्द्रीय प्रयोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना			
		17- माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान (उप शीर्ष)			
		17.01 शिक्षा का व्यावसायिकरण (विस्तृत शीर्ष)			
		17.00.35-पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान			
		3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments (Major Head)	0.01	0.25	Due to non-availability but more proposals are received.
		04- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub-Major Head)			
		789- Special Component Plan for Scheduled Castes			
		17- Secondary Education- Other Grants			
		17.01- Vocationalisation of Education			
		17.00.35- Grants for creation of capitalassets			
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु.शीर्ष)			कुछ राज्य सरकारों को आवर्ती अनुदान की देयता जारी किए गए हैं।
		04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान			
		796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
		26- बुनियादी शिक्षा-शिक्षक प्रशिक्षण (विस्तृत शीर्ष)			
		26.01- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (विस्तृत शीर्ष)			
		26.01.35 - पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान			
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	7.21	3.42	The liability of recurring grants to be released to some of the State Governments.
		04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head)			
		796-Tribal Area Sub-Plan			
		26-Elementary Education- Teachers Training			
		26.01- Strengthening of Teachers TrainingInstitutions (Detailed Head)			
		26.01.35- Grants for creation of capital assets			

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु. शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान 188- बुनियादी शिक्षा-शिक्षक प्रशिक्षण (विस्तृत शीर्ष) 01- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (उप शीर्ष) 01.01.35 - पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान			गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को फण्ड जारी करने हेतु।
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 188-Elementary Education- Teachers Training 01-Strengthening of Teachers Training Institutions (Sub Head) 01.00.35- Grants for creation of capitalassets	23.26	25.80	For release of funds to the State Governments of Goa, MP, Gujarat, T.N & U.P.
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना 26- बुनियादी शिक्षा-शिक्षक प्रशिक्षण (विस्तृत शीर्ष) 36.01- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (विस्तृत शीर्ष) 01.00.35 - पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान			गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को फण्ड जारी करने हेतु।
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes 36- Elementary Education- Teachers Training Institutions 36.01- Strengthening of Teachers Training Institutions 01.00.35- Grants for creation of capitalassets	7.60	7.06	For release of funds to the State Governments of Goa, MP, Gujarat, T.N & U.P.
		3601-संघ क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षण - अन्य अनुदान 10-शिक्षा का व्यावसायिकरण (उप शीर्ष) 10.00.35-सामान्य सहायता अनुदान 3601 Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 180-Secondary Education- Other Grants (Minor Head) 10-Appointment of Language Teachers 10.00.31- Grants-in-aid General	3.51	7.00	शिक्षकों का वेतन देने हेतु फण्ड जारी करना। For release of funds to meet the Salary of Teachers

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-संघ क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			शिक्षकों का वेतन देने हेतु फण्ड जारी करना।
		04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान			
		796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
		24-माध्यमिक शिक्षण - अन्य अनुदान (उप शीर्ष)			
		24.07-भाषा शिक्षणों का नियुक्ति			
		24.07.31-सामान्य सहायता अनुदान			
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	0.55	63.67	For release of funds to meet the Salary of Teachers
		04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head)			
		796- Tribal Area Sub Plan			
		24- Secondary Education- Other Grants (Sub Head)			
		24.07 Appointment of Language Teachers			
		24.07.31- Grants-in-aid General			
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु. शीर्ष)			राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
		04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान			
		165- बुनियादी शिक्षा-अन्य अनुदान			
		10- मदरसा में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना (एसपीक्यूईएस)			
		10.00.31-सामान्य सहायता अनुदान			
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	156.50	25.69	More Number of proposals received from State Governments.
		04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head)			
		165-Elementary Education- Other Grants			
		10-The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)			
		10.00.31- Grants-in-aid General			
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु. शीर्ष)			हरियाणा, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगा, तमिलनाडु, उ.प्र. और कर्नाटक से अर्हक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
		04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान			
		172-माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण (लघु शीर्ष)			
		02-विद्यालय में सूचना व संचार तकनीकी			
		02.00.31-सामान्य सहायता अनुदान			
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	200.00	12.64	Eligible proposals received from the State of Haryana, Kerala, Odisha, H.P. Rajasthan, West Bengal, Tamil Nadu, U.P and Karnataka
		04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head)			
		172-Secondary Education- Research and Training (Minor Head)			
		02-Information & Communication Technologies in School (Sub Head)			
		02.00.31- Grants-in-aid General			
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			हरियाणा, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगा, तमिलनाडु, उ.प्र. और कर्नाटक से अर्हक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
		04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना			
		33- माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण			

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		33.01-विद्यालय में सूचना व संचार तकनीकी 01.00.31-सामान्य सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes 33- Secondary Education- Research and Training 33.01- Information & Communication Technologies in School 01.00.31- Grants-in-aid General	62.00	2.80	Eligible proposals received from the State of Haryana, Kerala, Odisha, H.P. Rajasthan, West Bengal, Tamil Nadu, U.P and Karnataka
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रयोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 23- माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण (उप शीर्ष) 24.01-विद्यालय में सूचना व संचार तकनीकी (विस्तृत शीर्ष) 23.00.31-सामान्य सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 796- Tribal Area Sub Plan 23- Secondary Education- Research and Training (Sub Head) 24.01- Information & Communication Technologies in School (Detailed Head) 23.01.31- Grants-in-aid General	29.35	1.45	हरियाणा, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगा, तमिलनाडु, उ.प्र. और कर्नाटक से अर्हक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। Eligible proposals received from the State of Haryana, Kerala, Odisha, H.P. Rajasthan, West Bengal, Tamil Nadu, U.P and Karnataka
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मु. शीर्ष) 04- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान (लघु शीर्ष) 09-माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों का निर्माण और चलाने की योजना (उप शीर्ष) 09.00.35- पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head) 180- Secondary Education- Other Grants (Minor Head) 09- Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary & Higher Secondary Schools 09.00.35- Grants for creation of capital assets	198.02	47.43	झारखंड, गुजरात, बिहार और कर्नाटक में नए बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु अपेक्षित फण्ड। Funds required for construction of new girls hostel in Jharkhand, Gujarat, Bihar & Karnataka.

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)			झारखंड, गुजरात, बिहार और कर्नाटक में नए बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु अपेक्षित फण्ड।
		04- केन्द्रीय प्रयोजित योजना स्कीमों हेतु हेतु अनुदान (उप मुख्य शीर्ष)			
		796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
		24- माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान			
		24.06-माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों का निर्माण और चलाने की योजना (उप शीर्ष)			
		24.06.31-सामान्य सहायता अनुदान			
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	13.33	0.02	Funds required for construction of new girls hostel in Jharkhand, Gujarat, Bihar & Karnataka.
		04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes (Sub Major Head)			
		796- Tribal Area Sub Plan			
		24- Secondary Education- Other Grants			
		24.06- Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary & Higher Secondary Schools (Sub Head)			
		24.06.31- Grants-in-aid General			
12. खान मंत्रालय		एमएच 2552 से एमएच 2853			
		1. भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण राजस्व भाग			
		क. निर्देश व प्रशासन			पूर्वोत्तर प्रदेश सिक्किम के लाभार्थ व्यय को पूरा करने के लिए।
		प्रशासनिक सहायता			
Ministry of Mines		From MH 2552 to MH 2853			
		I. Geological Survey of India			
		Revenue Section			To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region & Sikkim.
		A. Direction & Administration			
		Administrative Support	11.88	11.88	
		ख. प्रशिक्षण			- तदैव -
		B. Training	0.15	0.15	- do -
		ग. अनुसंधान एवं विकास			- तदैव -
		C. Research & Development	0.30	0.30	- do -
		घ. अन्वेषण			- तदैव -
		D. Investigation	0.25	0.25	- do -
		ड. सर्वेक्षण व मानचित्रण			- तदैव -
		E. Survey & Mapping	0.50	0.50	- do -
		च. खनिज व खुदाई			- तदैव -
		F. Mineral & Exploration	0.50	0.50	- do -
		छ. अन्य व्यय			- तदैव -
		विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय			- तदैव -
		G. Other Expenditure			
		Miscellaneous Major Expenditure on different operations	0.52	0.52	- do -
		सूचना व तकनीक			- तदैव -
		Information & Technology	0.20	0.20	- do -
		कुल राजस्व-जीएसआई			
		Total Revenue-GSI	14.30	14.30	

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		पूंजी भाग - जीएसआई अन्य व्यय पूंजीगत आस्तियों का अर्जन Capital Section - GSI Other Expenditure Acquisition of Capital Assets	3.60	3.60	- तदैव - - do -
		कुल पूंजी भाग - जीएसआई Total Capital Section - GSI	3.60	3.60	
		II. भारतीय खान ब्यूरो राजस्व भाग क. स्थापना			- तदैव -
		II. Indian Bureau of Mines Revenue Section A. Establishment	0.62	0.62	- do -
		ख. प्रशिक्षण B. Training	0.10	0.10	- तदैव - - do -
		ग. सूचना व तकनीक C. Information & Technology	0.40	0.40	- तदैव - - do -
		कुल राजस्व भाग - आईबीएम Total Revenue Section - IBM	1.12	1.12	
		पूंजी भाग - आईबीएम अन्य व्यय पूंजीगत आस्तियों का अर्जन Capital Section - IBM Other Expenditure Acquisition of Capital Assets	3.88	3.88	- तदैव - - do -
		कुल पूंजी भाग - आईबीएम Total Capital Section - IBM	3.88	3.88	
		3451.00.090.13.04.28-पेशेवर सेवाएं 3451.00.090.13.04.28-Professional Services	0.03	0.05	न्यायलयी मामले के संबंध में कानूनी परामर्श- दाताओं के फीस का भुगतान To pay fee to the legal counsels regarding court case.
13.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	आईएसटीएम 2070.00.003.04.03.20			आईएसटीएम को 1-8-2014 से मार्च, 2014 तक वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान शेष सीएसएस/सीएसएसएस सीटीपी को जारी/ पूरा करने हेतु निधि की जरूरत होती है। ISTM requires funds for the continuation/completion of remaining CSS/CSSS CTP course during the current financial year from 1st October, 2013 to March, 2014.
	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	ISTM 2070.00.003.04.03.20	3.50	2.685	
		सीआईसी 2070.00.800.32.01.02			जुलाई, 2013 से सरकार द्वारा पारिश्रमिक दरों में बढ़ोत्तरी के कारण/पारिश्रमिक के भुगतान हेतु शीर्ष के तहत शेष राशि पर्याप्त नहीं है। Due to increase of wages rate by the Govt. w.e.f. July 2013. Balance amount under the head is not sufficient to meet the payment of wages.
		CIC 2070.00.800.32.01.02	1.50	0.35	

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2070.00.800.32.01.06			इस विशेष उप-शीर्ष के तहत 3 व्यय हैं। यह अधिशेष स्टाफ के उपचार हेतु उत्पन्न बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु है।
		2070.00.800.32.01.06	0.05	0.15	There is an unforeseen expenditure under this particular sub-head. The excess is due to reimbursement of bills raised for treatment of staff.
		2070.00.800.32.01.13			अधिशेष पेट्रोल व बिजली प्रभारों में काफी बढ़ोत्तरी के कारण है। इसका अलावा अक्टूबर, 13 में 5 आयुक्तों के कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है तथा उनके उपयोग हेतु फर्नीचर खरीदा जाना है।
		2070.00.800.32.01.13	2	1.20	Excess is on account of steep rise in prices of petrol and electricity charges. Also 5 Commissioners are expected to join the Commission in Oct, 2013 and furniture items are to be procured for their use.
		2070.00.800.32.01.14			भवन किराए के बढ़े दरों पर भुगतान के कारण बढ़ोत्तरी हुई
		2070.00.800.32.01.14	3.50	0.95	The excess is due to payment of rent of the building at enhanced rates.
		2070.00.800.32.01.28			काउंसल के कानूनी शुल्क के भुगतान के कारण नवनियुक्त, कानूनी परामर्शदाताओं आदि के कारण बढ़ोत्तरी हुई।
		2070.00.800.32.01.28	0.37	0.50	Excess is due to payment of Legal Fees to Counsels and also joining of newly appointed Legal Consultants etc.
		2070.00.800.32.99.50			कम्प्यूटर तथा 5 आयुक्तों जिनके शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने की सम्भावना है, और उनके स्टाफ को सहायक सामग्री, उपलब्ध कराने के लिए।
		2070.00.800.32.99.50	0.10	0.10	For providing Computers and accessories to 5 Commissioners who are likely to join soon and also to the corresponding staff.
	एसएससी	2051.00.103.01.01.02			एसएससी की भूमिका और कार्यों को प्रभावी ढंग से अदा करने के कारण दिहाड़ी कामगारों के रोजागर के कारण
	SSC	2051.00.103.01.01.02	0.86	0.43	Because of the employment of casual Workers in effectively discharging the role & functions of SSC.
14. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		2251-सचिवालय - वेतन			दैनिक मजदूरों को वेतन भुगतान हेतु।
Ministry of Social Justice & Empowerment		2251-Secretariat - Wages	0.24	0.16	For payment of salary to the Daily Wagers.
		2251-सचिवालय अन्य प्रशासनिक व्यय (योजना)			विकलांग व्यक्तियों के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित करने हेतु अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2251-Secretariat Other Administrative Expenses (Plan)	0.60	0.50	For meeting the expenses required for holding of awards function of Disabled Persons.
		2251-सचिवालय - सूचना प्रौद्योगिक			सूचना प्रौद्योगिकी में अपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु।
		2251-Secretariat - Information Technology	0.70	0.30	For meeting the expenditure required in Information Technology
		3601-मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति			पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों एवं सिक्किम को अनुदान सहायता जारी करने हेतु।
		3601-Post Matric Scholarship for SCs	1468.00	12.22	For releasing Grants-in-aid to the States located in NE Region & Sikkim.
		3601-पीसीआर अधिनियम 1955 की मशीनरी अत्याचार अधिनियम 1989 का प्रवेशन			अधिनियम कार्यान्वयन, हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी करने हेतु।
		3601-Machinery for PCR Act 1955 and prevention of atrocity Act 1989.	86.00	39.75	For releasing Grants-in-aid to various State Governments for Implementation the Acts.
15.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	जी- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एमएच-2408 खाद्य, भाण्डारण और वेयर हाउसिंग 05 चीनी की खरीद			खुले बाजार से चीनी क्रय संबंधी व्यय को समायोजित करने के लिए
	Andaman and Nicobar Islands	G-Ministry of Food Processing Industries MH-2408 Food, Storage and Warehousing 05 Purchase of Sugar	15.81	5.17	To meet the expenditure on purchase of Sugar from open market.
		डी-विद्युत मंत्रालय एमएच-4801 विद्युत संबंधी पूंजीगत परिव्यय 01 विद्युत प्लांट और सहायक कार्य (आपूर्ति एवं सामग्री)			पीओएल क्रय संबंधी व्यय को समायोजित करने के लिए
		D-Ministry of Power MH-4801 Capital Outlay on Power 01 Power Plant and Ancillary Works (Supplies and Materials)	49.77	24.65	To meet the expenditure on purchase of POL.
		एस-पोत परिवहन मंत्रालय एमएच-3052 पोत परिवहन 04 अन्तर्राष्ट्रीय पोत के संचालन प्रभार			पीओएल क्रय संबंधी व्यय को समायोजित करने के लिए
		S-Ministry of Shipping MH-3052 Shipping 04 Operational Charges of Inter-Island vessels	163.80	10.22	To meet the expenditure on purchase of POL.
		यू-नागर विमानन मंत्रालय एमएच-3053 नागर विमानन			समुद्री जहाज व हेलीकोप्टर के किराए पर लेने के व्यय को समायोजित करने के लिए।
		U-Ministry of Civil Aviation MH-3053 Civil Aviation	34.57	8.01	To meet the expenditure on hiring charges of Helicopter and Sea plane.